बुधवार, ८ दिसंबर १९५४

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

**अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

**अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

**अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

**तारांकित प्रश्न संख्या** २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

**तारांकित प्रश्न संख्या** २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

**अतारांकित प्रश्न संख्या** २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

**अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

**अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४**

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . . . ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

**अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

**अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

**अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, . . . . . ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

**अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

**अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

**अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

**अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

**अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

**अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८



GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

## लोक सभा

बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]**

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**ब्रिटिश शासन-कालीन स्मारकों का परिरक्षण**

***८६९. डा० रामा राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १२८७ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश शासन-कालीन स्मारकों के परिरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को जो परिपत्र भेजा था उसके उत्तर में उनके पास से क्या क्या सुझाव प्राप्त हुये हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है ; और

(ग) यदि हां, वह नीति किस प्रकार की है और उसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०)**





(ख) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**डा० रामा राव :** इस बात को देखते हुये कि प्रसिद्ध साम्राज्यवादियों की मूर्तियां दिन प्रति दिन जीर्ण शीर्ण होती जा रही हैं, क्या सरकार का उन्हें उपर्युक्त संग्रहालयों में रखने का विचार है ?

**डा० एम० एम० दास :** यह प्रश्न ब्रिटिश काल की मूर्तियों के सम्बन्ध में ही है ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** विवरण में केवल थोड़े से ऐसे राज्यों के नाम दिये हुये हैं जिन्होंने इन मूर्तियों को हटाने या न हटाने के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया है । क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि अधिकांश राज्यों में लोगों की यही भावना है कि इन मूर्तियों को हटा कर किसी संग्रहालय या अन्य स्थान में रख दिया जाये ?

**डा० एम० एम० दास :** यह सारा विषय अभी विचाराधीन है ।

**हिन्दी का प्रचार**

***८७१. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्दी के प्रचार का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी धन राशि दी गई है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) नहीं श्रीमान् । केन्द्रीय सरकार देश में हिन्दी का प्रचार करने के लिये बहुत सी अपनी बनाई हुई योजनाओं पर धन व्यय कर रही है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत अपनी योजनायें तैयार की हैं जिनके व्यय का कुछ भाग केन्द्रीय सरकार देती है ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान ३-१२-५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि अहिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी प्रचार की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर रहेगी ?

**श्री एम० एम० दास :** हां, श्रीमान् । यह सच है । परन्तु इस निर्णय में केवल इस परिवर्तन का विचार किया गया है कि अब से कतिपय अखिल भारतीय संस्थाओं को दिये जाने वाले तदर्थ अनुदानों को छोड़ कर हिन्दी के प्रचार के लिये सब अनुदान सीधे हिन्दी संस्थाओं को न देकर राज्य सरकारों को दिये जायेंगे ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के नाम कोई आदेश-पत्र भेजा है ?

**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन्होंने राज्य सरकारों को कोई अनुदेश भेजे हैं ?

**डा० एम० एम० दास :** हां, श्रीमान्, राज्य सरकारों के मंत्री सम्मेलन में उपस्थित थे ।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्मेलन के पश्चात् राज्य सरकारों को कोई अनुदेश भेजे हैं ?

**डा० एम० एम० दास :** मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या भारत सरकार ने हिन्दी प्रचार के लिये राज्यों को इकट्ठी राशियों के अनुदान दिये हैं या उन्होंने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कार्यान्वित की जाने वाली निश्चित प्रस्थापनायें मांगी हैं ?

**डा० एम० एम० दास :** राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे केन्द्रीय सरकार के पास योजनायें भेजें और केवल उन योजनाओं पर अनुदान दिये गये हैं जिनकी केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दी थी ।

**सेठ गोविन्द दास :** उस दिन मंत्री जी ने यह कहा था और आज भी उन्होंने कहा है कि कुछ अखिल भारतीय संस्थाओं को भी ये अनुदान दिये जाने वाले हैं । मैं ने उन से यह पूछा था कि क्या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा को भी इस प्रकार का कोई अनुदान दिया गया है या दिया जाने वाला है, तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा था कि वह दिया गया है । लेकिन वह अनुदान उन को नहीं दिया गया है, इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर कुछ विचार हो गया है या हो रहा है क्योंकि वह एक अखिल भारतीय संस्था है ।

**डा० एम० एम० दास :** श्रीमान्, मुझे खेद है कि उस दिन मैं अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा था, परन्तु मुझे ठीक याद नहीं था इस लिये ग़लती हो गई थी । परन्तु, जहां तक इस राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का सम्बन्ध है, उन्होंने अनुदान के लिये प्रार्थना पत्र भेजा था, परन्तु हम ने उन्हें सूचना दे दी थी कि राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात्

अनुदान केवल राज्य सरकारों को दिये जाते हैं, अतएव जिस राज्य में वे काम करना चाहते हैं उन्हें वहां की राज्य सरकार के पास उनका प्रार्थनापत्र भेजना चाहिये ।

### मद्य-निषेध

*८७४. **श्री डाभी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाग 'ग' राज्यों में मद्य-निषेध लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख) . राज्यों से जानकारी मांगी गई है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**श्री डाभी** : क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में मद्य-निषेध करने के सम्बन्ध में कोई परामर्श दिया है ?

**श्री दातार :** सरकार यह जानकारी नहीं दे सकती ।

**श्री डाभी :** भाग 'ग' राज्यों में मद्य-निषेध लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

**श्री दातार** : जहां तक मद्य-निषेध का सम्बन्ध है भाग 'ग' राज्यों में कई सरकारें हैं अतएव हम ने यह विषय सम्बन्धित मंत्रि-मंडलों पर छोड़ दिया है ।

**श्री डाभी** : क्या यह सच नहीं है कि किसी भी भाग 'ग' राज्य सरकार ने अपने राज्यों में मद्य-निषेध नहीं किया है ?

**श्री दातार** : मैं समझता हूं कि उन्होंने अभी तक पूर्ण मद्य-निषेध नहीं किया है यद्यपि वे मद्य के प्रयोग पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही करने से पूर्व सरकार इस बात की जांच करेगी कि जिन राज्यों में मद्य-निषेध किया हुआ है क्या वहां पूर्ण मद्य-निषेध अच्छी प्रकार चल रहा है ?

**श्री दातार :** यह बहुत बड़ा प्रश्न है जिस के सम्बन्ध में मैं सरकार की ओर से कोई वचन नहीं दे सकता ।

### नैपाल को निर्यात

*८७६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नैपाल को निर्यात किया गया माल भारतीय बाजारों में बेचने के लिये रक्सौल और नौतनवा नगरों में पुनः भारत में आयात कर लिया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिये कोई प्रभावशाली कार्यवाही की है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) श्रीमान्, सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रश्न में कही गई बात ठीक नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने अपने दफ्तर से किसी और जरिये से इसको दरयाफ्त किया है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** जरूर दरयाफ्त किया है । जो तीन स्टेटें नेपाल के नजदीक हैं यानी वेस्ट बंगाल, विहार और उत्तर प्रदेश इन तीनों स्टेटों से पूछा गया था और उन्होंने बताया है कि कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं होता केन्द्रीय सरकार को भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

**श्री विभूति मिश्र :** लेकिन मैं वहां का रहने वाला हूं और मुझे पता है कि ऐसा होता है । क्या मंत्री महोदय फिर दरयाफ्त करने की कोशिश करेंगे ?

**श्री ए० सी० गुहा :** श्रीमान्, मैं केवल यह कह सकता हूं कि माल के ऐसे यातायात में कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है क्योंकि कोई सीमा शुल्क चौकी नहीं है और प्रायः कोई सीमा शुल्क नहीं है । जिन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लिया जाता है उनसे और विदेश से आयात माल से प्राप्त शुल्क की सारी छूट नेपाल सरकार को दे दी जाती है और व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाती । अतएव ऐसे यातायात को सर्वथा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या सरकार को विदित है कि खनिज नमक, जिस के बहुत से माल के डिब्बों के लिये एक नेपाली व्यापारी को अनुज्ञप्ति दी गई थी, रक्सौल से ही भारत में पुनः आयात कर लिया गया था जिस स्थान से आगे यह गया ही नहीं था ?

***श्री ए० सी० गुहा :** मैं इस सूचना को ठीक नहीं समझता, कम से कम मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** यह सूचना गलत है ।

**दरिद्र-गृह**

***८७८. श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में सरकार कितने दरिद्र-गृहों को चला रही है ;

(ख) क्या भिखारी समस्या को सुलझाने के लिये सरकार के पास कोई निश्चित योजना है ; और

(ग) क्या राज्यों में भी भिखारी समस्या का सुलझाने के लिये कोई एकरूप नीति बनाई गई है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** प्रश्न भारत में दरिद्र-गृहों के सम्बन्ध है । क्या भारत में सरकार का कोई दरिद्र-गृह है जिस कारण जानकारी एकत्र की जा रही है ?

**श्री दातार :** श्रीमान्, हम केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों और भाग 'ग' राज्यों में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले दरिद्र-गृहों के प्रश्न की बात कर रहे है । कई राज्य हैं और जानकारी एकत्र की जानी है और मांगी जानी है और तब वह सभा पटल पर रखी जायेगी ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या ये दरिद्र-गृह जिन्हें केन्द्रीय सरकार चलाती है केन्द्रीय प्रशासन के अधीन हैं अथवा राज्य प्रशासन के अधीन हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह तर्क कर रहे हैं कि जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं है । मंत्री महोदय ने स्पष्ट बता दिया है कि यद्यपि ये केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र हैं । तथापि इनका प्रशासन एक अभिकरण द्वारा होता है और अभिकरण के द्वारा जानकारी इकट्ठी करनी है ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** मैं ने १० दिन पूर्व प्रश्न की सूचना दी थी ।

---

*यह उत्तर राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री द्वारा बाद में २४ दिसम्बर, १९५४ के वाद-विवाद, भाग २ में शुद्ध किया गया ।

**केन्द्रीय पाठ्य पुस्तक गवेषणा विभाग**

***८७९. श्री झूलन सिह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पाठ्य-पस्तक गवेषणा विभाग ने क्या मुख्य मुख्य कार्य किये हैं ; और

(ख) अब तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१)**

**श्री झूलन सिह :** क्या विभाग ने देश की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये कोई कसौटी या सिद्धान्त निश्चित किये हैं ?

**डा० एम० एम० दास :** विभाग का उद्देश्य सब स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों को सुधारना है।

इसके कृत्य ये हैं :

(१) प्रचलित पाठ्य-पुस्तक साहित्य का आलोचनात्मक विवेचन करना ;

(२) पाठ्य-पुस्तकें लिखने के लिये पथ प्रदर्शक सिद्धान्तों और शिक्षा सम्बन्धी उपयुक्त कसौटी बनाना ;

(३) स्कूल की पुस्तकें लिखने की एक व्यापक योजना तैयार करना ; और अन्त में

(४) आदर्श पाठ्य-पुस्तकों की रचना आरम्भ करना।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** विवरण में बताया गया है कि १०० पुस्तकों का विश्लेषण किया गया है और राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है और सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं। क्या पंचवर्षीय योजना के इन ३ १/२ वर्षों में वस्तुतः किसी पाठ्य-पुस्तक का अनुवाद किया गया है ?

**डा० एम० एम० दास :** मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह विभाग मई, १९५४ में ही स्थापित किया गया था।

**भारत इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना**

***८८१. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना, बंगलौर के लिये शिल्पिक परामर्श, शिल्पज्ञों के प्रशिक्षण और मशीनरी तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने के हेतु जिस फ्रेंच सार्थ के साथ संविदा की गई थी उसे कितनी राशि दी जा चुकी है ;

(ख) भारत को किस प्रकार की मशीनरी और अन्य वस्तुयें दी गईं और क्या सेवाएं की जा चुकी हैं ;

(ग) दी गई वस्तुओं और मशीनों का मूल्य क्या है ;

(घ) अब तक कितने शिल्पज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन में से कितने अपना काम संभाल सकते हैं ; और

(ङ) कारखाने की लागत का मूल प्राक्कलन क्या है और वर्तमान प्राक्कलन क्या है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). शिल्पिक सहायता और मशीनी औज़ारों के नक़्शे तैयार करने के सम्बन्ध में और उपकरणों की खरीद, कारखाने को लगाने के लिये नक़्शे बना कर देने और शिल्पज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिये की गई सेवाओं के निमित्त फ्रेंच सार्थ

को ५,२७,००० रुपये की राशि दी गई है संयत्र, मशीनें और उपकरण भारत सरकार सार्थ द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार साधारण साधनों से सीधे खरीदती है ।

(ग) नियत मान के मशीनी औज़ार और इलेक्ट्रोनिक्स के उपकरण जिन का मूल्य लगभग १.४८ लाख रुपये है, पहले ही बंगलोर पहुंच चुके हैं ।

(घ) सार्थ द्वारा फ्रांस में १२ शिल्पज्ञों को प्रशिक्षित किया गया है और ये अब भारत में प्रशिक्षण स्कूल में शिक्षक लगे हुये हैं ।

(ङ) ७ करोड़ रुपये के पूंजी व्यय के मूल प्राक्कलन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** कारखाने के साथ संलग्न प्रशिक्षण स्कूल और गवेषणा केन्द्र कब से कार्य आरम्भ करेंगे ?

**श्री सतीश चन्द्र :** मैं ने अभी बताया कि प्रशिक्षण स्कूल तो पहले ही कार्य आरम्भ कर चुका है । दो फ्रांसीसी शिक्षक और १२ भारतीय शिक्षक जिन्होंने फ्रांस में शिक्षण प्राप्त किया था अब इस स्कूल में शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** पत्रों में यह बताया गया है कि ७ करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन में संशोधन कर लिया गया है और अब इसे बढ़ा कर ९.५ करोड़ रुपये कर दिया गया है । क्या मैं इस का कारण जान सकता हूं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** प्राक्कलन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । पूंजीगत व्यय ७ करोड़ रुपये होगा और चालू पूंजी २.५ करोड़ रुपये होगी ।

**श्री जी० एस० सिंह :** क्या इस कारखाने के उत्पाद केवल रक्षा बलों के लिये हैं अथवा जनसाधारण के लिये ?

**श्री सतीश चन्द्र :** इस कारखाने के उत्पादों का प्रयोग संचार मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय तथा सामान्यतया रेडियो-संचार उद्योग द्वारा भी किया जायेगा ।

**श्री दामोदर मेनन :** प्रशिक्षण स्कूल में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** इस समय ४० हैं, किन्तु अन्ततोगत्वा इनकी संख्या बढ़ाकर १५० कर दी जायेगी ।

**सरकारी सेवाओं में विदेशी राष्ट्रजन**

*८८२. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कितने विदेशी राष्ट्रजन स्थायी अथवा अस्थायी पदाधिकारियों के रूप में भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं ; और

(ख) क्या उन में से किसी को कोई विशेष वेतन दिये जा रहे हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) १-१२-५४ को अस्थायी रूप में अथवा ठेके पर काम करने वाले ऐसे पदाधिकारियों की संख्या ११५ थी । स्थायी पदाधिकारियों के बारे में जानकारी, जो इस समय उपलब्ध नहीं है, एकत्र की जा रही है और उचित समय में सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) जी नहीं । परन्तु ठेके पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को उनकी अर्हताओं के अनुसार वेतन दिया जाता है ।

**श्री तुषार चटर्जी :** ये विदेशी राष्ट्रजन किन किन देशों के हैं ?

**श्री दातार :** वे भिन्न भिन्न देशों के हैं ।

**श्री तुषार चटर्जी :** वे कौन कौन से देश हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह सूची बहुत लम्बी है ?

**श्री दातार :** सूची बहुत लम्बी है । वे ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, पोलैंड, स्विटज़रलैंड, जापान इत्यादि के हैं ।

**श्री तुषार चटर्जी :** मैं प्रत्येक देश से आने वालों की संख्या पृथक् पृथक् जानना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह प्रत्येक देश के बारे में संख्या बता सकते हैं ? क्या उनके पास यह जानकारी है ?

**श्री दातार :** श्रीमान्, मैं यह जानकारी दूंगा । उन में से १३ ब्रिटेन के हैं, २ आस्ट्रेलिया के मेरे पास देशवार संख्या नहीं है, उनकी कुल संख्या ११५ है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार ने राज्य सरकारों से उनके अधीन सेवायुक्त अभारतीयों के बारे में पूछा है और क्या अब तक सरकार को इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

**श्री दातार :** श्रीमान्, भारत सरकार की नीति यह है कि भारत में विदेशी लोगों को सीमित संख्या में नियुक्त किया जाये । जब कभी कोई ऐसी नियुक्ति की जानी होती है तो इस विषय में गृह-कार्य मंत्रालय से पूछा जाता है । हम ने कुछ नियम बनाये हैं कि जहां तक सम्भव हो भारतीयों को नियुक्त किया जाये । जहां आवश्यक अर्हताओं वाले भारतीय उपलब्ध नहीं होते वहां अभारतीयों को नियुक्त किया जाता है और वहां भी भारतीयों को प्रशिक्षित करने का यत्न किया जाता है ।

**श्री जोकीम आल्वा :** श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं.....

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अगले प्रश्न को लेंगे । इस प्रश्न पर कई बार इस सभा में विचार किया जा चुका है ।

**श्री जोकीम आल्वा :** यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु सरकार पर विश्वास किया जा सकता है कि वह केवल भारतीयों को ही नियुक्त करेगी । बार बार यह प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ?

### भूतत्व-रसायन सम्बन्धी खोज

*८८४. **श्री राधा रमण :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में भूतत्व जांच की एक नई प्रणाली, जिसे 'भू-तत्व-रसायन सम्बन्धी खोज' कहते हैं, जारी की गई है ?

(ख) यह नई प्रणाली किस की देख रेख में जारी की गई है ; और

(ग) इस नई प्रणाली की सहायता से क्या मुख्य सफलतायें प्राप्त हुई हैं और क्या खोज की गई है ?

**प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** (क) से (ग) हां, श्रीमान् । भारत के भूतत्व सर्वेक्षण ने भू-तत्व रसायन सम्बन्धी खोज हाल ही में आरम्भ किया है और अभी से परिणामों की आशा नहीं की जा सकती ।

**श्री राधा रमण :** क्या इस प्रणाली के कोई विशेष पहलू हैं और सरकार द्वारा इस समय प्रयोग में लाई जा रही प्रणाली से यह किस प्रकार भिन्न है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** भूतत्व रसायन सम्बन्धी खोज की प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वैज्ञानिकों से आशा की जाती है कि वे भूमि और विभिन्न चट्टानों के नमूने

एकत्र करें और महत्वपूर्ण धातुओं की वैज्ञानिक जांच करें। यह प्रणाली विद्यमान् प्रणाली से सर्वथा भिन्न है ।

**श्री राधा रमण :** सरकार ने कितने मामलों में इस प्रणाली का प्रयोग किया है जो कि हाल ही में आरम्भ की गई है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** यह अभी आरम्भ ही की गई ह और परिणामों के बारे में कुछ कहने का समय नहीं आया है ?

### अन्तर्विश्वविद्यालय ुवक उत्सव

***८८५. श्री संगण्णा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, १९५४ के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में किये गये अन्तर्विश्वविद्यालय युवक उत्सव को मनाने में राज्य सरकारों ने कोई अंश दान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक और किस ढंग से, और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर नहीं में हो तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा गया था ?

श्रीमान्, मैं यह भी बता दूं कि युवक उत्सव का आयोजन भारत सरकार ने किया था और क्योंकि यह अन्तर्विश्वविद्यालय मामला था इस लिये राज्य सरकारों को व्यय में अंशदान देने को नहीं कहा गया था ।

**श्री संगण्णा:** क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि जिन शिष्टमंडलों ने उत्सव में भाग लिया उनकी ठीक देखभाल नहीं की गई, यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**डा० एम० एम० दास :** अभी तक हमें ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

**श्री संगण्णा :** यह उत्सव किस अभिकरण द्वारा मनाया गया ?

**डा० एम० एम० दास :** अभिकरण

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** शिक्षा मंत्रालय ।

**श्री राधा रमण :** क्या अन्तर्विश्वविद्यालय युवक उत्सव प्रत्येक वर्ष हुआ करेगा ?

**डा० एम० एम० दास :** उस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

**श्री एम० एस० ुरुपादस्वामी :** इस उत्सव पर भारत सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ?

**डा० एम० एम० दास :** अब तक प्राप्त हुये बिलों के अनुसार हम ने कुल १,०७,९०४ रुपये ४ आने व्यय किये हैं। लेखे का यह अन्तिम विवरण नहीं है, कुछ बिलों का अभी भुगतान किया जाना है ।

**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या इस बारे में अनुमानित व्यय को स्वीकृति दी गई है ?

**डा० एम० एम० दास :** इस युवक उत्सव के लिये चालू वर्ष के आयव्ययक में २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

### भूतपूर्व सैनिकों के लिये निवृत्ति-वेतन

***८८६. कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को नई निवृत्ति वेतन संहिता के अनुसार निवृत्ति वेतन दिया जाता है ; और

(ख) नई निवृत्ति वेतन संहिता और उस संहिता में क्या अन्तर है जो त्रावनकोर

कोचीन राज्य के भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होती है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]**

**कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन राज्य के भूतपूर्व सैनिकों से कोई स्मरण पत्र मिला है ?

**श्री त्यागी** : किसी विशेष अभ्यावेदन के बारे में मैं नहीं जानता परन्तु व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रायः मिलते रहते हैं ।

**कुमारी एनी मैस्करीन** : त्रावनकोर राज्य में ही भूतपूर्व सैनिकों से भेदभावजनक व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

**श्री त्यागी**: एकीकरण के समय उन सब को, जो भारतीय सेना में सम्मिलित नहीं किये गये थे उन्हें सेवानिवृत्ति की तीन प्रकार की प्रणालियों में से किसी एक को चुनने को कहा गया था । एक थी राज्य के नियमों द्वारा स्वीकृत सामान्य लाभ प्राप्त करते हुए सेवा से निवृत होने की प्रणाली, दूसरी निवृत्ति वेतन और भारत सरकार के पुराने सैनिक स्केल के अनुसार स्वीकृत उपदान के लाभ प्राप्त करके सेवा से निवृत्त होने की प्रणाली और तीसरी थी दरों के समुच्चय के आधार पर उपदान अथवा निवृत्ति वेतन पाने की प्रणाली और प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी इच्छा प्रकट की थी ।

**कुमारी एनी मैस्करीन** : त्रावनकोर-कोचीन राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को सरकार कब संहिता नियम लागू करेगी ?

**श्री त्यागी** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

**अध्यक्ष महोदय**: क्या यह वैकल्प सम्बन्धी नियम त्रावनकोर कोचीन राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को लागू करने का सरकार का विचार है ?

**श्री त्यागी**: यदि माननीय सदस्य का भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्राय उन लोगों से है जो एकीकरण से पूर्व सेवा से निवृत्त हो चुके थे तो उन्हें सेवा निवृत्ति लाभ देने का उत्तरदायित्व राज्य का है, केन्द्र का नहीं ।

**कुमारी एनी मैस्करीन** : मेरा प्रश्न यह नहीं है । मैं जानना चाहती हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य को संहिता नियम कब लागू किये जायेंगे ?

**श्री त्यागी** : सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय नवीनतम निवृत्ति वेतन संहिता नियमों से है । यदि उनका यह अभिप्राय हो तो मैं उन्हें सूचित कर दूं कि नई सेवा-निवृत्ति संहिता नई वेतन संहिता के आधार पर स्वीकृत की गई है । क्योंकि नई वेतन संहिता १९५० में लागू हुई इस लिये सब सैनिकों के वेतन बढ़ा दिये गये अतः नई निवृत्ति वेतन संहिता लानी पड़ी ।

**कुमारी एनी मैस्करीन** : मेरा अभिप्राय पुरानी निवृत्ति वेतन संहिता से है ।

**आस्तियों और दायित्वों का बटवारा**

*८९०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय वित्तीय एकीकरण क़रार के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच आस्तियों और दायित्वों के बटवारे के परिणामस्वरूप हैदराबाद सरकार को प्राप्त होने वाली आस्तियों और दायित्वों का मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या भारत सरकार क़िस्तों में भुगतान करेगी या एकमुश्त ?

**ह-कार्य और राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) तथा (ख). भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की आस्तियों और दायित्वों को संघीय वित्तीय एकीकरण क़रार के अन्तर्गत बांटने के विषय का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

हैदराबाद सरकार को भुगतान करने का प्रश्न नहीं है। विचार किया जाता है कि पूर्व हैदराबाद राज्य की आस्तियों और दायित्वों को संविधान के अनुच्छेद २९५ का अनुसरण करते हुये कार्यकारक आधारों पर केन्द्र और राज्य सरकारों में बांट दिया जाये।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: क्या हम जान सकते हैं कि हैदराबाद सरकार की आस्तियों और दायित्वों की बांट में लगभग कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

**डा० काटजू** : मैं यह जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि इस विषय पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह**: क्या यह सत्य बात है कि निष्क्रांत सम्पत्तियों पर नक़ली मालिक अपना क़ब्ज़ा जमाये बैठे हैं और उनसे उन सम्पत्तियों को छुड़ाया नहीं जा सकता ?

**डा० काटजू**: मैं सवाल नहीं समझा।

**अध्यक्ष महोदय**: ऐसी कुछ जायदादें हैं जहां पर नकली मालिक बैठे हैं और गवर्नमेंट उनको हटा नहीं सकती ?

**डा० काटजू**: हैदराबाद में ? मुझे मालूम नहीं।

**श्रीमती कमलेंदुमति शाह** : निष्क्रान्त सम्पत्तियों पर नक़ली मालिक बैठे हैं और गवर्नमेंट उनको वहां से हटा नहीं पाती ?

**अध्यक्ष महोदय**: उनको मालूम नहीं है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: वित्तीय एकीकरण को अन्तिम रूप देने का सरकार का कब तक विचार है ?

**डा० काटजू** : हाल ही में मंत्रियों में चर्चा हुई थी। और अन्तिम प्रारूप हैदराबाद की स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है और ज्यों ही वह वापस आयेगा उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: मैं यह भी बता दूं कि हैदराबाद सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और मुझे कल उनका पत्र मिल गया था। एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध होगी।

**इस्पात संयंत्र—रूसी सहायता**

*८९१. **श्री टी० के० चौधरी**: क्या **वित्त** मंत्री २२ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के लिये इस्पात संयन्त्र के निर्माण के लिये जो प्रस्ताव कुछ समय पहले रूस ने किया था वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था ?

**वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत)** : नहीं श्रीमान्, क्योंकि अन्तर्ग्रस्त शिल्पिक सहायता केवल उस परियोजना की सहायकमात्र होगी जिसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक अनुसंधान किया जा रहा है।

**श्री टी० के० चौधरी**: क्या पिछले महीने के आरम्भ में दिल्ली में विदेशी प्रेस सम्वाददाताओं के सम्मेलन के समक्ष वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के हाल ही में दिये गये भाषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिस में यह संकेत किया गया था कि सोवियत संघ से इस्पात संयंत्र सम्बन्धी सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्राप्त होगी ?

**श्री बी० आर० भगत**: मैं समझता हूं माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति हो रही है। माननीय मंत्री ने सोवियत संघ द्वारा दिये गये अभ्यंश से उपलब्ध शिल्पिक सहायता का न कि इस्पात संयंत्र का उल्लेख किया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्राप्त होगी ।

**श्री टी० के० चौधरी**: इस्पात संयंत्र के विषय में क्या बात है ?

**श्री बी० आर० भगत**: यह उल्लेख इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में नहीं था।

**श्री टी० के० चौधरी**: क्या यह पत्र व्यवहार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हो रहा है या सीध दो सरकारों के बीच हो रहा है ?

**श्री बी० आर० भगत**: भारत सरकार और सोवियट संघ की सरकार के बीच सीधा पत्र व्यवहार हो रहा है ।

**श्रम सेवा शिविर**

*८९३. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, १९५४ की समाप्ति तक प्रत्येक राज्य में कितने श्रम सेवा शिविर आयोजित किये गये थे ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन शिविरों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी ;

(ग) इन विद्यार्थियों ने क्या कार्य किया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितना व्यय हुआ है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (घ)। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]**

**श्री हेम राज** : किन अभिकरणों के द्वारा धन खर्च किया जाता है ?

**डा० एम० एम० दास**: ये शिविर विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, परोपकारी संस्थाओं इत्यादि के द्वारा आयोजित किये जाते हैं और धन इन्हीं संस्थाओं —विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, परोपकारी एवं कल्याणकारी संस्थाओं के द्वारा खर्च किया जाता है ।

**श्री हेम राज** : क्या विभिन्न शिविरों के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ?

**डा० एम० एम० दास** : हमें इस का पता नहीं है ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या इन शिविरों का पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा दिया जायेगा अथवा इस व्यय का कुछ अंश विद्यार्थियों या विश्वविद्यालयों द्वारा भी दिया जायेगा ?

**डा० एम० एम० दास** : जहां तक मुझे मालूम है, यदि मैं गलती पर नहीं तो, सारा व्यय भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा ।

**श्री बासप्पा** : इन शिविरों का कार्य-काल कितना है ?

**डा० एम० एम० दास** : कभी कभी यह दो सप्ताह होता है और कभी कभी चार सप्ताह ।

**श्री अच्युतन**: : क्या सभी कालिजों ने इन शिविरों में सहयोग दिया है ?

**डा० एम० एम० दास** : कभी ये शिविर राज्य सरकारों द्वारा आयोजित या पोषित किये जाते हैं और कभी विश्वविद्यालयों द्वारा और कभी कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा ; वे हमें लिखते हैं और हम उन्हें धन दे देते हैं ।

**शिविर क्षेत्र**

*८९४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **रक्षा** मंत्री २० सितम्बर को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या **११३६ के** उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार **को विदित** है कि कतिपय स्थानीय संस्थाओं या संगठनों ने सेना के फालतू शिविर क्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर लिया है जो बिकाऊ है और उन्होंने पूर्व-क्रय अधिकार के द्वारा कुछ अधिकार भी अधिग्रहण कर लिये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उस स्थान पर ऐसी भूमि का निश्चित सीमांकन करने के लिये कुछ कार्यवाही की है ; ताकि उसके हस्तान्तरण में सुविधा हो सके ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) जी हां, कुछ अनधिकार अधिग्रहण की सूचना सरकार को मिली है ।

(ख) जी हां ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** इन शिविर क्षेत्रों के सम्बन्ध में कितने विवादों की सूचना सरकार को मिली है ?

**श्री त्यागी :** मुझे ठीक आंकड़े मालूम नहीं हैं, परन्तु.....

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या यह संख्या बहुत अधिक है ?

**श्री त्यागी :** मैं समझता हूं कि यह दो दर्जन के लगभग है ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या शिविर क्षेत्र देने के विषय में सार्वजनिक संस्थाओं को कोई रियायत या अधिमान दिया जायेगा ?

**श्री त्यागी :** अनधिकार क़ब्ज़ा करने वाले व्यक्तियों को कोई रियायत नहीं दी जायेगी । इन शिविर क्षेत्रों के उत्सर्जन के मामले में यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को प्रथम अधिमान दिया जायेगा । यदि वे इनकार करेंगे तब राज्य सरकारों को अवसर दिया जायेगा । उस के पश्चात् स्थानीय निकायों को अवसर दिया जायेगा और यदि उन्हें भी इस भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, तब सहकारी संस्थाओं को देने का विचार किया जायेगा ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** विभिन्न राज्यों में इन शिविर क्षेत्रों का क्षेत्र कितना है ?

**श्री त्यागी :** इस के लिये बड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा और मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

**पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** कुल क्षेत्र कितना है ?

**श्री त्यागी :** मुझे इसकी पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

**सेना की फालतू भूमियों का उत्सर्जन**

*८९६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री २० सितम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और २३ सितम्बर, १९५४ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६६३ के विषय में दिये गये उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सैनिक शिविरों के पास जो फालतू भूमि है, उसके कितने भाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकार अपने अधिकार में लेने का विचार करते हैं ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** उत्तर प्रदेश में शिविरों की फालतू भूमियां जिन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें क्रमशः दिलचस्पी रखती हैं, उन की दो सूचियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर जो सूचियां प्रस्तुत की हैं उनमें इस भाषा का प्रयोग किया गया है :—"And the State Government respectively have shown interest" (और राज्य सरकारें क्रमशः दिलचस्पी रखती हैं) मैं इसका मतलब समझना चाहता हूं कि क्या यह कैंपिंग ग्राउण्ड्स अन्तिम रूप से उन्हें दे दिये गये हैं या वे केवल विचाराधीन हैं और वहां से हटाये भी जा सकते हैं ?

**श्री त्यागी** : यह कैंपिंग ग्राउण्ड्स किसी को नहीं दिये गये हैं । इन को देने से पहले राज्य सरकारों से पूछा गया है कि यदि उन में से किसी को आवश्यकता होगी तो वह कैंपिंग ग्राउण्ड्स पहले राज्य सरकारों को दी जायेंगी । इस सिलसिले में कुछ राज्य सरकारों ने अपनी अपनी ख्वाइशें हमारे पास लिख कर भेज दी हैं कि कौन कौन सी कैंपिंग ग्राउण्ड्स उनके लाभ की हैं ।

**श्री भक्त दर्शन** : इस का मतलब यह है कि अभी इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है, मैं जान सकता हूं कि कितने समय के अन्दर राज्य सरकारें इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लेंगी ?

**श्री त्यागी** : राज्य सरकारों को अपना निर्णय देने के लिये जो अवधि निर्धारित की गयी थी उसकी तारीख खत्म हो चुकी है फिर भी राज्य सरकारों का जवाब साफ साफ नहीं आया है, इसलिये इनसे फिर पूछ-ताछ की जा रही है ।

**श्री भक्त दर्शन** : इस सम्बन्ध में जो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है उस में बतलाया गया है कि सार्वजनिक संस्थाओं को ये कैंपिंग ग्राउन्ड्स "करेण्ट मार्केट रेट्स" पर दिये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस रेट को कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ?

**श्री त्यागी** : इस रेट के निर्धारित करने के लिये सरकारी मुहकमा जो कि उस ज़िले में है, वहां से पूछताछ की जायगी, आमतौर से जो बाज़ार भाव उन ज़मीनों का है उसका पता इससे चलता है कि आसपास की ज़मीनें इस दरमियान में किस भाव पर बिकी हैं ।

**नीलगिरि पहाड़ियों में टोडे**

***८९९. श्री जी० एल० चौधरी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलगिरी पहाड़ियों में टोंडों की संख्या घट रही हैं ; और

(ख) इस आदिमजाति की समाप्ति को रोकने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख): १९५१ की जनगणना में प्रत्येक जाति या आदिमजाति की संख्या नहीं जानी गई थी । "अनुसूचित जातियों" ,"अनुसूचित आदिमजातियों" और "अन्य पिछड़ी हुई श्रेणियों" की केवल कुल संख्या जानी गई थी । प्रत्येक आदिमजाति की जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों के उपलब्ध न होने की अवस्था में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि किस विशिष्ट आदिमजाति की संख्या घट रही है ।

परन्तु मैं सभा को यह बता दूं कि १९११, १९२१, १९३१ और १९४१ की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में अब टोडों की संख्या में कुछ अधिक कमी नहीं हुई है ।

**संघ लोक सेवा आयोग**

***९००. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि सन् १९५३-५४ के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुल्क के रूप में परीक्षकों को कितनी राशि दी गई है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : १,२७,६९५ रुपये ।

**श्री के० सी० सोधिया** : परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी ?

**श्री दातार** : ये सब आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं ।

**श्री के० सी० सोधिया** : क्या समय समय पर परीक्षकों की सूची में संशोधन किया जाता है ?

**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग इन सब विस्तृत प्रश्नों पर लोक हेतु की दृष्टि से विचार करता है, अतः इन के विषय में बताना उचित नहीं है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के लिये हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रूप में लाने का विचार कर रही है और क्या इस विषय में राज्य सरकारों की रायें पूछी गई हैं ?

**श्री दातार** : यह दूसरे प्रश्न से सम्बन्धित है, जो छोड़ दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह नहीं कह सकते ।

**श्री दातार** : जब प्रश्न कर्ता को बुलाया गया तो उनके अनुपस्थित होने के कारण उस प्रश्न को उन प्रश्नों की पंक्ति से निकाल दिया गया था जिनका मौखिक उत्तर मिलना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

**श्री दातार** : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

**श्री तिम्मय्या** : क्या आई० पी० एस०, आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० परीक्षाओं के विभिन्न परीक्षकों को दिये जाने वाले शुल्क की दरों में कुछ अन्तर होता है ?

**श्री दातार** : मैं यह जानकारी देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का प्रतिवेदन**

*९०२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रतिवेदन की इस टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि सरकार के लेखे उस रूप में नहीं रखे जाते जिस से कि विनियोग के अतिरिक्त व्यय से विनियोग व्यय सरलतापूर्वक पृथक् किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आय-व्ययक के रूप में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिससे कि विकास सम्बन्धी व्यय को शीघ्रता पूर्वक अन्य व्यय से पृथक् किया जा सके । इसे अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगने की सम्भावना है क्योंकि इस के द्वारा लेखा पद्धति में बहुत भारी परिवर्तन करना पड़ेगा और नियंत्रक महा लेखा परीक्षक तथा राज्य सरकारों का परामर्श लेना भी अनिवार्य है । मुझे आशा है कि उस समय तक परिवर्तन हो जायेंगे जो आगामी पंच वर्षीय योजना के कार्यकाल से मेल खा सकें । इस से पहले यदि कुछ किया गया तो सांख्यकी की अविरलता पूर्णतया छिन्नभिन्न हो जायेगी

**श्री एन० बी० चौधरी**: क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई कार्यवाही की है कि विकास सम्बन्धी व्यय में से कितनी राशि जो वास्तव में गैर विनियोग व्यय है, पंच वर्षीय योजना के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों के अन्तर्गत किये गये विनियोग व्यय में सम्मिलित की गई है ?

**श्री सी० डी० देशमुख**: कोई विकासेतर व्यय विकास सम्बन्धी व्यय में सम्मिलित नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय**: मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय उस व्यय से है जो अभी हुआ नहीं है किन्तु सम्मिलित है ।

**श्री सी० डी० देशमुख**: क्या वह व्यय जो हुआ नहीं है किन्तु सम्मिलित है ?

**श्री एन० बी० चौधरी**: नहीं, श्रीमान् : मेरा अभिप्राय यह है कि विकास सम्बन्धी व्यय अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी व्यय विनियोग व्यय के रूप में दर्शाया नहीं गया है, किन्तु कोष के प्रतिवेदन के अनुसार इसे विनियोग के अतिरिक्त व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिये था ।

**श्री सी० डी० देशमुख**: यह प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ । बात यह है कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर जो व्यय करते हैं, वह स योजना में विकास सम्बन्धी व्यय के रूप में सम्मिलित नहीं है ।

**श्री एन० बी० चौधरी**: मैं निधि के प्रतिवेदन के पृष्ठ ३० का उल्लेख कर रहा हूं और वहां पर यह टिप्पणी दी गई है इसी सम्बन्ध में उस में समस्त मामले पर विचार किया गया है और यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि गैर विनियोग व्यय को बीत चुके तीन वर्षों के अन्तर्गत व्यय की कतिपय मदों के अधीन विनियोग व्यय के रूप में दिखाया गया है ।

**श्री सी० डी० देशमुख**: माननीय सदस्य ने जिस पृष्ठ का वर्णन किया है, मुझे उस को देखना होगा और इस मामले पर विचार करना होगा ।

## गणतन्त्र दिवस

*९०३. **डा० सत्यवादी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी गणतन्त्र दिवस के समारोह के कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लोक-गीतों और नृत्यों के लिये राज्यों से मण्डलियों को आमंत्रित किया है ; और

(ग) कौन कौन से राज्य अपनी मण्डलियां भेजने को तैयार हो गये हैं ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) एक अस्थायी कार्यक्रम बना लिया गया है ।

(ख) जी हां, लोक नृत्यों के लिये जैसे पिछले वर्षों में किया गया था ।

(ग) आसाम बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उडीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, पैप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, विन्ध्य प्रदेश और पांडीचेरी ।

**डा० सत्यवादी** : क्या सरकार ने इस साल के प्रोग्राम में पिछले साल के प्रोग्राम के मुक़ाबले में कुछ नवीनता लाने के लिये राज्य सरकारों को इस प्रकार का कोई सुझाव दिया है कि वह अपने राज्यों के भिन्न भिन्न हिस्सों की नुमाइन्दगी का खयाल रक्खें ?

**श्री त्यागी**: जी हां, राज्य सरकारें स्वयं इस बात के लिये उत्सुक हैं कि उन के

यहां के जो ग्रुप आयेंगे उन के अन्दर वह पहले के बनिस्बत कुछ नवीनता लायें ।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या जम्मू और काश्मीर सरकार को भी गणतन्त्र दिवस समारोह के लिये अपना कार्यक्रम भेजने के लिये कहा गया था ।

**श्री त्यागी** : मेरे विचार में निमंत्रण सब राज्य सरकारों को भेजा गया है। क्या जाने काश्मीर सरकार का नाम राज्यों के नामों में क्यों नहीं है ।

**श्री के० के० बसु**: मण्डलियां और कलाकार कैसे चुने जाते हैं । क्या चुनाव रक्षा मंत्रालय द्वारा किये जाते हैं या ये राज्य सरकारें स्वतन्त्र रूप से कर रही हैं और बाद में इन के नाम भारत सरकार को भेज दिये जाते हैं ?

**श्री त्यागी**: ये राज्य सरकारों द्वारा चुने जाते हैं ।

**भूतपूर्व ताड़ी वालों का सत्याग्रह**

*९०४. **श्री सी० आर० चौधरी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र राज्य में भूतपूर्व ताड़ी निकालने वालों के सत्याग्रह आंदोलन में और भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा सरकार के पास पड़ी हुई कृषि योग्य बंजर भूमि के वितरण सम्बन्धी आन्दोलन में वस्तुतः कुल कितने व्यक्तियों को कैद किया गया था ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : भूतपूर्व ताड़ी निकालने वालों के सत्याग्रह आंदोलन में वस्तुतः २२१० को क़ैद किया गया था और ५६८ ऐसे व्यक्तियों को क़ैद किया गया था जिन्होंने बंजर भूमियों के वितरण के लिये आन्दोलन किया था ।

**श्री सी० आर० चौधरी**: उन में से कितने रिहा कर दिये गये हैं और कितने अभी तक जेल में हैं ?

**श्री दातार**: सब को रिहा कर दिया गया है और अब कोई भी जेल में नहीं है ।

**श्री सी० आर० चौधरी**: क्या यह सच नहीं कि बहुत से बन्दी--सत्याग्रही-- अभी जेल में हैं ?

**श्री दातार** : हमारी जानकारी के अनुसार वे जेल में नहीं हैं ।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या यह सच नहीं है कि ५० महिला सत्याग्रही अभी जेल में हैं ?

**श्री दातार** : वहां के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ११ महिला कैदियों को रिहा कर दिया गया था ।

**संयुक्त सेवा शाखा**

*९०५. **श्री बोगावत**: **क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि संयुक्त सेवा शाखा की प्रतियोगिता परीक्षा में गणित की परीक्षा अंग्रेजी में होती है ; और

(ख) क्या सरकार का अभ्यर्थियों को गणित की परीक्षा अपनी प्रादेशिक भाषा में देने की अनुमति देने का विचार है ।

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी हां ।

(ख) इस से एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है । सरकार पहले से इस पर विचार कर रही है । इस विषय में जब सामान्य सरकारी नीति निर्धारित की जायेगी, तो संयुक्त सेवा शाखा परीक्षा के मामले में भी इस का अनुसरण किया जायेगा ।

**श्री बोगावत** : अब जब कि गणित प्रादेशिक भाषाओं में पढ़ाया जाता है, क्या बहुत से अभ्यर्थी असफल हुये हैं और इस परीक्षा का या हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में लिया जाना अत्यावश्यक हो गया है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** जैसा कि मैं ने कहा है, इस दृष्टिकोण से गृहकार्य मंत्रालय द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है । जो भी सामान्य नीति निश्चित की जायेगी, वह इस मामले में भी लागू होगी । यहां अन्तर यह है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों की बजाय सामान्य-तया मैट्रिक के विद्यार्थी बैठते हैं । मेरे विचार में गृह मंत्रालय निर्णय करते समय इस पहलू को ध्यान में रखेगा ।

**श्री बोगावत :** क्या उस कारण से जो कि मैं ने अभी बतलाया है गणित में अधिक अभ्यर्थी असफल रहते हैं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** मेरे पास गणित और अन्य विषयों में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों के आंकड़े नहीं हैं ।

**श्री बासप्पा :** इस परीक्षा में कितने उम्मेदवार बैठते हैं और यदि प्रादेशिक भाषायें शुरू कर दी जायें, तो अतिरिक्त व्यय क्या होगा ?

**श्री सतीश चन्द्र :** यह व्यय का प्रश्न नहीं है । यह एक प्रवेश परीक्षा है । यदि इस परीक्षा के लिये माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषायें भी शुरू कर दी जायें, तो अन्य कठिनाइयां जैसा कि उत्तरों के लिये समान रुप से नम्बर देना आदि उत्पन्न होंगी ।

### अहमदनगर दुर्ग

*१०६. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अहमदनगर दुर्ग को जहां १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य निरुद्ध थे, एक संरक्षित स्मारक समझा जाता है ;

(ख) क्या ये सुझाव प्राप्त हुये हैं कि उन कमरों को जिन में नेता रहते थे वैसे ही रखा जाये, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) यद्यपि भारत सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि सम्भवतः राज्य सरकार के सामने यह प्रस्ताव है कि उन कमरों में जिन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य रखे गये थे उन के नामों की तख्तियां लगा दी जायें ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

**श्री एन० एम० लिंगम :** अहमदनगर दुर्ग को प्राचीन स्मारक अधिनियम के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया गया है ?

**डा० एम० एम० दास :** इस दुर्ग को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित नहीं किया गया ।

**श्री एन० एम० लिंगम :** क्या इसे प्राचीन स्मारक अधिनियम के अन्तर्गत लाने का विचार है और क्या उस समय के बाद जब कि नेता १९४२ में वहां निरुद्ध किये गये थे, इस किले के ढांचे में कोई परिवर्तन हुये हैं ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** गवर्नमेंट ने इस प्वाइंट आफ व्यू से इस मामले को नहीं देखा है । यह बात हमें मालूम हुई है कि गवर्नमेंट बम्बई उन तमाम कमरों में जिन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मैम्बर कैद रखे गये थे, तख्तियां लगा रही है । इस से ज्यादा कार्यवाही की जरूरत नहीं है ।

**श्री विभूति मिश्र :** क्या स्वतन्त्रता के संग्राम में जो सिपाही लड़े हैं और जेलों में रहे हैं, उन के बारे में भी कुछ किया जा रहा है ?

**प्राइवेट विद्यार्थी**

*९०७. **श्री रणदमन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है जो अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्राइवेट अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति देते हैं ;

(ख) कुछ विश्वविद्यालय प्राइवेट अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं, और

(ग) क्या उच्चतर शिक्षा के लिये लोगों की बढ़ती हुई इच्छा को ध्यान में रखते हुये सरकार किसी ऐसे उपाय के विषय में सोच रही है जिसके फलस्वरूप प्राइवेट अभ्यर्थी सभी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठ सकें ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास** : (क) देश के चौबीस विश्वविद्यालय कुछ श्रेणियों के प्राइवेट अभ्यर्थियों को कुछ शर्तों पर अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देती हैं ।

(ख) इस मामले का सम्बन्ध स्वयं विश्वविद्यालयों से है, जो कि स्वायत्त निकाय हैं। सम्भवतः वे ऐसी रियायत देना अवांछनीय समझते हैं, क्योंकि इस से स्तर के गिर जाने की सम्भावना होती है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री **रणदमन सिंह**: इस वक्त भारत में कुल कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : ३१ ।

**श्री के० के० बसु** : प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के मामले में क्या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड विभिन्न विश्वविद्यालयों को एक समान नीति का अनुसरण करने की सलाह दे रहा है ?

**मौलाना आज़ाद** : इस पर ग़ौर किया जायेगा ।

**व्यापार तथा मुद्रा**

*९०८. **श्री एल० न० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में राष्ट्रमंडल के देशों ने व्यापार तथा मुद्रा को अधिक अबाध बनाने के सम्बन्ध में एक विश्वव्यापी आन्दोलन करने का जो प्रस्ताव किया था, उस से क्या ठोस परिणाम निकले हैं ; और

(ख) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रमंडल के कुछ सदस्यों ने इस काम में पूर्ण सहयोग नहीं दिया है ?

**वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) परिणाम यह है कि व्यापार तथा भुगतानों का अधिक अबाध बनाने की प्रणाली के लिये कुछ भूमिका तैयार हो गई है । मुद्रास्फीति के दबाव में सामान्य कमी हुई है और स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की विदेशी विनिमय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इस के फलस्वरूप विदेशों में भुगतान के लिये स्टर्लिंग के प्रयोग पर कुछ प्रतिबन्ध ढीले कर दिये गये हैं।

(ख) मुझे ऐसे किसी मामले का ज्ञान नहीं ।

**श्री एल० एन० मिश्र** : राष्ट्रमंडल के देशों के सब प्रयत्नों के बावजूद, कुछ देशों पर, विशेषतया उन देशों पर जो औद्योगिक कच्चा माल निर्यात करते हैं, हाल के मासों में प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ा है ?

**श्री बी० आर० भगत** : सामान्य रूप से सुधार हुआ है । किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं निर्यात मूल्य, विशेषतया

रूई और तिलहन के मूल्य गिर गये हैं और इस से निर्यात करने वाले देशों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डल के देशों के सामने विनिमय का लक्ष्य प्राप्त करने और इसे अधिक लम्बी अवधि तक बनाये रखने के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम रखा है ?

**श्री बी० आर० भगत :** राष्ट्रमंडल सम्मेलन का यही तो उद्देश्य है। प्रत्येक बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा की गई है। यद्यपि सीमित विनिमय प्राप्त कर लिया गया है अन्तिम उद्देश्य यह है कि दीर्घकालीन आधार पर विनिमय हो सके और हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं।

**श्री एल० न० मिश्र :** क्या सरकार का ध्यान, विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ब्लैक के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिन्हों ने ऋण के प्रयोग का विरोध किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऋण के सम्बन्ध में किसी कठोर नीति के अनुसरण से विनिमय की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री बी० आर० भगत :** कौन से ऋण का प्रयोग ? मैं प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझ सका।

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** मेरे विचार में माननीय सदस्य का अभिप्राय निर्यात ऋण प्रबन्ध से है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष ने उस प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया था जिस के कारण बहुत सुगमता से निर्यात ऋण की सुविधा दी जाती है। उन के विचार में सस्ते दरों पर ऋण देने से बैंक के कारबार में बाधा होगी।

**विदेशी विशेषज्ञ**

*९१०. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के विभिन्न परियोजनाओं में काम करने वाले विदेशी शिल्पिकों की संख्या कितनी है ; तथा

(ख) इन में से कितने विशेषज्ञ अपना परामर्श देने के पश्चात् १९५३ में अपने देशों को वापिस लौट गये हैं ?

**वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) :** (क) इस समय भारत में विभिन्न परियोजनाओं में काम करने वाले उन विदेशी शिल्पिकों की संख्या निम्नलिखित है, जिनकी सेवायें इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के अधीन प्राप्त की गयी थी :—

| | | |
|---|---|---|
| | १. संयुक्त राष्ट्र शिल्पिक सहायता प्रशासन। | १० |
| | २. चतुर्थ-सूत्री कार्यक्रम | ६४ |
| | ३. कोलम्बो योजना | २७ |
| (ख) | १. संयुक्त राष्ट्र शिल्पिक सहायता प्रशासन। | १५ |
| | २. चतुर्थ-सूत्री कार्यक्रम | १२ |
| | ३. कोलम्बो योजना | २४ |

**मुल्ला अब्दुल्ला भाई :** क्या मैं उस देश का नाम जान सकता हूं जहां से भारत में अधिकतम संख्या में शिल्पक आये हैं ?

**श्री बी० आर० भगत :** संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन अधिकतम संख्या में शिल्पक भेजते हैं।

**मुल्ला अब्दुल्ला भाई :** उन शिल्पिकों की संख्या कितनी है जो चालू वर्ष में अक्तूबर, १९५४ तक अपने अपने देशों को वापिस लौट गये हैं ?

**श्री बी० आर० भगत :** यहां तो १९५३ की संख्या है, जो मैं उत्तर में बता चुका हूं

**अध्यक्ष महोदय :** यह आगे अक्तूबर १९५४ तक की संख्या चाहते हैं ।

**श्री बी० आर० भगत :** उसके लिये मुझे पृथक् सूचना चाहिये ।

**श्री के० के० बसु :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश की सरकार को, उन विशेषज्ञों को नियुक्त करने से पूर्व उन की कार्यपटुता को निर्धारित करने का कोई अधिकार है, अथवा संघटन स्वयं ही उन्हें चुनते हैं ।

**श्री बी० आर० भगत :** हम उन संघटनों द्वारा चुने हुये लोगों को स्वीकार कर लेते हैं । परन्तु हम इस बात को भी अपने ध्यान में रखते हैं ।

**श्री एन० एम० लिंगम :** मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत ने उन विशेषज्ञों में से किसी को अकार्यकौशल अथवा किसी अन्य आधार पर वापिस भेजा है ?

**श्री बी० आर० भगत :** उसके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं ।

**विदेशी धर्म-प्रचारक**

*९१४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में काम करने वाले विदेशी धर्म-प्रचारकों की राष्ट्रीयता-वार कुल संख्या कितनी है ; तथा

(ख) उन धर्म प्रचारकों की संख्या कितनी है जिन के विरुद्ध भारत-विरोधी कार्य करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं ।

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २५]**

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९६ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

**श्री डी० सी० शर्मा :** इसका क्या कारण है कि राष्ट्र मण्डलीय देशों के धर्म प्रचारकों के अतिरिक्त भी अन्य देशों के ६६८७ धर्म प्रचारक भारत में काम कर रहे हैं ? अंग्रेजी काल में भारत में काम करने वाले धर्म प्रचारकों की तुलना में आज के भारत की यह संख्या कैसी उतरती है ?

**श्री दातार :** इस विवरण में दी गई संख्या का सम्बन्ध राष्ट्र मंडलीय देशों के अतिरिक्त देशों से है ।

**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या मैं चीनी धर्म प्रचारकों की संख्या पूछ सकता हूं ।

**श्री दातार :** ३४ ।

**श्री डी० सी० शर्मा :** वे यहां क्या कर रहे हैं ?

**श्री दातार :** मैं कह नहीं सकता कि ये व्यक्तिगत धर्म प्रचारक क्या कर रहे हैं । परन्तु इस सभा को मैं यह बता सकता हूं कि वे यहां पर या तो अध्यापकों, डाक्टरों, दन्तचिकित्सकों, परिचारिकाओं, शिल्पकों के रूप में हैं या प्रशासनीय कर्मचारियों, समाज सेवकों, धर्मोपदेशकों आदि के रूप में हैं ।

**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या दन्तचिकित्सक और प्रशासक भी धर्म प्रचारकों की श्रेणी में आते हैं ?

**श्री दातार :** दन्तचिकित्सकों की संख्या बहुत कम है, केवल दस है ।

**श्री डी० सी० शर्मा :** माननीय मंत्री ने कहा है ....

**अध्यक्ष महोदय :** वे तर्क वितर्क में जा रहे हैं । कोई धर्म प्रचारार्थ औषधालय हो

सकता है । ऐसी अवस्था में वहां का डाक्टर धर्म प्रचारक होता हुआ दन्तचिकित्सक भी हो सकता है ।

### केन्द्रीय सांख्यकीय संघ

*९१५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राज्य, सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय सांख्यकीय संघ में सम्मिलित हो चुके हैं ;

(ख) उच्च राज्य सांख्यकीय पाठ्यक्रम में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था ; तथा

(ग) क्या केन्द्रीय सांख्यकीय संघ ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली में कोई एकरूपता पैदा की है ?

**वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का आशय राज्य सांख्यिकों के लिये नौकरी के दौरान में उस प्रशिक्षण से है, जो कि १ नवम्बर, १९५४ से केन्द्रीय सांख्यकीय संघ द्वारा चलाया जा रहा है । आंध्र, बिहार, भोपाल, दिल्ली, कच्छ, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के राज्यों ने अपने सांख्यिकों को इस प्रशिक्षण के लिये भेजा है

(ख) ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राज्य सांख्यिकों की संख्या १७ है ।

(ग) हां, श्रीमान । केन्द्रीय सांख्यकीय संघ इस मामले में एक रुपता लाने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहा है । यह कार्य उन सिफारिशों की कार्यान्विति के द्वारा किया जा रहा है जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सांख्यिकों के वार्षिक संयुक्त सम्मेलन के दौरान में की गयी थीं ।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या उन राज्यों के पास, जिन्होंने अपने पदाधिकारी इस प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजे हैं, पहले से ही प्रशिक्षित कर्मचारी हैं अथवा वे अपना काम बिना किसी प्रशिक्षण के ही चला रहे हैं ?

**श्री बी० आर० भगत:** मैं इस विषय में तत्काल कुछ नहीं बतला सकता, किन्तु अब केवल त्रावनकोर-कोचीन के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों ने अपनी सांख्यकीय संस्थाएं स्थापित कर ली हैं और मेरा विचार है कि जिन राज्यों ने प्रशिक्षण हेतु अपने सांख्यिक नहीं भेजे हैं, उन के पास अपना प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग होगा ?

**ाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या यह प्रबन्ध करना वांछनीय नहीं है कि यह काम ठीक प्रकार से चल सके और राज्यों से यह पता चलाया जाये कि क्या उन्होंने अपना प्रबन्ध कर लिया है , अन्यथा उन से कहा जाये कि वे अपने प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण हेतु यहां भेजे ?

**श्री बी० आर० भगत :** स्पष्टतया, सांख्यिकों के वार्षिक संयुक्त सम्मेलन में जिस की गत बैठक अभी हाल ही में हुई थी, यह काम हो रहा है, और सारा काम अधिक वैज्ञानिक तथा समान्वित आधार पर किय जाता है ।

### सैनिक निवृत्ति वेतन

*९१६. **श्री झूलन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलैंड में निवृत्ति प्राप्त रक्षा कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन देने के लिये कौन सी प्रणाली अपनाई गई है ; और

(ख) निवृत्ति वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र मण्डल कार्यालय द्वारा भुगतान करने के

स्थान पर सीधे भुगतान के लिये १९४७ में होने वाले उस मौलिक निर्णय को बदलने अथवा संशोधित करने के सम्बन्ध में, क्या कोई प्रस्थापना है ?

**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) इगलैंड में रहने वाले निवृत्त रक्षा कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन का भुगतान, ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र मण्डल के सम्बन्ध कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

(ख) इगलैंड में रहने वाले भारतीय सशस्त्र सेनाओं के निवृत्ति ब्रिटिश-पदाधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को राष्ट्र मण्डल सम्बन्ध कार्यालय द्वारा निवृत्ति-वेतन के भुगतान का प्रबन्ध, वास्तव में, ३१ मार्च, १९५१ तक जारी रखने के लिये किया गया था । १९५१ में ऐसा सुझाव दिया गया कि यह कार्य लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त अपने हाथ में ले लें । उस समय से ले कर ब्रिटिश सरकार से वैकल्पिक प्रबन्धों के विषय में चर्चा जारी है तथा यह कार्य उच्च आयुक्त को स्थानान्तरित कर देने का सुझाव अभी तक अनिर्णीत स्थिति में ही है ।

**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि उन निवृत्ति कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा उसके उच्च आयुक्त के माध्यम से सीधे भुगतान करने से भारतीय कोष का भार हल्का हो जायेगा ?

**श्री एम० सी० शाह** : इस पर विचार किया गया था, परन्तु अब ब्रिटिश सरकार से एक और वैकल्पिक प्रस्थापना पर चर्चा हो रही है, और जब वह मान ली गई तो वह भारत सरकार तथा देश के हित में होगी ।

**ऐनक के शीशे बनाने का संयंत्र**

*९१७. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐनक के शीशे बनाने के लिये एक प्रयोगात्मक संयंत्र स्थापित करने वाली है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई विदेशी सहायता ली जा रही है;

(ग) इस संयंत्र को चलाने के लिये किन किन कच्ची सामग्रियों की अपेक्षा है ; तथा

(घ) उन में से कौन कौन सी, स्वदेशी साधनों से उपलब्ध हो जायेंगी ?

**प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

**श्री तुषार चटर्जी** : विवरण के भाग (ख) में बताया गया है कि सामान का कुछ भाग विदेश से आयात किया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य के लिये कितनी अनुमानित पूंजी व्यय होगी ?

**श्री के० डी० मालवीय** : भवन निर्माण तथा सामान के क्रय को मिला कर कुल २,१७,००० रुपये का व्यय इस प्रस्ताव में लगेगा, परन्तु सम्पूर्ण प्रस्ताव अभी योजना आयोग के सामने है और इस पर सरकार का अन्तिम निर्णय अभी शेष है ।

**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार इस परियोजना को "भारतीय शीशा तथा चीनी मिट्टी संस्था" का भाग बनाने का विचार रखती है अथवा उसे एक पृथक् प्रशासनीय एक के रूप में ही रखना चाहती है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** यह प्रयोगात्मक परियोजना जिस प्रशासनीय एकक के अधीन कार्य करेगा, वह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् है, और चीनी मिट्टी संस्था इसी परिषद् का एक एकक मात्र है ।

**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या ऐनक का शीशा बनाने के लिये अपेक्षित कच्चा माल भारत में प्राप्य है, अथवा यह इंगलैंड से आयात करना पड़ता है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जैसा कि मैंने बताया है, इसमें से अधिकतर भारत में ही प्राप्त हो जाता है ।

**श्री तुषार चटर्जी :** विवरण में यह बताया गया है कि "नैशनल ब्यूरियो आफ़ स्टैण्डर्डज़" (राष्ट्रीय मान कार्यालय) से एक या दो विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जायेंगी, मैं जानना चाहता हूं कि ये विशेषज्ञ किस देश से आयेंगे ?

**श्री के० डी० मालवीय :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है । सम्भवत: इसके विषय में कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

**बर्मा शैल आयल कम्पनी की छात्र-वृत्तियां**

*९१८. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सर्वश्री बर्मा शैल आयल कम्पनी द्वारा विदेशों में इंजीनियरिंग के उच्च अध्ययन के हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव मंत्रालय के किसी प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है ?

**प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**

**श्री वी० पी० नायर :** बर्मा शैल आयल कम्पनी की इन छात्रवृत्तियों के लिये प्रति वर्ष कितने छात्र चुने जाते हैं और प्रति छात्र क्या वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती ?

**श्री के० डी० मालवीय :** बर्मा शैल के द्वारा दो ऐसी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है जो चार वर्षों तक चलती है और तीन ऐसी छात्रवृत्तियों की जो दो वर्षों तक चलने वाली हैं । छात्र को कैनाडा में ३८२ पाउण्ड अथवा १,५०० डालर प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में, मासिक क़िश्तों में, प्राप्त होता है, जिस के अतिरिक्त उसे कुछ अधिदेय पुस्तकों के मूल्य, आवश्यक सामान इत्यादि के लिये भी मिलता है ।

**श्री वी० पी० नायर :** मैं समझता हूं कि चुने जाने वाले छात्र इंजिनीयर ही होते होंगे । क्या सरकार ने चुनाव करने वाले निकाय में किसी इंजीनियर को सम्मिलित किया है, क्योंकि सात प्रतिनिधियों में एक भी इंजीनियर जान नहीं पड़ता ? क्या अभ्यर्थियों के इंजिनियर सम्बन्धी कौशल के बारे में उन की परीक्षा की कोई व्यवस्था की गई है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** हां, श्रीमान् । चुने जाने वाले अभ्यर्थियों के कौशल की परीक्षा के लिये पूर्ण व्यवस्था की गई है ।

**श्री वी० पी० नायर :** क्या यह सत्य कि गत कुछेक वर्षों से केवल बनारस विश्व-विद्यालय के छात्र ही चुने जा रहे हैं, और यदि ऐसा है तो सके क्या कारण हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय :** नहीं, श्रीमान्, ऐसा नहीं है । १९५२ से लेकर अब तक निम्न-लिखित विश्वविद्यालयों से छात्र लिये गये हैं: लाहाबाद, मद्रास, ड़की, लखनऊ, कलकत्ता तथा मद्रास—मद्रास दो बार ।

**भारतीय विमान बल के चालकों का विदेशों में प्रशिक्षण**

***९१९. श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान बल के कोई चालक जेट विमानों के उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के हेतु विदेश भेजे गये हैं ;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या ; तथा

(ग) उन्हें किन किन देशों में जेट विमान उड़ाने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और उसका क्या परिणाम रहा ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) छः ।

(ग) फ्रांस । चालकों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** : क्या इन चालकों को इस प्रकार के उड्डयन के प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राजतंत्र भी भेजा गया था और क्या उन्होंने वहां भी प्रतियोगिता में भाग लिया था ?

**श्री सतीश चन्द्र** : गत वर्ष जब ऊरागां विमान खरीदे गये थे तो इन चालकों को फ्रांस में प्रशिक्षण के हेतु भेजा गया था । यह १९५३ की बात है : सम्भवतः माननीय सदस्य को हाल ही के उस सम्वाद का ध्यान हो रहा है जिस में यह बताया गया था कि फ्रांस में ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान की गई है ।

**श्री भागवत झा आज़ाद :** मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या इन चालकों को संयुक्त राजतंत्र भेजा गया था अथवा क्या सरकार ने इन देशों में इस प्रकार के उड्डयन के लिये कोई और टुकड़ियां भी भेजी हैं अथवा भेजने का विचार है ?

**श्री सतीश चन्** : प्रश्न का सम्बन्ध जेट विमानों के उड़ानों के प्रशिक्षण से है । जो टीम इस समय यूरोप में है वह किसी प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजी गई है । वे वहां इस लिये गये हैं कि विमान निर्माण के सम्बन्ध में आधुनिकतम विकास का अध्ययन करने के पश्चात् सरकार के पास इस बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

**जन्तर मन्तर (नई दिल्ली)**

***९२०. श्री राधा रमण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में जन्तर मन्तर के अहाते में एक भवन निर्माण करने का निश्चय किया है; और

(ख) क्या यह निश्चय भारत सरकार से परामर्श करने के पश्चात् किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) भारत सरकार को पता है कि राजस्थान सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

**श्री राधा रमण** : यदि ऐसा एक प्रस्ताव जिसके सम्बन्ध में बात हो रही है, सरकार को प्राप्त होता है, तो उसके सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या रुख होगा ?

**डा० एम० एम० दास** : हाल में, राजस्थान सरकार ने जन्तर मन्तर के अहाते के भीतर के कुछ भागों को निकाल देने और केवल शेष को केन्द्रीय सरकार के अधीन रखने का सुझाव दिया है । राजस्थान सरकार को सूचित कर दिया गया है कि उनके द्वारा बताये गये सभी भागों को नहीं, पर कुछ भागों को उन्हें दिया जा सकता है ।

**श्री राधा रमण** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि जन्तर

मन्तर के बगल के एक भवन पर राजस्थान का पहले से ही अधिकार है और उस भवन का रास्ता जन्तर मन्तर अहाते के भीतर से है, जिससे इस पार्क की शोभा बिगड़ती है ।

**डा० एम० एम० दास** : आप के प्रश्न से जैसा कि हमें पता लगा है, वह भवन जन्तर मन्तर के अहाते के भीतर नहीं है । वह बगल में है, पर सरकार का बगल के क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### भारतीय औषधि निर्माण उद्योग

*८७०. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि १ जनवरी, १९५० से १ जून, १९५४ तक भारतीय औषधि-निर्माण उद्योग द्वारा विदेशी संस्थाओं को स्वामिस्व के रूप में कितनी राशि दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार दी गयी सम्पूर्ण राशि क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) और (ख). सरकार के पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि रिज़र्व बैंक, जो विदेशों में भेजे गये धन के आंकड़े रखता है, ने उद्योग वार भेजे गये स्वामिस्व के कोई आंकड़े नहीं रखे हैं ।

### लोक सेवा आयोग परीक्षायें

*८७२. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० अगस्त, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं को अंगरेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में लेने के सम्बन्ध में अब तक कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विनिश्चय का स्वरूप क्या है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) मामला अब भी विचाराधीन है और अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### चीन द्वारा भारत को देय राशि

*८७३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन को जनवादी गणराज्य सरकार ने भारत द्वारा चीन की ओर से युद्ध काल और युद्धोत्तर काल में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान के लिये भारत की प्रार्थना पर विचार किया है, जिस दावे को चीन की भूतपूर्व राष्ट्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि फंसी हुई है और क्या अब तक वह भारत सरकार को प्राप्त हो गयी है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) और (ख). अभी यह मामला चीन की जनवादी गणराज्य सरकार के विचाराधीन है और उस राज्य से अभी तक कोई अन्तिम उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है । कुल धन-राशि १०,८०,१०३ रुपये ३ पाई है ।

### सुपारी का तस्कर व्यापार

*८७५. **पंडित डी० एन० तिवारी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपारी का तस्कर व्यापार काफी बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उससे पता लगता है कि गत कुछ महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से सुपारी के स्थलीय तस्कर-व्यापार में कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है ।

(ख) तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सभी सामान्य उपायों को शक्ति के साथ लागू किया गया है, अर्थात्

(१) सीमावर्ती क्षेत्रों में शुल्क बचाने वालों की रोकथाम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है और उन्हें जीप, ठेला और नावें दी गयी हैं ।

(२) एक केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग की स्थापना की गई है और महत्वपूर्ण केन्द्रों पर गुप्त वार्ता विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गयी है ।

(३) विभिन्न सीमा वर्ती क्षेत्रों में शुल्क बचाने वालों को रोकने वालों और अन्य सचल दलों को विशेष सशस्त्र पुलिस तथा राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता मिलती रहती है ।

**केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन**

*८७७ **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन की सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित कर लिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य केन्द्रीय तथा राज्य सांख्यिकों के प्रथम और द्वितीय संयुक्त सम्मेलन के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं । केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली मुख्य सिफारिशें और उन की कार्यान्विति में हुई प्रगति का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]

**राजस्थान में पेट्रोलियम**

*८८०. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राजस्थान के बीकानेर डिवीज़न जहां अभी तक पेट्रोल निकालने की सम्भावना को ध्यान में रख कर खोज नहीं की गयी है, का एक भूगर्भ सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का विचार करती है ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : हां, श्रीमान् ।

**राष्ट्रीय संग्रहालय भवन**

*८८३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उस पर कितनी धन राशि व्यय की जाने वाली है ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) कुछ भी नहीं ।

**हारनेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर**

*८८७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हारनेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी (काठी और ज़ीन कारखाना) कानपुर में जूता बनाने का संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी हां ।

(ख) इस संयंत्र को स्थापित करने के लिये आवश्यक यंत्रों का पूर्ण विवरण विदेशी संभरणकर्ताओं से प्राप्त कर लिया गया है, और इस मामले का अग्रेतर अध्ययन युद्धास्त्र कारखानों के महानिदेशक द्वारा किया जा रहा है ।

**गृह-मंत्रियों का सम्मेलन :**

*८८९. **श्री भीखा भाई :**
**श्री माधव रेड्डी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नई दिल्ली, में राज्य गृह-मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कार्य-सूची की किन मुख्य बातों पर चर्चा की जायेगी ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय पुलिस, उनके जांच के ढंग, आदि सम्बन्धी मामलों पर विचार किया जायेगा ।

**मध्यभारत में सेना की भूमि**

*८९२. **श्री राधेलाल व्यास:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन (मध्य भारत) में रक्षा विभाग को मध्य भारत के भूतपूर्व रक्षा विभाग से जो बीड़ भूमि प्राप्त हुई है, उसका क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) इस भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) उससे रक्षा विभाग को कितनी आय होती है और उसकी देखभाल पर उसे कितना व्यय करना पड़ता है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) ३५१४ बीघा, १२ बिस्वा ।

(ख) सेना के घोड़ों के लिये चारा प्राप्त करने के विचार से यह भूमि सरकारी नीलाम द्वारा पट्टे पर दी गयी थी ।

(ग) गत दो और वर्तमान वित्तीय वर्षों में इस भूमि से प्राप्त आय इस प्रकार है :—

| | पये |
|---|---|
| १९५२-५३ | १४,१६१ |
| १९५३-५४ | ७,२०० |
| १९५४-५५ | ६,०८० |

इसकी देखभाल पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है ।

**बिहार में पीने के पानी के लिये अनुदान**

***८९५. ठाकुर युगल किशोर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को बिहार के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में पीने के पानी के संभरण के निमित अनुदान सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार इस बात पर सहमत हो गयी है कि वह बिहार के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में हाथ के बम्बे वाले ४,००० नलकूपों के बनवाने का व्यय उपदान रुपी सहायता की एक मद में सम्मिलित कर लेगी और इस सब व्यय में, प्रथम दो करोड़ तक

५० प्रतिशत और इस से अधिक की राशि में ७५ प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय सरकार देगी ।

**सेना में अभिवादन का ढंग**

*८९७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने सेना के कर्मचारियों द्वारा अभिवादन करते समय पैर पटकने के ढंग के विरुद्ध परामर्श दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस परामर्श का परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार इस प्रथा को रोकने का है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**आई० ए० एस० परीक्षा १९५३**

*८९८. **श्री गणपति राम :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३ में हुई आई० ए० एस० भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा के परिणामस्वरूप कितने अभ्यार्थियों को नियुक्ति के लिये वरण किया गया तथा कितने प्रतीक्षा सूची में हैं ; और

(ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आरक्षत निर्धारित भाग को पूरा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) इस परीक्षा के परीणाम-स्वरूप ४२ व्यक्तियों को चुना गया जिनमे से ४१ को भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त कर लिया गया है । एक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में डाक्टरी परीक्षण के बाद की योग्यता का प्रश्न विचाराधीन है । इन नियुक्तियों के लिये कोई प्रतीक्षक सूची नहीं होती है ।

(ख) ८ सितम्बर, १९५४ को प्रख्यापित और सभा-पटल पर रखे गये, भारतीय प्रशासन सेवा (भरती) नियन्त्र, १९५४ के नियम ७(४) तथा ७ (५) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इन नियमों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के जो अभ्यर्थी, प्रशासन की कुशलता का उचित विचार करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति के योग्य समझे जाते हैं, उन को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राप्त स्थान का विचार किये बिना ही, ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों में नियुक्ति के योग्य समझा जाता है । यह भी उपवन्ध किया गया है कि यदि किसी विशेष परीक्षा के परिणामस्वरूप इन जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या समस्त आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त न हों तो शेष अगली परीक्षा के रिक्त स्थानों के आरक्षित निर्धारित भाग में जोड़ दिय जायेंगे।

**औद्योगिक व्यवस्था सेवा आदि**

*९०१. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या गृह-कार्य मंत्री १५ अगस्त, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यकीय तथा आर्थिक मंत्रणा सेवा तथा औद्योगिक व्यवस्थासेवा की स्थापना की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; तथा

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). योजनाओं का अभी अन्तिम रूप में निर्णय नहीं हुआ है। मामले अभी तक विचराधीन हैं।

**अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद्**

*९०९. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का गठन तथा इस के कार्य क्या हैं ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) जी हां।

(ख) संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**.

**संकेत-लिपिकों की परीक्षा**

*९११. **सरदार ए० एस० सहगल**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई संकेत-लिपिकों की परीक्षा २३ तथा २४ नवम्बर, १९५४ को नहीं ली जा सकी ;

(ख) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में दूसरी परीक्षा होगी ; तथा

(ग) यदि हां, तो जो लोग पहिले ही परीक्षा दे चुके हैं, उन पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह पक्की तरह मालूम कर लिया गया है कि संकेत-लिपिकों की यह परीक्षा आयोग द्वारा पूर्व घोषित अनुसूचित समय पर ही हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उत्पन्न होते।

**सैनिकों की पेंशनें**

*९१२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के अनियमित अधिकारियों को पेंशन की सुविधायें देने के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ख) इन अधिकारियों को ये सुविधायें कब से मिलने लगेंगी ; और

(ग) क्या वही निर्णय उन लोगों के सम्बन्ध में भी लागू किया जायेगा जो पहले सेवा से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) से (ग). अनियमित पदाधिकारियों, जिनमें आपात कालीन कमीशन प्राप्त पदाधिकारी भी शामिल हैं, तथा अस्थायी एवं अल्पकालीन कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों को पेंशन उपदान देने की शर्तों के पुनरीक्षण का प्रश्न पिछले कई वर्षों से सरकार के समक्ष है। इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय हो चुके हैं तथा शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने वाले हैं। पेंशन (निवृत्ति वेतन)। उपदान की ये उदार शर्तें उन अनियमित पदाधिकारियों पर लागू होंगी जो पहली जून, १९५३ को अथवा उसके पश्चात् सेवा-मुक्त हो चुके हैं, पंगु हो चुके हैं, युद्ध में काम आ चुके हैं अथवा जो विहित शर्तों को पूरा करते हैं।

**शिक्षा का केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड**

*९१३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने अपनी बीसवीं तथा इक्कीसवीं बैठक में स्वीकृत, राज्य सरकारों से क्या क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) कितने राज्यों ने इनको कार्यान्वित कर दिया है ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद):** (क) सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) सूचना अभी अपूर्ण है । जनवरी, १९५५ को बोर्ड की अगली बैठक में रखने के लिये, विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

**भूतपूर्व सैनिकों का युद्धोत्तर निर्माण कोष**

*९२१. **कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये पृथक् किये गये भूतपूर्व सैनिकों का युद्धोत्तर निर्माण कोष किस प्रकार व्यय किया गया ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी):** इस कोष का उपयोग शिक्षा के लिये छात्र-वृत्ति वग़ीफे देने, भूतपूर्व सैनिकों के टेक-निकल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्मित क्षयरोग अस्पताल को डाक्टरी सहायता देने, सेंट डन्सटन के उत्तर परिचर्या संगठन, देहरादून को दान देने, विभिन्न भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी सभाओं को ऋण देने तथा कोष के प्रशासन के कर्मचारियों के व्यय में किया गया ।

**राजस्थान को अनुदान**

*९२२. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ के दौरान, संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार से कितना अनुदान मांगा ; तथा

(ख) वास्तव में कितनी राशि स्वीकृत हुई ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):** (क) १३ लाख रुपये ।

(ख) १२·७५ लाख रुपये ।

**विदेशी विनिमय**

*९२३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा वियत नाम के प्रजातांत्रिक गणराज्य के बीच पारस्परिक विनिमय की दर निश्चित करने की बातचीत पूर्ण हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ;

(ग) यह पहिले प्रचलित विनिमय की दर की तुलना में कैसा है ;

(घ) क्या विनिमय दर से भारतीय मुद्रा का मूल्य घट गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) हमारे तथा वियत-नाम के प्रजातंत्रीय गणराज्य के मध्य कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उत्पन्न होते ।

**नैपाल की मुद्रा**

*९२४. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैपाल की सरकार ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) और (ख). नैपाल की मुद्रा का सम मूल्य कभी निश्चित नहीं रहा, इससे अव-

मूल्यन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु यह सूचना मिली है कि नैपाल सरकार ने १४ अक्तूबर, १९५४ से भारत तथा नेपाल के रुपये की विनिमय दर को जिसके अनुसार १५० नेपाली रुपये भारत के १०० रुपयों के बराबर होते हैं, को नियंत्रित करने के पूर्व प्रयत्नों को त्याग दिया है। तब से बाजार की विनिमय दर १०० भारतीय रुपयों पर, १८० नेपाली रुपयों के लगभग है। नेपाल तथा भारत के बीच विनिमय दर बदलती रहती है। यद्यपि ऐसे परिवर्तनों से दोनों देशों के बीच व्यापार पर प्रभाव पड़ता है तथापि इससे भारत की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

**वस्तुरूप पुनर्विलोकन**

*९२५. **श्री के० सी० सोंधिया :**
**पंडित डी० एन० तिवारी :**

क्या **वित्त** मंत्री २८ सितम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १४४० के उत्तर के सम्बन्ध में, सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि :

(क) जैसा कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ १० में उल्लिखित है, विभिन्न मंत्रालयों के संगठन तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं के वस्तुगत पुनर्विलोकन के लिये पदाधिकारियों का जो दल नियुक्त किया गया था, उसकी कौन सी विशिष्ट सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत की गई, क्रियान्वित की गई अथवा विचारार्थ हैं ;

(ख) इन सिफारिशों को वित्तीय आलिप्ति क्या होगी तथा प्रत्येक मंत्रालय के कर्मचारी-वर्ग की वर्तमान संख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). विभिन्न मंत्रालयों के संगठन तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं का वस्तुगत पुनर्विलोकन करने के लिये जो पदाधिकारियों का विशेष दल नियुक्त किया गया था उसकी स्वीकृत सिफारिशों पर आर्थिक व्यय लगभग ५४ लाख रुपये वार्षिक है। जो सिफारिशें यथार्थ में क्रियान्वित की जा रही हैं अथवा जो सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं, उनका मंत्रालयों के कर्मचारियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अदि सम्बन्धी सिफारिशों का विस्तृत विवरण विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों से एकत्र किया जा रहा है तथा यथासम्भव शीघ्रता से सभा पटल पर रखा जायेगा।

**योग्यता छात्र-वृत्तियां**

*९२६. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष, सार्वजनिक विद्यालयों में अध्ययन के लिये भारत सरकार की योग्यता छात्र-वृत्ति से सम्बन्धित कोई परीक्षा हुई ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : जी हां।

**विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग**

*९२७. **श्री एल० एन० मिश्र :**
**श्री इब्राहीम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये विश्व बैंक ने जो ऋण स्वीकार किया था उससे भारतवर्ष ने अभी तक कोई लाभ नहीं उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) जी नहीं। वह ऋण २९ अक्तूबर,

१९५४ से ही मिलना शुरू हुआ है और सका उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**विभिन्न भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों के अधिकार**

*९२९. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **शिक्षा** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न भाषाभाषी अल्पसंख्यकों के शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी अधिकारों का परिरक्षण करने के लिये कोई निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई ऐसे प्रतिवेदन मिले हैं जिसमें कहा गया हो कि राज्यों ने उन निदेशों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया है ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) तथा (ख). २३ फरवरी, १९५४ को लोक-सभा में श्री बी० सी० दास के तारांकित प्रश्न संख्या २७४ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

**उड्डयन सम्बधी विकास**

*९३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा के प्रयोजनों के लिये उड्डयन के विकास तथा गवेषणा की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रविधिक विकास (वायु) तथा उत्पादन के लिये एक निदेशालय की स्थापन करने का निर्णय किया गया था और अप्रैल १९५४ में बीज रूप में उसकी स्थापना की गई थी ।

**राज्य पुनर्गठन आयोग**

*९३१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पनर्गठन आयोग ने अब तक कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) तथा (ख). २५ अगस्त, १९५४ को श्री कृष्णाचार्य जोशी के तारांकित प्रश्न संख्या ९८ का जो उत्तर मैं ने दिया था उसकी ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करता हूं । उस उत्तर में मुझे कुछ और नहीं जोड़ना है । उस समय मै ने बताया था कि न तो कोई ऐसा प्रतिवेदन आया है और न मांगा ही गया है ।

**भारत सरकार की टकसाल**

*९३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की टकसाल के लिये बहुत अधिक अतिरिक्त सामान और भण्डार क्यों खरीदा गया है जब कि बहुत समय से ८ लाख रुपये का सामान बिना काम में आये हुये पड़ा है और जो कि आगामी कई वर्षों तक टकसाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ;

(ख) इस फालतू सामान को काम में लाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ;

(ग) क्या सरकार को ऐसे अनावश्यक क्रयों का पता है ;

(घ) क्या ऐसे क्रयों को रोकने के लिये कोई आदेश दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें कब लागू किया जायेगा ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) तथा (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विशिष्ट जानकारी मांगी गई है । भारत सरकार की तीन टकसालों का अच्छी तरह कार्य चलाने के लिये यह अत्यावश्यक है कि आवश्यक भण्डार पहले से ही एकत्र कर लिया जाये और इस प्रकार अतिरिक्त सामान को एक कर लेना कोई असाधारण बात नहीं है ।

यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से भण्डार ४ लाख रुपये के बताये गये हैं । तीनों टकसालों एवं चांदी साफ करने के केन्द्र में एकत्र भण्डार का कुल मूल्य तो ४ लाख रुपये से बहुत अधिक है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि उपकरण से उनका क्या अभिप्राय है । इन चारों इकाइयों में जो मशीनें एवं संयंत्र लगे हुये हैं, वे भी करोड़ों रुपये के हैं । टकसालों के लिये अभी हाल में कोई क्रय नहीं किया गया है, किन्तु चांदी साफ़ करने के केन्द्र ने जिस सामान को मंगाने का जो आदेश दिया था वह आना शुरू हो गया है ।

(ग) अनावश्यक क्रय का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है । औपचारिक स्वीकृति देने से पहले क्रय किये जाने वाले सामान की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है ।

(घ) तथा (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

### कुम्भ मेला दुर्घटना

*९३४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री कुम्भ मेला दुर्घटना के बारे में २ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति का प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुम्भ मेला दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त की थी, मिल गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखेगी ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत सरकार को उस समिति का प्रतिवेदन अभी तक नहीं मिला है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

### अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को फिर से काम पर लगाना

*९३५. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय असैनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासन सेवा के उन अवकाश-प्राप्त पदाधिकारियों के क्या नाम हैं जिन्हें १५ अगस्त, १९४७ के बाद से सरकारी संस्थानों में प्रबन्ध सम्बन्धी अथवा अन्य उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है ; और

(ख) उनको फिर से काम पर लगाने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) ऐसा केवल एक ही मामला है जहां श्री पी० एस० राव को भारतीय असैनिक सेवा से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् दामोदर घाटी निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ।

(ख) उनकी नियुक्ति इसलिये की गई थी क्योंकि नियुक्ति के लिये वे ही अत्यधिक उपयुक्त एवं उपलब्ध व्यक्ति थे ?

**केन्द्रीय औषध गवेषणा संस्था लखनऊ**

*९३६. **डा० जे० एन० पारिख :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औषीध गवेषणा संस्था लखनऊ, में गवेषणा की विशिष्ट मदों के क्या परिणाम हैं ; और

(ख) आयुर्वेदिक गवेषणा संस्था, जामनगर में गवेषणा की विशिष्ट मदों के क्या परिणाम हैं ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) वांछित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**गवेषणा समितियां**

*९३७. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के तत्वावधान में कितनी गवेषणा समितियां कार्य कर रही हैं ;

(ख) कितने समय से वे कार्य कर रही हैं ;

(ग) क्या ये समितियां स्थायी प्रकार की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन समितियों के कर्मचारियों की सेवायें स्थायी कर दी गई हैं ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) तथा (ख). वांछित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**भू-भौतिकी निर्माणशाला**

*११९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-भौतिकी निर्माणशाला में १९५४ में कोई नये प्रकार के इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्स्ट्रूमेंट (क्षेत्रीय कार्य के बिजली के औज़ार) बनाये गये थे ; और

(ख) इस निर्माणशाला में औज़ारों तथा उपकरणों की कहां तक मरम्मत की गई ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) तथा (ख). । वांछित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

**तेल निक्षेप का सर्वेक्षण**

६२८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जो तेल के निक्षेप बताये जाते हैं, उनकी कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) तथा (ख). वांछित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

**पंजाब को ऋण**

६२९. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न प्रयोजनों के लिये पंजाब सरकार को कितनी सहायता, आर्थिक सहायता, अनुदान अथवा ऋण दिये गये हैं :

(१) कुटीर उद्योग, (२) सिंचाई के छोटे छोटे निर्माण-कार्य (३) सड़कें, (४) छोटे छोटे बांधों का निर्माण, (५) पहाड़ों में कटाव विरोधी उपबन्ध, (६) पुल, (७) विशेष प्रकार के प्रशिक्षण, (८) जंगली पशुओं तथा चिड़ियाओं का विनाश, (जो फसल नष्ट करते हैं), (९) स्वास्थ्य तथा सफाई, और (१०) शिक्षा ।

(ख) क्या राज्य सरकार से कोई प्रगति प्रतिवेदन मांगा गया है ;

(ग) कांगड़ा ज़िले का विकास करने के लिये इस प्रकार की कितनी योजनायें बनाई गई थीं एवं उन पर कितना व्यय हुआ ;

(घ) क्या योजना काल के शेष समय के लिये कोई नई योजनायें प्रस्तुत की गई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, तथा वे किस प्रकार की हैं ; और

(च) उन में से किन का सम्बन्ध विशेषत: कांगड़ा ज़िले से है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**भारत-अमरीकी इंजन् करार के अधीन डिब्बे आदि**

६३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को १०० इंजनों और ५,००० माल-डिब्बों को देने के लिये भारत-अमरीकी टेकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन अमरीका के साथ जो संविदा हुआ था, उसकी शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वह परिवर्तन किस प्रकार का है ;

(ग) क्या वैदेशिक सहायता कार्यक्रम के अधीन जापान, अमरीका और योरुप द्वारा दिये जाने वाले इंजनों और माल-डिब्बों की क़िस्म, दर, टिकाऊपन आदि के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं होगा ; और

(घ) इस प्रकार की साहयता के अन्तर्गत अभी तक भारत को कितने मूल्य का सामान मिल चुका है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भ में विचार यह था कि इंजिन तथा माल के डिब्बे, विश्व-बाज़ार में जो सबसे सस्ते टेण्डर देंगे उन्हीं से क्रय किये जायेंगे । टेण्डर खुल जाने के बाद अमरीकी सरकार ने यह इच्छा प्रकट की कि अमरीकी संभरण कर्ताओं को ५० प्रतिशत इंजनों तथा ४० प्रतिशत माल के डिब्बों के ही आदेश दिये जायें, हालांकि उनका मूल्य ऊंचा मांगा गया था, किन्तु फिर भी भारत सरकार की स्वीकृति उन्होंने प्राप्त कर ली । अमरीका को इस प्रकार के जो आदेश दिये गये थे उनमें जो अतिरिक्त मूल्य देना पड़ा उसका भुगतान अमरीका को उस निधि में से करना पड़ा जो भारतवर्ष के लिये निर्धारित नहीं थी । और चूंकि १०० इंजिनों तथा ५,००० माल के डिब्बों का संभरण भारतीय रेलवे स्तर की विशिष्टताओं के अनुसार उसी अवधि के भीतर भारतवर्ष को कर दिया गया, जो कि पहले निश्चित हुआ था, अत: भारत सरकार ने

अमरीकी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।

(ग) संभरण के साधन की बात को छोड़ कर, संभरण भारतीय रेलों की विशिष्टताओं के ही अनुसार होगा । किन्तु जैसा कि पहले भी बताया गया था, इंजिनों तथा माल के डिब्बों का मूल्य, जो अमरीका से आयेंगे, यूरोप से आने वालों की अपेक्षा अधिक होगा और वे भी जापानी मूल्य की अपेक्षा अधिक हैं ।

(घ) रेल के डिब्बे तथा इंजिन क़रार के अधीन अभी तक कुछ भी सामान एवं उपकरण नहीं आया है । ऐसी आशा की जाती है कि क़रार के अधीन इंजिनों तथा माल के डिब्बों की आमद ३१ दिसम्बर, १९५५ तक पूरी होगी ।

**अहमदाबाद वस्त्रोद्योग गवेषणा सन्था**

६३१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्रोद्योग में गवेषणा तथा विकास के लिये अहमदाबाद वस्त्रोद्योग गवेषणा सन्था की प्रयोगशालाओं में १९५४ में अब तक किन किन मुख्य समस्याओं पर खोज की गई है ;

(ख) इस काल में अहमदाबाद वस्त्रोद्योग गवेषणा सन्था ने उद्योग को क्या सहायता दी है ; और

(ग) वस्त्र-मिलों के लिये कितने गवेषणात्मक प्रयोग किये गये हैं ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

**विदेशी-जन अधिनियम, १९३९**

६३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान के कुल कितने आदिम जाति पठानों को विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अधीन पंजीयन से छूट दी गई है ; और

(ख) उन को और क्या सुविधायें दी गई हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) कुछ भी नहीं ।

(ख) कोई नहीं ।

**सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले**

६३३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २ जुलाई से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कुल कितने भ्रष्टाचार के मामले (राज्यवार) विशेष पुलिस संस्थापन को सौंपे गये हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**वाघा (पंजाब) सीमा पर तस्कर-व्यापार**

६३४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाघा सीमा पर तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) १९५२ तथा १९५३ में कितने तस्कर-व्यापार करने वालों को दण्ड दिया गया ;

(ग) उनमें कितने भारतीय और कितने पाकिस्तानी थे ;

(घ) क्या किसी दोषसिद्ध के पास दोनों में से किसी देश का पारपत्र था ; और

(ङ) यदि हां, तो वे कितने थे ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) भारत-पाकिस्तान सीमा के बाघा-अटारी-क्षेत्र में तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने जो कार्यवाही की, उसका ब्यौरा एक भिन्न विवरण में सम्मिलित है, जो कि सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ख) तथा (ग). १९५२ और १९५३ में क्रमानुसार १३३ तथा ८७ तस्कर-व्यापार करने वालों को दण्ड दिया गया और उनकी राष्ट्रीयता निम्नानुसार है :—

| | भारतीय | पाकिस्तानी |
|---|---|---|
| १९५२ | ११६ | १७ |
| १९५३ | ६९ | १८ |

**(घ) तथा (ङ).** किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति के पास दोनों में से किसी भी देश का पारपत्र नहीं था ।

### विदेशी बैंक

**६३५. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में कितने बैंकों ने, जिनमें विशेष रूप से विदेशी पूंजी और प्रबन्ध था, भारत में कार्य करना बन्द कर दिया है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : कदाचित माननीय सदस्य ऐसे बैंकों की संख्या जानना चाहते हैं जो भारत के बाहर निगमित हुये थे और जिन्होंने भारत में कार्य करना बन्द कर दिया है । सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, जनवरी, १९५१ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक ऐसे चार बैंकों ने अपना कार्य बन्द कर दिया है । एक विवरण, जिसमें उनके नामों, बन्द होने के दिनांकों तथा उनका संक्षेप वर्णन है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]**

### राष्ट्रीय योजना ऋण प्रमाणपत्र

६३६. **श्री डी० सी० शर्मा :**
**श्री रामचन्द्र रेड्डी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ सितम्बर, १९५४ तक राष्ट्रीय योजना ऋण के आधार पर कितना धन प्राप्त हुआ था ;

(ख) राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र के आधार पर अब तक कितना प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस प्रकार प्राप्त किया गया धन किस योजना में व्यय होगा ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) लगभग १५८·१० करोड़ रुपये ।

(ख) २० नवम्बर, १९५४ तक लगभग ५·०१ करोड़ रुपये ।

(ग) यह केन्द्र तथा राज्यों की विकास योजनाओं पर व्यय होगा ।

### युद्धास्त्र अध्ययन संस्था

**६३७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कुल कितने व्यक्तियों ने युद्धास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी, में युद्धास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : आजकल अध्ययन संस्था में प्रथम दो पाठ्यक्रम चल रहे हैं । प्रथम प्राविधिक कर्मचारी-पदाधिकारी पाठ्यक्रम के अधीन १० पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । यह पाठ्यक्रम अक्तूबर, १९५३ में आरम्भ

हुआ था। १६ अधिकारी द्वितीय पाठ्यक्रम के अधीन, जो अक्तूबर, १९५४ में आरम्भ हुआ है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दोनों प्रशिक्षणों की अवधि लगभग १८ मास है।

**कल्याण विस्तार परियोजनायें**

६३८. **श्री डाभी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने अक्तूबर, १९५४ में विभिन्न राज्यों में एक सौ बीस कल्याण विस्तार परियोजनायें आरम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें कहां कहां आरम्भ की गई हैं ;

(ग) प्रत्येक परियोजना का क्षेत्र क्या है ; और

(घ) इन परियोजनाओं से किस प्रकार का काम होगा ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) जी नहीं। अक्तूबर, १९५४ में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में केवल ६३ कल्याण विस्तार परियोजनायें आरम्भ की हैं।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(घ) कल्याण विस्तार परियोजना योजना के अधीन मुख्यता स्त्री तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में सेवा प्राप्त होगी।

**प्रादेशिक भाषायें**

६३९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन किन राज्यों ने प्रादेशिक भाषा को राज्य की सरकारी भाषा मान लिया है ; और

(ख) बहुभाषी राज्यों की क्या स्थिति है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) (१) मध्य प्रदेश

(२) बिहार

(३) उड़ीसा

(४) उत्तर प्रदेश

(५) राजस्थान

(६) सौराष्ट्र

(७) मध्य भारत

(८) अजमेर

(९) कच्छ

(१०) विन्ध्य प्रदेश—इंगलिश तथा हिन्दी दोनों, जो कि प्रादेशिक भाषायें हैं, सरकारी कार्यों के लिये प्रयोग होती हैं। ७५ प्रतिशत प्रशासकीय कार्य हिन्दी में होता है।

(ख) (१) **आसाम**—किसी भी प्रादेशिक भाषा को राज्य की सरकारी भाषा नहीं माना गया है। सरकारी भाषा के रूप में इंगलिश प्रयोग होती है।

(२) **बम्बई**—(१) भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों तथा राज्य सरकार व ज़िला अधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार में अंगरेज़ी भाषा प्रयोग होती है।

(२) ज़िला अधिकारियों तथा उन से नीचे सरकारी भाषा सम्बन्धित ज़िला की प्रादेशिक भाषा है, अर्थात् गुजराती, मराठी, हिन्दी या कन्नड़। कुछ ज़िलों के कुछ ताल्लुकों मुहलों पेठों को द्विभाषी क्षेत्र माना गया है और उन क्षेत्रों में दो भाषायें सरकारी भाषाओं के रूप में प्रयोग होती हैं।

(३) **मद्रास**—तामिल, मलयालम तथा कन्नड़ राज्य की प्रादेशिक भाषायें हैं। राज्य

सरकार ने किसी भी प्रादेशिक भाषा को राज्य की सरकारी भाषा नहीं माना है ।

(४) **पंजाब**––किसी प्रादेशिक भाषा को राज्य की सरकारी भाषा नहीं माना है । हिन्दी तथा पंजाबी प्रादेशिक भाषायें हैं।

(५) **पेप्सू**––असैनिक सचिवालय के अतिरिक्त राज्य के अन्य समस्त असैनिक कार्यालयों में प्रादेशिक भाषा में कार्य होता है । राज्य दो क्षेत्रों में विभक्त है, हिन्दी-भाषी क्षेत्र तथा पंजाबी-भाषी क्षेत्र । हिन्दी-भाषी क्षेत्र में हिन्दी (देवनागरी लिपि) में सरकारी भाषा है और पंजाबी-भाषी क्षेत्र में पंजाबी (गुरुमुखी लिपि में) सरकारी भाषा है । दोनों क्षेत्रों में याचिकायें दोनों भाषाओं में स्वीकार की जाती हैं ।

(६) **हैदराबाद**––(१) हिन्दी, उर्दू तेलंगु, मराठी तथा कन्नड़ प्रादेशिक भाषायें हैं ।

(२) सचिवालय तथा विभागों के मुख्याधिकारियों के साथ, ज़िला अधिकारियों तथा सचिवालय के बीच, और राज्य सरकार के भिन्न भिन्न सचिवालयों के बीच होने वाला पत्र-व्यवहार इंगलिश में होता है ।

(३) ज़िला में अधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार ज़िला की भाषा में होता है ।

(४) विभिन्न व्यवहार तथा दण्ड न्यायालयों में हिन्दी, उर्दू, तेलगू, मराठी और कन्नड़ को न्यायालय की भाषा (यें) मान लिया गया है ।

आन्ध्र, पश्चिमी बंगाल, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली और त्रिपुरा ऐसे छः राज्य हैं जिन्होंने न तो प्रादेशिक भाषाओं को ही राज्य की सरकारी भाषा माना है और न वे बहुभाषी राज्य हैं । बाक़ी छः राज्यों, अर्थात् त्रावनकोर-कोचीन, मैसूर, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा अण्डमान और निकोबर द्वीप समूह, से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**मैसूर में हरिजन विद्यार्थियों को अनुदान**

६४०. **श्री केशव गार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता उन्मूलन योजना के अधीन मैसूर सरकार या हिरजन सेवक संघ को उस राज्य में हरिजन विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा के लिये कोई धन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के निमित्त १९५४-५५ के लिये कितना धन दिया गया है ; और

(ग) यदि १९५३-५४ के लिये ऐसी हो कोई धनराशि दी गई थी तो वह कितनी थी ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये केन्द्र से राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया जाता है वह विशेषतया विस्तृत प्रचार तथा राज्य सरकारों के प्रयत्नों को अभिपूर्ति करने के लिये होता है । अतः विभिन्न योजनाओं के लिये, जिन्हें वे चलाना चाहती हैं, धन नियत करना और ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ग़र-सरकारी संस्थाओं को चुनना राज्य सरकारों का कार्य है ।

**साक्षरता**

६४१. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ख) १९५१ में १९४१ की अपेक्षा वृद्धि का प्रतिशत क्या था ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) क्योंकि साक्षरता के आंकड़े केवल जनगणना के वर्षों के ही मिलते हैं, अतः अपेक्षित प्रतिशत नहीं निकाला जा सकता ।

(ख) लगभग २५ प्रतिशत ।

**सेवा निवृत्ति नियम**

**६४२. श्री एन० एस० जैन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में कितने श्रेणी १ के पदाधिकारियों को, मंत्रालयवार, निवृत्ति पाने से पहले प्रथानुसार चार महीने की छुट्टी नहीं मंजूर की गई ;

(ख) इसी अवधि में कितने श्रेणी १ के पदाधिकारियों को, मंत्रालयवार, इस प्रकार की छुट्टी मंजूर की गई ; और

(ग) किन बातों के आधार पर इस प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की गई ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है, और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रखी जायेगी ।

**सेवा-काल में वृद्धि**

**६४३. श्री एन० एस० जैन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में, मंत्रालय-वार, कितने श्रेणी १ और श्रेणी २ के पदा-धिकारियों (पृथक् आंकड़े) को क्रमशः पहली, दूसरी अथवा तीसरी बार अतिवयस्कता प्राप्त करने पर सेवा-काल में वृद्धि की अनु-मति दी गई ; और

(ख) इसी अवधि में विभिन्न मंत्रा-लयों में कितने समय तक कितने श्रेणी १ और श्रेणी २ के अतिवयस्कता-प्राप्त पदा-धिकारियों को पुनः काम में लगाया गया ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ३९]**

**चुनाव में हुआ व्यय**

**६४४. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेप्सू और त्रावनकोर-कोचीन की विधान-सभाओं के लिये जो पिछले चुनाव हुये थे, उनके सम्बन्ध में जो व्यय हुआ, उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

**सेना के तम्बू**

**६४५. श्री एन० बी० चौधरी**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से कलकत्ता पत्तन के मार्ग से एस० एस० "ईस्टर्न कुईन" पोत द्वारा सेना के तम्बू सिंगापुर भेजे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये तम्बू मलाया सरकार अथवा कुछ व्यक्तियों को भेजे जा रहे हैं ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). मलाया सरकार या मलाया के लोगों को सेना के भाण्डार या अतिरिक्त भाण्डार से कोई भी तम्बू जहाज़ द्वारा नहीं भेजे जाते । यों तो ग्रेट ब्रिटेन के सम्भरण मंत्रालय ने १९५३-५४ में सम्भरण

के महानिदेशक द्वारा भारत में व्यापार के लिये एक यह आदेश भेजा था कि सम्भरण मंत्रालय द्वारा नामनिर्वाचित प्रेष्य व्यक्तियों को कुछ तम्बू दिये जायें । इन तम्बुओं के भेजने वालों को सूची देने वाले व्यक्ति द्वारा उल्लिखित प्रेष्य व्यक्तियों को तम्बू भेजने के लिये स्वयं ही जहाज़ आदि की व्यवस्था करनी होगी । सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं कि प्रेषकों द्वारा ये तम्बू एस० एस० "ईस्टर्न कुईन" जहाज़ द्वारा भेजे जा रहे हैं ।

**गढ़वाल ज़िले का भूतत्वीय परिमाप**

६४६. **श्रीमती कमलेन्दुमती शाह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** २२ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में भूतत्ववेत्ताओं ने गढ़वाल ज़िले के किन किन स्थानों का दौरा किया ; और

(ख) उक्त ज़िले में खनिज पदार्थों के संसाधन के सम्बन्ध में उन्होंने किस प्रकार की रिपोर्ट दी है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

---

बुधवार, ८ दिसंबर १९५४

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-98
Fumigated On 7/11/83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

( खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

# विषय-सूची

## खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

---

### अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.


| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु . . . . | १२०५–०६ |
| स्थगन प्रस्ताव — | |
| बैंक कर्मचारियों की हड़ताल . . . . . | १२०७–१२ |
| राज्य-सभा से सन्देश . . . . . | — |
| ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . . . | १२१३–१४ |
| याचिका प्राप्त . . . . . | १२१४ |
| तांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . | १२१४–१५ |
| भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति— | |
| छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . | १२१५–१६ |
| ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— | |
| खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . | १२१६–८६ |
| खंड ६६ से ८० . . . . . | १२१८–२७ |
| खंड ८१ से ८८ . . . . . | १२२७–५७ |
| खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . . | १२५७–८६ |


---

### अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.


| | |
|---|---|
| भा का कार्य— | |
| सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . . | १२८७–८८ |
| ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— | |
| खण्डों पर विचार—समाप्त . . . | १२८४–१३८७ |
| खण्ड २२ . . . . . | १२८८–१२९६ |
| खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क | |
| खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया | |
| खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . . | १२९६–१३७६ |
| संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . . | १३७६–७८ |


---

## अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४


| | स्तम्भ |
|---|---|
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . . | १३७९–८ |
| विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें . | १३८०–८ |
| पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन . . . . | १३८ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| याचिका उपस्थापित . . . . . | १३८ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . . | १३८१ |
| तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . . | १३८२ |
| दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित | १३८२–१४३१ |
| श्री एम० ए० अय्यंगार . . . . . | १३८३–८९ |
| श्री ए० एम० थामस . . . . . | १३८९–९२ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी . . . . . | १३९२–९७ |
| श्री एस० एस० मोरे . . . . . | १३९७–९९ |
| श्री दातार . . . . . | १३९९–१४०७ |
| पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . | १४०७–१३ |
| श्री एन० सी० चटर्जी . . . . . | १४१३–१५ |
| श्री आर० डी० मिश्र . . . . . | १४१५–२१ |
| डा० काटजू . . . . . | १४२३–३१ |
| हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक— | |
| संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . | १४३१–८८ |
| श्री पाटस्कर . . . . . | १४३१–४० |
| श्री वी० जी० देशपांडे . . . . . | १४४०–४८ |
| श्री टेक चन्द . . . . . | १४४८–५२ |
| श्री बी० सी० दास . . . . . | १४५२–५६ |
| श्रीमती जयश्री . . . . . | १४५६–५७ |
| श्री डी० सी० शर्मा . . . . . | १४५७–५८ |


---

## अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . . | १४५९–६० |
| भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . . | १४६०–६१ |
| हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक— | |
| संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव . | १४६१–१५१ |
| श्री डी० सी० शर्मा . . . . . | १४६१–६ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्रीमती सुचेता कृपलानी . . . . . | १४६३–६६ |
| श्री एन० सी० चटर्जी . . . . . | १४६६–७२ |
| श्री बोगावत . . . . . | १४७२–७६ |
| पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . . | १४७६–६८ |
| श्री पी० सुब्बा राव . . . . . | १४६२–६७ |
| श्रीमती उमा नेहरू . . . . . | १४६७–१५०० |
| सरदार इकबाल सिंह . . . . . | १५००–०२ |
| श्री पाटस्कर . . . . . | १५०२–१४ |
| निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)— | |
| विचार प्रस्ताव—असमाप्त . . . . . | १५१६–४६ |
| डा० काटजू . . . . . | १५१६–४२ |
| श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी . . . . | १५४२–४६ |


---

**अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.**


| | |
|---|---|
| पटल पर रखा गया पत्र— | |
| समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . | १५४७ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . | १५४७–८६ |
| श्री ए० के० गोपालन . . . . . | १५४८–५७ |
| श्री जी० एच० देशपांडे . . . . . | १५५७–६१ |
| श्री वीरस्वामी . . . . . | १५६१–६३ |
| श्री अशोक मेहता . . . . . | १५६३–६६ |
| श्री एम० पी० मिश्र . . . . . | १५६६–७६ |
| श्री वी० जी० देशपांडे . . . . . | १५७६–८५ |
| श्री टेक चन्द . . . . . | १५८५–८७ |
| श्री एन० एम० लिंगम . . . . . | १५८७–८६ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . | १५८६ |
| सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . | १५६० |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)— | |
| पुरःस्थापित . . . . . | १५६१ |
| सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित | १५६१ |
| वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . | १५६१–१६०४ |
| श्री डाभी . . . . . | १५६१–६२ |
| डा० पी० एस० देशमुख . . . . . | १५६२–१६०४ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)— | |
| प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित | १६०४–१७ |
| श्री यू० सी० पटनायक | १६०४–११ |
| डा० काटजू | १६११–१ |
| श्रीमती इला पालचौधरी | १६१२–१ |
| ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क | १६१३–१ |
| श्री कानावाड़े पाटिल | १६१५–१७ |
| महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त | १६१७–३४ |
| श्रीमती उमा नेहरू | १६१७–१९ |
| श्री पाटस्कर | १६१९–२२ |
| श्रीमती सुषमा सेन | १६२२ |
| श्रीमती जयश्री | १६२२–२३ |
| श्रीमती ए० काले | १६२३ |
| श्रीमती मायदेव | १६२३–२५ |
| श्री केशवैयंगार | १६२५ |
| श्रीमती इला पालचौधरी | १६२५–२६ |
| श्री डी० सी० शर्मा | १६२६–२८ |
| श्री टी० एस० ए० चेट्टियार | १६२८–३० |
| श्री धुलेकर | १६३१–३३ |
| विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)— | |
| पुरःस्थापित | १६३१ |


---

**अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४**


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी | १६३५–३८ |
| सभा का कार्य— | |
| रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन | १८३८–३९ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त | १८३९–१७३ |
| श्री एन० एम० लिंगम | १६३९–४१ |
| श्री एन० सी० चटर्जी | १६४१–४९ |
| श्री रामचन्द्र रेड्डी | १६४९–५० |
| श्री केशवैयंगार | १६५०–५२ |
| श्रीमती ए० काले | १६५२–५४ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्रीमती रेणु चक्रवर्ती | १६५४–६० |
| श्री कासलीवाल | १६६०–६२ |
| श्री भागवत झा आज़ाद | १६६२–६६ |
| डा० एन० बी० खरे | १६६६–७६ |
| श्री दातार | १६७७–६० |
| डा० कृष्णस्वामी | १६६०–६४ |
| श्री चट्टोपाध्याय | १६६४–६७ |
| श्री सी० आर० नरसिंहन | १६६७–६८ |
| श्री मूलचन्द दुबे | १६६८–१७०० |
| पण्डित के० सी० शर्मा | १७००–०२ |
| श्री राघवाचारी | १७०३–०५ |
| कुमारी एनी मैस्करीन | १७०५–०७ |
| श्री आर० सी० शर्मा | १७०७–१४ |
| श्री सारंगधर दास | १७१४–१७ |
| पण्डित ठाकुर दास भार्गव | १७१७–३२ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | १७३२ |


---

**अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.**


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी | १७३३–३४ |
| न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना | १७३५–३८ |
| आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड | १७३८–३९ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| विमान निगम नियम | १७३९–४० |
| औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन | १७४० |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई | १७४० |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई | १७४० |
| मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध | १७४०–४५ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत | १७४५–१८०८ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | १७४५–५० |
| डा० एस० एन० सिंह | १७५०–५२ |
| ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क | १७५२–५५ |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | १७५५–५९ |
| आचार्य कृपालानी | १७५९–६१ |
| डा० काटजू | १७६१–७४ |
| खंड १ तथा २ | १७७४–९९ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १७९९–१८०८ |
| डा० काटजू . . . . | १७९९–१८०८ |
| श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . | १८००–०५ |
| श्री लक्ष्मय्या . . . . . | १८०५–०६ |
| श्री पुन्नूस . . . . . | १८०६–१८०८ |


---

**अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.**


| | |
|---|---|
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . . | १८०९–१० |
| रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट . | १८०९–१० |
| लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . . | १८०९–१० |
| तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि . . . . | १८१० |
| सभा का कार्य— | |
| सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . . | १८१०–११ |
| चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १८११–३० |
| श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३, | १८२७–३० |
| श्री तुषार चटर्जी . . . . . | १८१४–१७ |
| श्री एन० एम० लिंगम् . . . . . | १८१७–१९ |
| श्री बर्मन . . . . . | १८१९–२० |
| श्री के० पी० त्रिपाठी . . . . . | १८२०–२३ |
| श्री ए० एम० थामस . . . . | १८२३–२४ |
| श्री रामचन्द्र रेड्डी . . . . | १८२४–२५ |
| श्री दामोदर मेनन . . . . | १८२५–२६ |
| श्री के० सी० सोधिया . . . . | १८२६–२७ |
| श्री पुन्नूस . . . . . | १८२७ |
| खण्ड १ और २ . . . . . | १८३०–३२ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . | १८३२ |
| श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . | १८३२ |
| भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १८३२–५५ |
| श्री कानूनगो . . . . . १८३२–३६, | १८४८–५५ |
| श्री वी० पी० नायर . . . . . | १८३७–४० |
| श्री तुलसीदास . . . . . | १८४०–४१ |
| डा० लंकासुन्दरम् . . . . . | १८४१–४३ |
| श्री झुनझुनवाला . . . . . | १८४३–४४ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री ए० एम० थामस | १८४४–४६ |
| श्री कासलीवाल | १८४६–४७ |
| श्री वी० बी० गांधी | १८४७–४८ |
| खण्ड १ और २ | १८५५ |
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत | १८५५–६२ |
| श्री कानूनगो | १८५५–५६ |
| डा० लंका सुन्दरम् | १८५६–५७ |
| श्री टी० टी० कृष्णमाचारी | १८५७–६२ |
| औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत | १८६३–७७ |
| श्री के० के० देसाई | १८६३–६४, १८७४–७७ |
| श्री अमजद अली | १८६४–६५ |
| श्री बिमला प्रसाद चालिहा | १८६५–६६ |
| श्री पुन्नूस | १८६६–६८ |
| श्री बी० एस० मूर्ति | |
| श्री वेलायुधन | १८६९–७० |
| श्री केशवैयंगार | १८६८–६९ |
| श्री पी० सी० बोस | १८७०–७१ |
| श्री के० पी० त्रिपाठी | १८७१ |
| श्री एस० वी० रामस्वामी | १८७१–७३ |
| ठाकुर युगल किशोर सिंह | १८७३–७४ |
| खण्ड १ से ३ | १८७८ |
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत | १८७८ |
| श्री के० के० देसाई | १८७८ |


---

**अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.**


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड | १८७९–८३ |
| पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना | १८८३–८५ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम | १८८५–८७ |
| आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण | १८८७–८८ |
| केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना | १८८७ |
| दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | १८८८–८९ |

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . . १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम . . . . . १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . . . १९७४

---

**अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.**

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन . . . . १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

---

**अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.**

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना . . . . . २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन . . . . २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत . . . . २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . . . २१५०-५६

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र . . . . २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया . . . . . २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर . . . . . २१९०–२२००
श्री बर्मन . . . . . २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . . . २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . २२२९–३६
श्री पाटस्कर . . . . . २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर . . . . . २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर . . . . . २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस . . . . . २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् . . . . . २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास . . . . २२४०–४२

## अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.


स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४


---

## अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.


विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य . . . . २३६५–६६

सभा का कार्य . . . . . २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २४५७–५८


---

## अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.


पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . . . . . २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण . . . . . २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश . . . . २५५२

## अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४


| | स्तम्भ |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा . . . . | २५५३–५७ |
| यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . . | २५५७–६१ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण | २५६१–६२ |
| जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . . | २५६२–६३ |
| न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . . | २५६३ |
| रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन . | २५६३ |
| अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना . . . . . | २५६३–६८ |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत . . . . . | २५६८–७१ |
| समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . . | २५७२ |
| परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक— | |
| प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . | २५७२–२६१६ |
| श्री पाटस्कर . . . . . २५७२–७८, | २६०७–२६१६ |
| श्री एन० एम० लिंगम् . | २५७९–८ |
| श्री बी० एस० मूर्ति . . . | २५८१–८३ |
| श्री राघवाचारी . | २५८३–८४ |
| श्री साधन गुप्त . . . . | २५८४–८६ |
| श्री टी० एन० सिंह . . . . | २५८६–८९ |
| श्री भागवत झा आज़ाद . . . . | २५८९–९० |
| श्री जांगड़े . . . . . | २५९०–९३ |
| श्री एम० एल० अग्रवाल . . . | २५९३–९५ |
| श्री कासलीवाल . . . . . | २५९५–९६ |
| पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . . | २५९६–२६०० |
| श्री कजरोल्कर . . . . . | २६००–०१ |
| श्री नवल प्रभाकर . . . . . | २६०१–०४ |
| श्री कक्कन . . . . . | २६०४–०५ |
| श्री पी० एल० बारुपाल . . . . . | २६०५–०६ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री गणपति राम . . . . . | २६०६–०७ |
| खण्ड १ और २— . . . . . | |
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | २६१६–२६२५ |
| पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— | |
| असमाप्त . . . . . | २६२५–७२ |
| श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी . . . . . | २६७२ |
| राज्य-सभा से सन्देश . . . . . | २६७२–७४ |


---

**अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।**


| | |
|---|---|
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती . | २६७५–७७ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन | २६७७ |
| भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे . . . . . | २६७७ |
| भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे . | २६७७ |
| १९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण | २६७७–७८ |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४ . . . . | २६७८ |
| केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण . . . . | २६७८ |
| तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि | २६७८–७९ |
| प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . . | २६८० |
| पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . . . . | २६८०–२७०३ |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . . . | २७०३–४३ |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित . . . . | २७४३–४८ |
| भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित . . . . . | २७४८ |
| भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित | २७४९–५२ |
| महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . . | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . | २७५३–६३ |
| श्री धुलेकर | २७५३–५७ |

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . २७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू . २७६३
श्री टेक चन्द . . २७६३
वाद-विवाद स्थगित . . . . . . २७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २६४ख का रखा जाना)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४
डा० काटजू . . . . . . . २७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित . . . . . . २७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . . २७६७–६९
डा० एन० बी० खरे . . . . २७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई . . . . . . २७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित . . . . . . २७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर . . . . २७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित . . . . . . २७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०
श्री डी० सी० शर्मा . . . . २७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई . . . . . २७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी . . . . . २७८७
राज्य-सभा से सन्देश . . . . . . २७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८

# लोक-सभा

बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

**१२ बजे मध्याह्न**

## पटल पर रखे गये पत्र

### निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं ३० सितम्बर, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५४ की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्यकरण के सम्बन्ध में सांख्यकीय विवरण देने वाली पुस्तिका की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—४६५/५४**].

### विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणाएं

**श्री दातार** : मैं विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत इन विमुक्ति घोषणाओं में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

| | | घोषणायें |
|---|---|---|
| (१) | १/२/५४—एफ़. आई., दिनांक ३१ जनवरी, १९५४ . | ३३ |
| (२) | १/३/५४—एफ़. आई., दिनांक १२ फ़रवरी, १९५४ . | ६ |
| (३) | १/४/५४—एफ़. आई., दिनांक १३ फ़रवरी, १९५४ . | २ |
| (४) | १/५/५४—एफ़. आई., दिनांक २५ जनवरी, १९५४ . | १० |
| (५) | १/६/५४—एफ़. आई., दिनांक ३१ जनवरी, १९५४ . . | ७ |
| (६) | १/९/५४—एफ़. आई., दिनांक ३१ मार्च, १९५४ . . | १ |
| (७) | १/१५/५४—एफ़. आई., दिनांक १९ मार्च, १९५४ . . . | ३ |
| (८) | १/१७/५४—एफ़. आई., दिनांक ४ जून, १९५४ . | १ |
| (९) | १/१८/५४—एफ़. आई., दिनांक १७ अप्रैल, १९५४ . | १ |
| (१०) | १/२०/५४—एफ़. आई., दिनांक १९ मई, १९५४ . . . | १ |
| (११) | १/२१/५४—एफ़. आई., दिनांक ६ मई, १९५४ . . | २० |
| (१२) | १/२२/५४—एफ़. आई., दिनांक १९ मई, १९५४ . . | १ |
| (१३) | १/२३/५४—एफ़. आई., दिनांक १५ मई, १९५४ . . | २ |
| (१४) | १/२७/५४—एफ़. आई., दिनांक २४ जून, १९५४ . . | १ |

[श्री दातार]

| | | घोषणायें |
|---|---|---|
| (१५) | १/२८/५४—एफ़. आई., दिनांक १५ जून, १९५४ . | २ |
| (१६) | १/२९/५४—एफ़. आई., दिनांक ७ सितम्बर, १९५४ . | ४ |
| (१७) | १/२९/५४—एफ़. आई., दिनांक ३० अक्टूबर, १९५४ . | १ |
| (१८) | १/३०/५४—एफ़. आई., दिनांक २६ जुलाई, १९५४ . | १० |
| (१९) | १/३४/५४—एफ़. आई., दिनांक १३ अगस्त, १९५४ . | १ |
| (२०) | १/३६/५४—एफ़. आई., दिनांक ९ अगस्त, १९५४ . | १ |
| (२१) | १/३८/५४—एफ़. आई., दिनांक १८ अगस्त, १९५४ . | २ |
| (२२) | १/३९/५४—एफ़. आई., दिनांक ५ सितम्बर, १९५४ . | १ |

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एस० ४६६/५४].**

---

**पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन**

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अधीन, ३० जून, १९५४ को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—४६७/५४].**

---

## निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक

**याचिका का उपस्थापन**

**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैं निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक १९५४ के सम्बन्ध में ६३,५४१ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

**सत्रहवां प्रतिवेदन**

**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

## तुर्की की महान् राष्ट्र सभा के प्रधान से प्राप्त संदेश

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अभी हाल में तुर्की को गये भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा तुर्की की महान् राष्ट्रीय सभा के सभापति से प्राप्त सन्देश सूचित करना है । सन्देश इस प्रकार है :

> "यह मेरा सुखद कर्तव्य है कि मैं तत्रभवान् को यह आश्वासन दूं कि भारतीय संसद् की सद्-भावना का जो आप ने सूचित की है, तुर्की की महान् राष्ट्रीय सभा द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाता है और आप से प्रार्थना की जाती है कि आप अपनी संसद् को हमारी सभा की शुभ कामनायें निवेदित करें ।"

---

## दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—समाप्त

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४ का तृतीय वाचन प्रारम्भ करेगी । जैसाकि सभा को अवगत है, विधेयक के तृतीय वाचन के लिये पांच घंटे नियत किये गये थे किन्तु जैसाकि कल सभा ने स्वीकार किया था, उस में से दो घंटे द्वितीय वाचन की समाप्ति

के लिये दिये गये थे और अब आज तृतीय वाचन के लिये तीन घंटे हैं ।

तत्पश्चात् सभा हिन्दू अल्पवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के सम्बन्ध में राज्य-सभा की सिफारिश से सहमत होने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी जिस के लिये पांच घंटे आवंटित किये गये हैं ।

**श्री एम० ए० अय्यंगार** (तिरुपति) : अब तृतीय वाचन की अवस्था में मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । यह एक विवादग्रस्त विधेयक नहीं है जैसाकि राजनैतिक तथा आर्थिक प्रश्नों से सम्बन्धित विधेयकों के बारे में कहा जा सकता है । किन्तु फिर भी प्रत्येक खंड पर विवाद उत्पन्न हुआ था । प्रायः सभी खंडों के बारे में कोई दलगत भावना नहीं थी और कोई सचेतक आदेश नहीं जारी किया गया था । मैं सारी सभा को उस की सद्भावना के लिये बधाई देता हूं । अभी हाल के वर्षों में इस प्रकार का कोई विधेयक संसद् के समक्ष नहीं आया था जिस पर संसद् के सभी भागों ने इतना विचार किया हो और ध्यान दिया हो । मैं माननीय गृह मंत्री को उन की हास्यपूर्ण और यथार्थ टिप्पणियों के लिये बधाई देता हूं । उन की कल्पना यह थी कि दंड न्याय शीघ्र न्यायसंगत और सस्ता हो । सभा के सभी भागों ने उस कल्पना को समझा और स्वीकार किया किन्तु साथ ही अपना यह आशय प्रकट किया कि जहां शीघ्रगति उचित न्याय में बाधक हो, वहां शीघ्रगति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये । अतः दोनों ओर बराबरी का संतुलन था । अन्त में अनेक संशोधन स्वीकार किये गये हैं और इस से अत्यधिक सहमति का परिचय मिलता है । किसी न किसी धारा पर अब भी अधिक ज़ोर दिया जा सकता है । किन्तु सब बातों को देखते हुए जिस प्रकार कार्य किया गया है उस के लिये हम स्वयं को धन्यवाद देते हैं ।

प्रारंभिक दशा में कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं । अनेक ऐसी धारायें हैं, विशेषकर सुरक्षा धारा, जिन के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि विधि आयोग उन पर विचार करे और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जो बाद में एक दूसरे विधेयक के रूप में सभा के समक्ष आयेगा । इस आशय का एक संकल्प भी प्रस्तुत किया गया था । हमें प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विधि आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जायगा और इसलिये मुझे विश्वास है कि विश्व घटनाओं की प्रगति तथा नवीन स्थिति के प्रकाश में विधि आयोग सारी दंड विधि का पुनर्विलोकन कर के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जो सभी दलों को स्वीकृत होगा और जिसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा ।

प्रस्तुत किये गये अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में यह आग्रह किया गया था कि न्यायपालिका को तुरन्त ही कार्यपालिका से पृथक कर दिया जाना चाहिये । कुछ महत्वपूर्ण राज्यों ने पहले ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया है और मुझे विश्वास है कि माननीय गृहमंत्री अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही उसे लागू करेंगे ।

जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, बहुत कुछ प्रगति हुई है । अब से प्रत्येक दंडाधिकारी के निर्णयों की अपील सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनी जायगी । इस प्रकार उन राज्यों में भी जहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् नहीं किया गया है, यह एक अच्छा उपबन्ध होगा और उस से वर्तमान पद्धति का बहुत सा दोष दूर हो जायगा ।

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

धारा १४५ के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों में भी सुधार हुआ है । अब किसी दंडाधिकारी को किसी पक्ष के क़ब्ज़े के बारे में सन्देह हो और वह कोई निश्चित निर्णय न कर पाता हो, तो वह सीधे ही किसी अधीनस्थ दंडाधिकारी अथवा किसी न्यायिक पदाधिकारी को मामले का निर्देश कर सकता है और उस का जो निर्णय होगा उसे कार्यान्वित किया जायगा । यह एक निश्चित सुधार है ।

इस विधेयक के द्वारा अन्य कई सुधार किये गये हैं । अब अभियुक्त को अभियोग सम्बन्धी सभी काग़ज़ दे दिये जायेंगे और उसे प्रारम्भिक दशा में भी अपन विरुद्ध लगाये गये अभियोग को जानना सम्भव होगा ।

शीघ्र गति तथा सत्र न्यायालय के समक्ष की प्रक्रिया के सम्बन्ध में, मूल विधेयक में यह सोचा गया था कि बयान ले लेने के बाद और अभियुक्त को सत्र न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई के लिये भेज देने के बाद प्रारम्भिक जांच बिलकुल समाप्त कर दी जाय । इस विषय में अनेक व्यक्तियों का मत है कि प्रारम्भिक जांच अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त प्रारम्भिक जांच की दशा में साक्षियों के पुनः परीक्षण का खतरा मोल नहीं लेता है जिस से कि अभियोक्ता पक्ष के साक्ष्य की कोई त्रुटि बाद में पूरी की जा सके । अतः वह उस दशा में पुनः परीक्षण नहीं करता है । वह पूरा चित्र एक साथ देखना चाहता है । इस दृष्टिकोण से माननीय गृहमंत्री ने मूल विधेयक में कहा था कि प्रारम्भिक जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है और केवल बयान या अन्य बातें लिख ली जा सकती हैं, यहां तक कि अभियुक्त की उपस्थिति भी अनावश्यक समझी गई थी । किन्तु प्रवर समिति ने उस में यह सुधार किया कि अभियुक्त उपस्थित रह सकता है और न्यायालय के समक्ष रखा गया विषय वस्तु के आधार वह यह तर्क कर सकता है कि उस के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है । यहां सभा में यह धारणा प्रकट की गई कि तर्क करने के लिये केवल उस की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है किन्तु महत्वपूर्ण चक्षुसाक्षी भी पैश किये जाने चाहियें और उन का पुनःपरीक्षण किया जाना चाहिये । हम ने यहां निश्चित सुधार किया है । प्रारम्भिक दशा में अधिक लम्बी जांच की जा सकेगी । मुझे विश्वास है कि इस विषय के सम्बन्ध में भविष्य में कोई अन्याय न होगा । वारंट वाले मामलों में भी समय बचाने के लिये ऐसी ही प्रक्रिया बनाई गई है । मूल विधेयक में यह कहा गया था कि वारंट वाले मामलों में समन्स वाले मामलों की तरह ही सुनवाई होनी चाहिये । किन्तु यह सुधार किया गया है कि अब प्रारम्भिक दशा में भी पुनःपरीक्षण का अधिकार दिया गया है और जिस साक्षी का पुनःपरीक्षण न्यायालय आवश्यक समझे उसे अगली बार न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है । अतः मेरा यह विचार है कि शीघ्र न्याय की दृष्टि से न्याय के सम्बन्ध में कोई अन्याय नहीं किया गया है ।

अब इस विधेयक के अधीन यह आवश्यक कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी का अवैतनिक दंडाधिकारी नियुक्त किये जाने के पूर्व उसे उच्चन्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा । वर्तमान उपबन्ध में यह एक निश्चित सुधार है ।

शीघ्र गति के सम्बन्ध में, एक सुन्दर उपबन्ध किया गया है, साथ ही साथ वह

दंडाधिकारी के स्वविवेक में भी बाधा नहीं पहुंचाता है। मैं माननीय मंत्री से इस बात में पूर्णतया सहमत हूं कि असेसर प्रथा समाप्त कर दी जाय। उस प्रथा से कोई लाभ नहीं हुआ है। इस देश में साक्षियों को पाना बहुत कठिन है। कोई भी असेसर के रूप में न्यायालय में आना नहीं चाहता है। आजकल असेसरों की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यूरियों के सम्बन्ध में कुछ भेद किया गया है। कुछ मामलों में, उच्च न्यायालय की सम्मति से न्यायाधीश स्वतः मामले की सुनवाई करता है और कुछ मामलों में ज्यूरी द्वारा मुकदमा निपटाया जाता है। यह आवश्यक है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित न किया जाय और किसी अभियोक्ता की उपेक्षा न हो, यदि उस के द्वारा लगाया गया अभियोग ठीक हो। आज के यग में अभियुक्त के अधिकारों पर बहुत अधिक ज़ोर दिया गया है। हमारा यह प्रयत्न है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दंडित न किया जाय। प्रारम्भिक दिनों में सभी वकील यह चाहते हैं कि प्रत्येक अभियुक्त छूट जाय और उन को विजय प्राप्त हो। मेरा यह कथन है कि अब वह समय आ गया है जब हमें यथासम्भव किसी बदमाश को बिना दण्ड के नहीं छोड़ना चाहिये और साथ ही साथ हम किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न करें।

अनुसन्धान के सम्बन्ध में, माननीय गृह मंत्री ने यह उपबन्ध किया है कि यदि कोई मामला ६० दिन से अधिक लंबित रहे और यदि अभियुक्त जेल में हो, तो उसे तुरंत अपने आप ज़मानत पर, कुछ मामलों को छोड़ कर, रिहा किया जायगा। मैं माननीय गृहमंत्री से आग्रह करूंगा कि वह यह आदेश जारी करें कि यदि कोई व्यक्ति १५ दिन से अधिक हिरासत में रखा गया हो, तो वह अवधि नये दंड की अवधि में गिनी जाय। प्रत्येक हालत में, हिरासत में रखे जाने की अवधि का ५० प्रतिशत उस के पक्ष में गिना जाना चाहिये और उस की कारावास अवधि उस हिसाब से घटा दी जानी चाहिये। जहां न्यायाधीश यह देखे कि १५ दिन अथवा उसे हिरासत में रखे जाने की अवधि का आधा समय कारावास अवधि से घटाया जाना चाहिये, वह अभियोक्ता और पुलिस अफसर से यह पूछे कि इतने अधिक समय तक अनुसन्धान में क्यों ढिलाई की गई। इस से न्याय का उद्देश्य पूरा होगा।

अब सरकार की ओर से अभियोग चलाने और निजी तौर पर अभियोग चलाने के सम्बन्ध में कुछ भेद रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह शीघ्र ही ऐसा एक उपबन्ध उपस्थित करें जिस से सरकार द्वारा अभियोग चलाने और गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा अभियोग लगाने का अन्तर दूर हो जाय। निजी व्यक्ति द्वारा चलाये गये अभियोग और पुलिस पदाधिकारी द्वारा चलाये गये अभियोग में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि माननीय गृह मंत्री निजी अभियोक्ता के लिये भी वही उपबन्ध लागू करें। मैं देश के सभी वकीलों से और सार्वजनिक व्यक्तियों से अपील करता हूं कि वे जनता का नैतिक स्तर ऊंचा करें। हम यह न समझें कि दंड प्रक्रिया संहिता बदमाशों को बचाने और उन के समर्थन के लिये बनाई गई है। यदि एक अपराधी भी बिना दंड के छूट जाय तो उस से सारी सरकार के विरुद्ध सन्देह उत्पन्न हो जाता है। राज्य का कल्याण चाहने वाले सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे यह देखें कि कोई भी अपराधी बिना दंड के छूट न जाय और विधि की प्रविधिक बातें न्याय देने में बाधक न हों।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों और सभापति तालिका के सदस्यों को जिन्हें

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

कार्यवाही को संचालित करना पड़ा, धन्यवाद देता हूं ।

**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : बहुधा कहा जाता है कि जिन वकीलों की फ़ौजदारी की अदालत बहुत अच्छी रही है वे जब न्यायाधीश बनाये जाते हैं तो उन की प्रवृत्ति दण्ड देने की अधिक होती है क्योंकि उन्हों ने स्वयं कितने ही व्यक्तियों को मुक्त कराया होता है और वे जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की टेकनिकल बातों के आधार पर कितने ही अपराधी मुक्त कर दिये जाते हैं । डा० काटजू स्वयं भी एक अनुभवी वकील रहे हैं । उन की पृष्ठ भूमि कुछ इसी प्रकार की है जिस का आभास हमें मूल विधेयक में मिलता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

माननीय सदस्यों ने विधेयक के संयक्त समिति को सौंपे जाते समय तथा उस के पश्चात् इस विधेयक में जो जो दोष बताये थे वे बहुत बड़ी हद तक इस के अन्तिम रूप में नहीं हैं ।

पुलिस के एक बहुत उच्च अधिकारी ने मद्रास के वकालत के प्रशिक्षण लेने वालों के सामने एक भाषण में कहा था कि पुराने समय का अंग्रेजी शासन भारतीय अधिकारियों को सन्देह की दृष्टि से देखता था और इन सब संहिताओं में वही सन्देह की भावना भरी हुई है । इसलिये इन का पालन कराने के लिये जो पुलिस का संगठन बनाया गया था उस में भी एक साधारण पुलिस मैन को उस के ऊपर वाले अफ़सर सन्देह की दृष्टि से देखते थे । दंड प्रक्रिया का हमारा सौ साल का अनुभव भी हमें यही बताता है । अब स्वतंत्र हो जाने के बाद समय आया है कि इस विधान के प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू में कुछ परिवर्तन किये जायें ।

यह कहा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन विधि आयोग के प्रतिवेदन के आ जाने के बाद ही किया जाना चाहिये जिस से कि एक ही बार में सब आवश्यक संशोधन हो जायें । विधि आयोग को जो काम करना है वह बहुत बड़ा है और उस में बहुत समय लगेगा । इसलिये जो परिवर्तन बहुत आवश्यक हैं उन के लिये विधि आयोग के प्रतिवेदन की राह देखना उचित नहीं है ।

दीवानी में वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् वर्षों बीत जाते हैं तब कहीं जा कर न्यायालय के द्वारा सुनवाई की नौबत आती है । इसलिये अब सरकार को इसी प्रकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता का संशोधन भी करना चाहिये । इस के लिये यह भी आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किये गये हैं उन के अनुसार साक्ष्य विधि में भी संशोधन किये जायें ।

इस विधेयक के द्वारा जो परिवर्तन किये गये हैं उन के सम्बन्ध में की गई अधिकांश आपत्तियां अधिकारियों तथा पुलिस के प्रति फैली हुई अविश्वास की भावना पर आधारित हैं । इसलिये जब तक जनता में विश्वास की भावना नहीं पैदा की जायेगी हमें किसी भी विधि को सफलतापूर्वक काम में लाने में कठिनाई होगी ।

इस के लिये सब से पहली आवश्यकता यह है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाये । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा दंडाधिकारी पुलिस के नियंत्रण में रहेंगे । जिस राज्य में यह काम अभी तक नहीं किया गया है वहां सब से बड़ी प्राथमिकता इसी को दी जानी चाहिये ।

यह तो ठीक है कि हम इस के लिये प्रयत्नशील हैं कि अभियुक्त को बहुत दिन

तक विचाराधीन बन्दी के रूप में न रहना पड़े, परन्तु हमें इस का भी प्रयत्न करना चाहिये कि राज्यों की विभिन्न हवालातों की हालत में सुधार किया जाये और उन की परिस्थिति को ऐसा बनाया जाये जो मनुष्यों के रहने योग्य हों। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस की ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यर्थ में होने वाला विलम्ब न हुआ करे। धारा १४५ की कार्यवाही पहले वर्षों तक चला करती थी और फिर भी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाता था। अन्तिम निर्णय के लिये व्यवहार न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी। अब छै मास के भीतर दंड न्यायालय द्वारा क़ब्ज़े के प्रश्न का निर्णय कर दिया जायेगा ।

सब से कटु आलोचना उन उपबन्धों की की गई है जिन का सम्बन्ध मानहानि विषयक विधि से है। चूंकि माननीय मंत्री ने यह संशोधन स्वीकार कर लिया है कि बदली हुई प्रक्रिया "लिखित शब्द" पर ही लागू होगी, इसलिये इस का सब से अधिक प्रभाव पत्रकारों पर पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अब पत्रकार बड़ी सावधानी से काम लेंगे । यदि किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी पर कोई मानहानि करने वाला आरोप लगाया जायेगा और यदि वह मंत्री या सरकारी कर्मचारी उस के लिये न्यायालय में अभियोग नहीं चलायेगा तो सरकार उस की ओर से अभियोग चलायेगी । यदि वह सरकारी कर्मचारी दोषी है तो उस को उस का परिणाम भुगतना पड़ेगा और यदि आरोप लगाने वाला झूठा निकला तो उस को दण्ड दिया जायेगा । इस का प्रभाव बहुत अच्छा होगा ।

फ़ौजदारी में वकालत करने वालों को एक महत्वपूर्ण सुविधा अब इस बात की हो जायेगी कि पुलिस की जांच सम्बन्धी आवश्यक काग़ज़ों की प्रतिलिपियां उन्हें पहले ही से मिल जायेंगी । इन उपबन्धों से अभियुक्त की कठिनाइयां काफ़ी कम हो जायेंगी और पुलिस की खोज का लाभ अभियुक्त को भी मिल सकेगा ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : इस विधेयक का प्रभाव केवल उन्हीं पर नहीं होगा जिन का पेशा वकालत करना है वरन् जनता पर भी होगा और मैं जनता के दृष्टिकोण से ही इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

यह विधेयक जनता के अधिकारों पर ऐसा कुठाराघात करने वाला है कि सारे देश की जनता इस के विरुद्ध है और देश के सभी समाचारपत्र एक स्वर से इस की निन्दा कर रहे हैं। जब वादविवाद हो रहा था तो सभा में भी सभी ओर से इस की भर्त्सना की जा रही थी। दल के अनुशासन के कारण माननीय मंत्री के विधेयक को वोट तो मिल गये फिर भी सभा में जो बातें कही गई हैं उन से स्पष्ट है कि सभा के सदस्यों का विचार क्या है । अब जबकि इस विधेयक को सरकार ने पारित करा ही लिया है तो सदस्यों को कहना ही पड़ता है कि वे इस विधेयक का स्वागत करते हैं । मेरे एक मित्र ने जिन को आंकड़े जमा करने में विशेष रुचि है मुझे बताया है कि इस विधेयक पर कुल ७० घंटे वाद-विवाद हुआ तथा ३९ भाषण दिये गये जिन में मंत्रियों के भाषणों को छोड़ कर एक भी भाषण ऐसा नहीं था जिस में कि बिना किसी टीका टिप्पणी के इस विधेयक का समर्थन किया गया हो। प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों तथा कुछ संशोधनों के बाद भी जो विधेयक हमारे सामने है वह ऐसा नहीं है जिस से सभा को कोई प्रसन्नता हो। इस में कोई

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

सन्देह नहीं कि बहुमत के बल पर माननीय मंत्री इस विधेयक को पास करा लेंगे। परन्तु हम देखेंगे कि जनता सवाल करेगी कि एक कल्याण राज्य ने इस प्रकार का विधेयक पास कैसे कर दिया ? क्या एक कल्याणकारी राज्य की यही रूप रेखा है ? संसदीय जनतंत्रवाद का गीत गाते हुए इस सभा ने ऐसा विधयक पारित कैसे किया। क्या यही कांग्रेस का जनतंत्र है ?

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि अपराध कहीं भी हो उस के लिये दण्ड तो मिलना ही चाहिये। इस से किसी को इनकार नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि हम यह करेंगे कैसे ? आप का सुझाव था कि नैतिक सुधार किया जाये। परन्तु क्या यह सुधार, अत्याचार के माध्यम पुलिस के ऊपर अधिक से अधिक निर्भर रह कर किया जा सकता है ? इस में कोई सन्देह नहीं कि हम भी चाहते हैं कि नैतिक सुधार की नीति से काम लिया जाये परन्तु वह नैतिक सुधार तभी संभव होगा जबकि जनता यह अनुभव करेगी कि यह देश वास्तविक रूप से तथा पूर्ण रूप से उसी का है तथा इस देश के संसाधनों पर केवल मुट्ठी भर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का ही एकस्व नहीं है तथा यह देश उस का देश ह तथा उस को अपने श्रम के लाभ उठाने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा। यदि सरकार ईमानदारी से कोई बड़ा काम करने के लिये आगे बढ़ती तो नैतिक सुधार अभी और इसी स्थान पर आरम्भ हो जाता। परन्तु सरकार ने तो ऐसा विधेयक रखा है जिस का उद्देश्य दण्ड प्रक्रिया संहिता को उस से भी अधिक कठोर बनाना है जैसा कि वह अंग्रेजों के समय में था। अभी कल ही विधि आयोग के सम्बन्ध में एक संकल्प पास किया गया था और प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था विधि आयोग बहुत जल्दी नियुक्त किया जायेगा। विधि आयोग नियुक्त किया जायेगा, इस के दो वर्ष पश्चात् उस का प्रतिवेदन तय्यार होगा, उस के बाद पांच वर्ष तक उस पर सोच विचार किया जायेगा परन्तु परिणाम इस के बाद भी नहीं के बराबर ही होगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार हमारे देश की वैधानिक प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये कोई वास्तविक प्रयत्न क्यों नहीं करती है। बहुधा कहा जाता है कि अब हर काम में हिन्दी का प्रयोग किया जायेगा। यदि हम चाहते हैं कि देश के ऊंचे से ऊंचे न्यायिक स्तर पर हिन्दी का प्रयोग किया जाये तो हमें देश के संपूर्ण विधिक ढांचे को बदलना पड़ेगा। यदि हम वास्तव में हिन्दी को प्रचलित करना चाहते हैं तो या तो हमें बारहवीं शताब्दी से ले कर सारे अंग्रेजी कानूनों का, जिन का हमारे वकील तथा न्यायाधीश समय समय पर हवाला देते रहते हैं हिन्दी में अनुवाद करना पड़ेगा या विधिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर के उसे सरल बनाना पड़ेगा। यदि यही काम नेपोलियनिक संहिता में किया जा सकता था, यदि तुर्की उसी संहिता को अपना सकता था तो क्या हम भी उसी प्रकार कोई साधारण दंड विधि तथा व्यवहार विधि बना कर सारे देश की जनता पर लागू नहीं कर सकते हैं। परन्तु सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है क्योंकि सरकार निहित स्वार्थों पर चोट करने से डरती है, यहां तक कि इस सभा के वकील सदस्यों के निहित स्वार्थों पर चोट करने से घबराती है।

डा० काटजू जो भी विधेयक प्रस्तुत करें उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम अपने देश के दंड न्यायशास्त्र पर पुनर्विचार करने का विचार कर रहे हैं। इस के लिये

यह आवश्यक है कि हम अपराध तथा उस के दंड की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, दंड न्यायशास्त्र के सुधारात्मक तथा प्रतिशोधात्मक पहलुओं के सम्बन्ध में चिन्तन करें। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? जिन लोगों ने इस सम्बन्ध में कुछ श्रम किया है तथा चिन्तन किया है क्या उन का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ? सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार कोई भी मौलिक काम करने से डरती है। इसी लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी यह विधेयक हमारे सामने आया है। इसीलिये मैं ने कहा था कि माननीय गृह-कार्य मंत्री चाहे जितने वेग के साथ इस का प्रतिकार करें इस सारे विधेयक में यह सब से बड़ा दोष है कि यह न समझा जाये कि अभियुक्त निर्दोष है—यदि अपराधी न समझा जाये तो कम से कम निर्दोष भी न समझा जाये—पुलिस जनता की सच्चाई तथा ईमानदारी के साथ सेवा करने वाली संस्था है और यह कि शपथ ले कर झूंठ बयान देने के अपराधी अभियुक्त के गवाह ही होते हैं अभियोक्ता पक्ष के गवाह कभी नहीं होते हैं। यह स्पष्ट है कि इस विधेयक को बनाते समय माननीय मंत्री के सामने झूठे तथा जाली मुकदमों के ही उदाहरण रहे हैं। यह बहुत ही विचित्र बात जान पड़ती है। मैं समस्त पुलिस बल को बुरा बताना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि पुलिस में कुछ आदमी बहुत अच्छे हैं किन्तु पुलिस में अभी तक एक विशेष परम्परा को लिये हुए जो प्रणाली चली आ रही है उस में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस विधेयक में पुलिस को जो अधिकार दिये गये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं।

अधिक समय न ले कर म इस बात पर अधिक ज़ोर देना चाहता हूं कि वास्तव में प्रक्रिया की अपेक्षा प्रशासन में अधिक बुराइयां हैं। हमारे एक विशेष न्याय प्राधिकारी का भी यही मत है कि जब तक प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार को नहीं रोका जायगा तब तक हमारी प्रणाली में सुधार की संभावना नहीं है। इन न्यायिक प्राधिकारी का मत सब को ज्ञात है अतः उन का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप किसी नृत्य का उल्लेख करें तो क्या यह नहीं बतायेंगे कि यह कथाकाली है या भारत नाट्यम् है।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : मैं न्यायाधीश श्री महाजन का उद्धरण दे रहा था। हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए विनियमन करना है। मानहानि विषयक उपबन्ध में बड़ी कहासुनी के बाद माननीय मंत्री ने थोड़ा सुधार किया है फिर भी लिखित मानहानि के लिये जो सख्ती की गई है उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय मंत्री प्रेस को कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं।

इसी प्रकार झूठी गवाही के विषय में भी सरकार ने जो उपबन्ध किये हैं वे असन्तोषप्रद हैं। कोई भी मुन्सिफ़ या दण्डाधिकारी निर्णय लिखते समय यह लिख सकता है कि अमुक व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है। इस से गवाहों की स्थिति संकटपूर्ण हो सकती है। माननीय गृह मंत्री ने उन धाराओं को तो छुआ तक नहीं है जिन से जनता में असन्तोष है और जिन के आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये धारा १४४ इस प्रकार की है जिस का ज़िक्र तक नहीं किया गया है। हमें मालूम है कि यह विधेयक कुछ समय बाद अधिनियम बन जायेगा और सरकार जो चाहती है वह इसी प्रकार संसद् से पारित करा लेती है किन्तु अपने दल की ओर से मैं स्पष्ट कहे

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

देता हूं कि इस प्रकार के उपबन्धों का हम आदि से अन्त तक विरोध करते रहेंगे ।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : इस तृतीय वाचन के अवसर पर मैं एक पर्यवेक्षण करना चाहता हूं कि हम ने क्या किया है । दंड प्रक्रिया में जो संशोधन किये गये हैं वे इतने अनुचित हैं कि उन से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत में पुलिस राज की नींव पक्की हो रही है । इस विधेयक से किसे लाभ हुआ है—पुलिस को, दंडाधिकारी को अर्थात् सरकार को और हानि किसे हुई है—अभियुक्त को, निर्धन जनता को । हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि जनता के अधिकारों की रक्षा की जाये । उस के बजाय उस का और दमन किया जा रहा है । जिस बात के लिये हम कहते हैं उस से उलटा काम किया जा रहा है । हम कहते हैं कि मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक है इस के परिणामस्वरूप उन की संख्या और बढ़ा दी जाती है ।

उदाहरण के लिये मानहानि के उपबन्ध को लीजिये । सरकारी कर्मचारियों और विशेषकर मंत्रियों के लिये विशेष उपबन्ध कर के पक्षपात क्यों किया गया है । हमें विरोधी दल वालों की मानहानि के लिये कोई चिन्ता नहीं है और मंत्रियों के लिये लम्बी चौड़ी सहानुभूति दिखाई गई है । यह खंड बड़ा लज्जास्पद है । हम राजनीतिज्ञ हैं । हमें आलोचना से घबराना नहीं चाहिये ।

मैं श्री गोरावाला का यहां पर उद्धरण देना उचित समझता हूं जिन्हें प्रशासन के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था । अपने प्रतिवेदन में उन्हों ने स्पष्ट लिखा है कि मंत्रियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । फिर भी दंड प्रक्रिया में धारा १९७ है जिस के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर अभियोग चलाना हो तो उस की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है और अनुमति प्रायः नहीं दी जाती है । आज हम देखते हैं कि मंत्री मनमाने काम करते रहते हैं और उन की जांच करने वाला कोई नहीं है और न ऐसी कोई संस्था है जो मंत्रियों के काम पर दृष्टि रखे ।

एक ओर तो योजना आयोग यह कहता है कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है और दूसरी ओर सरकार ऐसे उपबन्ध करती है कि जो इस भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ करें उन्हें दण्ड दिया जाय । यह कितने अफसोस की बात है ।

पाश्चात्य देशों में अपराधियों को मानसिक रोगियों की भांति समझा जाता है और वास्तव में समाज का वातावरण ही ऐसा दूषित है जो उन्हें अपराध करने को मजबूर करता है । उदाहरण के लिये यदि कोई कुरूप व्यक्ति है तो उस का इतना उपहास किया जाता है कि उस में प्रतिशोध की भावना जाग्रत हो जाती है और वह अपराध करना प्रारम्भ कर देता है ।

इसी प्रकार गृह मंत्रालय को भी अपराधियों के साथ कठोर बर्ताव नहीं करना चाहिये बल्कि उन पर दया दिखाने की आवश्यकता है । कठोरता दिखाने से अपराध कम नहीं होगा बल्कि उस को और प्रोत्साहन मिलेगा । सरकार का बर्ताव एक सार्जन्ट की भांति नहीं होना चाहिय जो अपराधियों के सिर पर डंडे बजाता रहता है बल्कि उस का बर्ताव एक दयालु माता की भांति होना चाहिये जो अपने बालक को प्यार से सुधारती है । मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह विधेयक बड़े ही अनुचित दृष्टिकोण को सामने रख कर बनाया गया है ।

इस का उद्देश्य समाज का कल्याण करना नहीं बल्कि समाज पर आतंक जमाना है ।

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस के तृतीय वाचन का उद्देश्य एक पर्यवेक्षण करना है कि हम ने क्या उपबन्ध किये हैं ।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं किन्तु जहां तक दंड प्रक्रिया के पुनरीक्षण का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने इस कार्य में कम से कम दो वर्ष व्यतीत किये हैं । अनेक राज्य सरकारों ने भी कई प्रश्न उठाये थे, कुछ समितियां नियुक्त की थीं और इन समितियों के प्रतिवेदन भी सरकार के सन्मुख थे । अतः १९५३ के प्रारम्भ में जब यह प्रश्न गृह-मंत्रालय द्वारा लिया गया तब हमारे पास इतना काफ़ी सामान था जिस से यह ज्ञात होता था कि दंड प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है ।

एक विशेष प्रश्न जो हमारे सन्मुख उपस्थित हुआ वह यह था कि क्या हमारे लिये न्यायशास्त्र के उन सिद्धान्तों को बदलना उचित होगा जिन पर दंड प्रक्रिया संहिता आधारित है और जो सिद्धान्त लगभग एक शताब्दी से सन्तोषप्रद रूप से व्यवहार में आ रहे हैं । सब परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निश्चय किया कि मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन न किया जाय क्योंकि भारत में ही सौ वर्ष के अनुभव के बाद नहीं बल्कि अन्य देशों के अनुभव से भी वे अच्छे सिद्ध हुए हैं । अतः ब्रिटिश न्याय-शास्त्र के सिद्धान्तों पर केवल इसीलिये आक्षेप नहीं किया जा सकता है कि वे एक विशेष देश से आये हैं । कुछ सिद्धान्त बड़े सुन्दर हैं और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सिद्धान्तों के बजाय इन से शासित होना पसन्द करेगा । मैं यह नहीं कहूंगा कि अन्य सिद्धान्त कैसे हैं । वे प्रशासन को सम्यक रूप से चलाने के लिये बनाये गये थे । यही कारण है कि जहां तक परम्परागत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है उन में आमूलचूल परिवर्तन करना अनुचित है ।

सरकार ने उन अनेक बातों पर विचार किया जिन में परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि न्याय प्रशासन विशेषतः दंड सम्बन्धी न्याय प्रशासन सुदृढ़ होना चाहिये । जहां तक भारत में प्रजातंत्र का सम्बन्ध है, और इस उद्देश्य के लिये हम ने राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा, उन्हों ने वकील संघों तथा न्यायाधीशों से परामर्श लिया और हमारे पास कुछ प्रस्ताव भेजे । इन सब प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त भारत सरकार ने भारतीय प्रजातंत्र के सन्मुख यह विधेयक प्रस्तुत किया जो भारत सरकार के दिसम्बर १९५३ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

उस के बाद हमें उस के बारे में बहुत से मत तथा आलोचनायें प्राप्त हुईं और जो आलोचनायें थीं वे बहुत युक्तियुक्त तथा गम्भीर थीं ।

इन तर्कों पर विचार कर के भारत सरकार ने इन में से कुछ को स्वीकार कर लिया तथा वे इसी वर्ष आयव्ययक सत्र में पुरःस्थापित विधेयक के रूप में संसद् में प्रस्तुत किये गये हैं । इस के पश्चात् काफ़ी वाद-विवाद हुआ । कुछ विषय बहुत ही उलझन वाले समझे गये । तब विषय संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया जिस ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किये । सरकार का यह विचार नहीं था कि जो परिवर्तन वह करना चाहती थी केवल वही परिवर्तन उस में किये जायें परन्तु सरकार की इच्छा थी कि इस में जनता तथा माननीय सदस्यों की सम्मति से परिवर्तन किये जायें । इसी क परिणामस्वरूप, यद्यपि संसद् के कुछ

[श्री दातार]

माननीय सदस्यों के विचार किसी विशेष दृष्टिकोण के कारण थे तथापि मेरे विचार तथा सरकार की नीति यही थी कि यथासंभव सभी दृष्टिकोणों को इस में स्थान दिया जाये और दोनों पक्षों में यथासंभव समन्वय किया जाये ।

**बाबू रामनारायण सिंह** (हज़ारी बाग़ पश्चिम) : जी नहीं ।

**श्री दातार** : ऐसा ही था । इसीलिये कई परिवर्तन किये गये तथा संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर और भी परिवर्तन किये गये ।

मैं इन परिवर्तनों के विषय में अधिक कुछ नहीं कहूंगा परन्तु फिर भी इतना बता देना चाहता हूं कि नौ या दस बहुत महत्व-पूर्ण तथा उलझन वाले विषयों पर सरकार ने संसद् सदस्यों के विचारों को स्वीकार कर लिया है ।

सरकार ने धारा १४५ तथा १४६ से सम्बन्धित संशोधनों तथा अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विधि को स्वीकार कर लिया है । कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करने के हेतु स्वीकार कर लिया गया है ।

मानहानि के सम्बन्ध में भी, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के इतना विरोध करने पर भी मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार जितने मूलभूत परिवर्तन करना चाहती थी उस से कहीं अधिक परिवर्तन उस ने स्वीकार कर लिये हैं जिस से कि उस की सभी बुराइयां दूर हो जायें । हालांकि मेरे मित्र श्री मोरे का कहना है कि मंत्रियों की रक्षा के लिये ऐसा किया गया है परन्तु मैं ये फिर बता देना चाहता हूं कि ये परि-वर्तन किसी मंत्री अथवा प्राधिकारी की महानता आदि के कारण नहीं किये गये हैं परन्तु सम्पूर्ण शासन को सुसंगठित तथा शुद्ध बनाने के विचार से ही यह व्यवस्था की गई है ।

कुछ मामलों में कुछ दोषी व्यक्ति जनता में अथवा सरकारी कर्मचारियों में होते हैं जो न्यायालयों में केवल इसलिये जाना ठीक नहीं समझते हैं क्योंकि मामला उलटने का डर होता है तथा उन के चरित्र की रक्षा होने के स्थान पर कभी कभी उन का सच्चा रूप व्यक्त हो जाता है । इसी-लिये मैं दुबारा कहता हूं कि उन को इस प्रकार के अभियोजन का अवसर मिले । इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता था कि एकदम अन्तिम क्षण में भी इस पर भी हम ने एक संशोधन स्वीकार किया जोकि जुबानी मानहानि सम्बन्धी धारा के सम्बन्ध में है । सभा को यह सब कुछ ध्यान में रखना चाहिये । (**अन्तर्बाधा**)

**श्री एस० एस० मोरे** : परन्तु प्रैस के सम्बन्ध में नहीं ।

**श्री दातार** : मेरा अपने माननीय मित्र से कुछ मतभेद है परन्तु फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि हम ने आधारभूत परि-वर्तनों को स्वीकार कर लिया है । यद्यपि यदि यह हम पर छोड़ दिया जाता तो हम शासन के लाभ के लिये और भी कठोर नियम बनाते । जहां तक प्रैस का सम्बन्ध है, प्रैस पर भी कोई नियंत्रण लगाने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि भारतीय प्रैस बहुत ही आदरपूर्वक तथा सम्मानपूर्वक कार्य कर रहे हैं । सरकार उस पर तब तक कोई नियंत्रण लगाना नहीं चाहती है जब तक कि वह शासन में कोई गड़बड़ी नहीं फैलाता है । कुछ अश्लील लेखों पर तो नियंत्रण की आवश्यकता होती ही है । इसी विचार

से हम ने आप की सम्मति से इन कुछ उपबन्धों की रचना की है तथा प्रैस पर कोई प्रभाव डालने का हमारा अभिप्राय नहीं है ।

अब मैं संक्षेप में अन्य उपबन्धों पर प्रकाश डालूंगा । प्रेषण कार्यवाही में प्रति-परीक्षण (जिरह) की अनुमति दी गई है । सरकार ने कई बार बताया है कि वह एक संक्षिप्त कार्यवाही होगी तथा विचार प्रेषणा कार्यवाहियों को बिल्कुल समाप्त कर देना था, परन्तु विशेषतया इस सभा के वकील सदस्यों के कारण, जो कुछ उन का अनुभव है अथवा जो कुछ वे जानते हैं उस के आधार पर यह अधिकार दिया गया है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : यह सच है कि वकीलों के निहित स्वार्थ की रक्षा की गई है ।

**श्री दातार** : दूसरे मामलों में भी वारंट की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है । कुछ बातों को स्वीकार कर लिया गया है तथा समाधेय अपराधों (कम्पाउंडेबिल औफैन्सेस) के सम्बन्ध में हमारे दो विचार थे, तथा इस समस्या का कि गैर-सरकारी मामले तथा सरकारी आपस में समाधेय किया जा सकता है अथवा नहीं एक बड़ा अच्छा हल निकाला गया है, और समझौते के लिये हम ने उस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है ।

सरकार झूठी गवाहियों को समाप्त कर देने के लिये बहुत ही उत्सुक है । सरकार को यह भी ज्ञात है कि झूठी गवाही देने का रोग बिना किसी नियंत्रण अथवा दण्ड के बहुत ही फैला हुआ है । इस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है । जहां भी हम जाते हैं इस को हम एक समान ही पाते हैं । जब कोई व्यक्ति साक्षी के कठघरे में आता है तो वह एक दम झूठी बातें कहता है । मैं जानता हूं कि कुछ सच्चे साक्षी भी होते हैं, परन्तु अधिकतर हम झूठे साक्षी ही पाते हैं तथा इस पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है । इसी कारण से हम ने संक्षिप्त प्रक्रिया का उपबन्ध रखा है, परन्तु संयुक्त समिति के विचारों के कारण हम ने उस प्रक्रिया को छोड़ दिया है तथा दूसरी प्रक्रिया को, जो माननीय सदस्यों के विचारों के अनुसार मूल न्याय व्यवस्था के बहुत समीप है, रख दी गई है । इस सम्बन्ध में भी मैं प्रसन्नतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि इस विषय के सब से बड़े तार्किक, माननीय पंडित ठाकुर दास भार्गव का एक संशोधन हम ने स्वीकार कर लिया है । जो कुछ भी उन्हों ने हमारे विरोध में कहा उस के अनपेक्ष भी मैं उन की प्रशंसा करूंगा कि उन्हों ने कितने ध्यान तथा परिश्रम से इस विषय को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया तथा जब यह आपत्ति हमारे सम्मुख आई तो हम ने उस संशोधन को स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार जमानती तथा ग़ैर-जमानती मामलों के सम्बन्ध में भी कुछ परिवर्तन स्वीकार किये गये हैं । इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रारम्भ से ही जो कुछ हम ने इस विधेयक पर विचार के लिये किया है वह दल बन्दी पर बिल्कुल नहीं किया गया है तथा न्यायपूर्ण है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधित रूप ठीक प्रकार में काम में नहीं लाया जा सकता है । परन्तु हमें पूर्ण विश्वास है कि जिन उद्देश्यों को ले कर हम चले हैं वह सभी उद्देश्य पर्याप्त सीमा तक पूरे होते हैं । परन्तु जैसाकि मैं कई बार बता चुका हूं सरकार इस समस्या के विभिन्न पहलुओं से सुलझाने की चेष्टा कर रही है । हम जानते हैं कि जांच करने की व्यवस्था में कुछ सुधार होने चाहियें । बहुत सी निरर्थक

[श्री दातार]

बातें दंडाधिकारियों के विरुद्ध कही गई थीं परन्तु हम तथा राज्य सरकारें भी, न्याय प्रशासन तथा अन्य मामलों को सुधारने के प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिये आप कारावास सम्बन्धी सुधारों को ही लीजिये। श्री मोरे तथा मैं ऐसे राज्य के प्रतिनिधि हैं जहां विविध कारावास सम्बन्धी सुधार किये गये हैं। मैं ने कई कारावासों को देखा है तथा वहां मुझे बताया गया है कि कैदियों के लिये बहुत ही आरामदेह वातावरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

बम्बई सरकार तथा अन्य सरकारों ने इन विषयों के मानवीय पक्ष में सुधार करने के कई उपाय किये हैं। हम बाल अपराधों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं तथा कुछ विषय ऐसे हैं जिन की ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से है। पुलिस में सुधार किये गये हैं तथा हम चाहते हैं कि शीघ्र तथा ठीक जांच हो तथा सारे विषय की जांच इस प्रकार से हो कि सम्पूर्ण कार्यवाही में कहीं भी शिकायत का अवसर न मिले। अतः यह कहना कि भारत सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में केवल परिवर्तन करना चाहती थी परन्तु उस ने बुराइयों को वैसा ही छोड़ दिया है बिल्कुल ग़लत है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है भारत सरकार प्रत्येक संभव कार्यवाही को करने को प्रस्तुत है।

इस से सम्बन्धित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है जैसा कि साम्यवादी दल के उप-नेता ने बताया कि चारित्रिक सुधार होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं केवल आप के आज प्रातः दिये गये एक भाषण की ओर ही निर्देश कर सकता हूं। आप को इस व्यवसाय का अत्यधिक अनुभव है तथा आज लगभग समस्त दिन आप अध्यक्ष-पद पर आसीन हैं तथा न्याय से सम्बन्धित सभी प्रश्नों को निरपेक्ष तथा न्यायिक दृष्टिकोण से देखते रहे हैं। आप के भाषण ने उन सदस्यों को प्रसन्न किया है जो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि पूर्ण परिवर्तन को हमें आपराधिक न्याय की दृष्टि से देखना है न कि वकीलों के दृष्टिकोण से। मैं वकीलों के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वकील पहले नागरिक हैं तथा वकील केवल व्यवसाय के लिये हैं। विधि व्यवसाय की परम्परा बहुत ऊंची है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यद्यपि वकील सदस्यों ने वाद-विवाद में अपने अपने तर्क दिये हैं परन्तु उन में वकीलों का दृष्टिकोण अधिक था। यदि सारे अधिनियम पर एक नागरिक तथा न्याय के दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो सरकार को विधि व्यवसायिओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि वह देशभक्त भी हैं तथा हमें सहायता देने के लिये सभी संभव प्रयत्न करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आप ने सरकार के विचारों की ओर निर्देश किया तथा आप ने सम्पूर्ण समस्या को न्याय तथा जनता के हित की दृष्टि से देखा तथा इसीलिये, आप ने जो कुछ कहा वह भारत सरकार की नीति का दिग्दर्शन है।

मुझे प्रसन्नता है कि हालांकि यह वाद-विवाद पर्याप्त लम्बा हुआ है परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है वह सहयोग की भावना से ही किया गया है। ७० घंटे इस में लगे क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता, जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने बताया, संविधान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि इस से बहुत से मनुष्यों के जीवन सम्बन्धित हैं तथा यह विधि तथा व्यवस्था के लाभों पर प्रभाव डालता है। इसलिये यह बड़ा ही अच्छा हुआ कि हम ने अपना इतना समय लगा कर वह परिणाम निकाला जिस

पर मुझे गर्व है तथा जिस के लिये सभा भारत सरकार को श्रेय देगी ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आप ने जो भाषण दिया उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं क्योंकि एक श्रेष्ठ दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त के हितों को पूर्णतया सुरक्षित किया जाना चाहिये ।

आप के भाषण का आशय यह था कि वादी को भी समान सुरक्षण प्राप्त होना चाहिये, और यह दृष्टिकोण ठीक भी है । मैं यह मानता हूं कि जहां तक अपराधों का सम्बन्ध है, अपराधों का दण्ड दिया जाना चाहिये और जिन को इन अपराधों से हानि पहुंची हो उन के हितों का भी सुरक्षण होना चाहिये । मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि डा० काटजू ने शीघ्रता से न्याय करने के लिये अभियुक्त के प्रति द्वेष भावना से कार्य किया है । मुझे यह निश्चय है कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर माननीय गृह मंत्री को प्रसन्नता होगी, परन्तु मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं होता है कि इस से अभियुक्त को कोई विशेष लाभ नहीं होगा । विचार प्रस्ताव के समय माननीय मंत्री ने कहा था कि प्रवर समिति जो भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन सभी पर विचार करेगी, परन्तु प्रवर समिति ने सभी संशोधनों पर विचार नहीं किया । प्रवर समिति ने इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें रख दी थीं जोकि माननीय मंत्री की इच्छा के विरुद्ध थीं और जिन को हमें यहां सभा में संशोधित करना पड़ा ।

माननीय मंत्री का प्रारम्भ में यह विचार था कि कोई प्रेषण कार्यवाही नहीं होनी चाहिये । यह एक प्रथम श्रेणी का सुधार था और यदि यह उपबन्ध कर दिया जाता तो देश को असीम लाभ होता और मुक़दमों के फ़ैसले भी जल्दी ही होते । मेरा स्वयं का विचार यह है कि जैसे ही कोई अपराध हो उस के पन्द्रह दिन के भीतर ही अभियुक्त को सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश कर दिया जाय । हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि अपराध का दंड शीघ्र से शीघ्र दिया जाये । विधेयक को पुरःस्थापित करते समय माननीय मंत्री की यही इच्छा थी । परन्तु प्रवर समिति ने किसी न किसी रूप में यह प्रेषण कार्यवाही का उपबन्ध कर दिया और इसलिये जो हम चाहते थे वह नहीं कर सके हैं । यदि प्रेषण कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती । अब प्रेषण कार्यवाही को जिस रूप में रखा गया है उस से कोई छूटेगा नहीं और सभी मामले प्रेषित करने ही पड़ेंगे । पहले प्रेषण न्यायालय को धारा ५४० के अन्तर्गत सफ़ाई पक्ष के साक्षियों का साक्ष्य सुनने का अधिकार मिला हुआ था, परन्तु अब कोई अधिकार नहीं है और सफ़ाई पक्ष के किसी साक्षी की गवाही नहीं ली जायेगी । परिणाम यह हुआ है कि प्रेषण कार्यवाही का समस्त औचित्य तो समाप्त हो गया है परन्तु वह स्वयं वैसी ही अब भी मौजूद है ।

माननीय मंत्री ने यह संशोधन स्वीकार कर लिया है कि अभियुक्त से केवल उस के विरुद्ध कही गई बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये गवाही देने को कहा जाना चाहिये, परन्तु धारा ३१ के विषय में हम ने एक संशोधन स्वीकार किया है कि प्रेषण अवस्था में अभियुक्त से जिरह की जा सकती है । यह एक असंगति है । एक स्थान पर कहा गया है कि अभियुक्त से केवल उस के विरुद्ध कही गई बातों का स्पष्टीकरण करने के हेतु ही प्रश्न पूछे जायेंगे अन्यथा नहीं परन्तु धारा ३१ में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रेषण अवस्था में अभियुक्त से जिरह की जा सकती है । मेरी समझ में नहीं आता है कि इन दोनों स्थितियों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

का समन्वय किस प्रकार से किया जायेगा। यह एक स्पष्ट असंगति है और इसे निश्चय ही सुधारा जाना चाहिये।

इस में कुछ और भी विषमतायें हैं। धारा १६२ में कहा गया है कि अभियोक्ता पक्ष के गवाहों के बयानों का प्रयोग अभियुक्त द्वारा उन पर जिरह के लिये ही किया जा सकता है। इस से दण्डाधिकारी इन बयानों पर ही निर्भर रहेगा। एक स्थान पर कहा गया है कि इन बयानों का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा और एक और स्थान पर यह कहा गया है कि दण्डाधिकारी इन बयानों के आधार पर आरोप लगायेगा।

धारा ४८७ में कहा गया है कि कोई न्यायालय धारा १९५, १७४ या १७६ के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा परन्तु साथ ही हम ने यह उपबन्ध कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति समन पर उपस्थित न हो तो न्यायालय उसे १०० रुपया जुर्माना कर सकेगा यह भी एक विषमता है।

कुछ मामलों में संहिता में सुधार किया गया है जिस के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। उदाहरण के लिये असेसर हटा दिये गये हैं और आजीवन कारावास समाप्त कर दिया गया है। यह बड़ी अच्छी बात है।

इस के बाद अभियुक्तों को बयानों की प्रतिलिपियां देने का प्रश्न है। यह भी एक अच्छी बात है परन्तु मुझे खेद है कि न्यायालय में उपस्थित होने से ७ या १० दिन पहले प्रतिलिपियां देने के सम्बन्ध में संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। मैं जानता क प्रतिलिपियां देना कोई आसान काम नहीं मान लीजिये कि दंगे के किसी मुकद्दमे में ५० अभियुक्त हैं, तो उन सब को प्रति लिपिया देनी पड़ेंगी। प्रत्येक वर्ष न्यायालयों में लगभग ६ लाख मुक़द्दमे आते हैं। प्रत्येक प्रतिलिपि पर १५ रुपये खर्च आये तो साल भर में १ करोड़ रुपये खर्च होंगे। लगभग ५० प्रतिशत व्यक्ति अनपढ़ होंगे और उन की पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें आप मुफ्त के वकील देंगे ? उन्हें प्रतिलिपियां देंगे तो वे उन का करेंगे क्या ? होना तो यह चाहिये कि जो व्यक्ति मांगे उसे प्रतिलिपि दे ी जाय।

धारा १४५ और १४६ में जो परिवर्तन किया गया है उस का भी अच्छा प्रभाव होगा। परन्तु समन के मामलों को वारंट के मामले बनाना ीक नहीं है। मेरा विचार है कि सभी मामलों को एक जैसा समझना चाहिये। मुझे यह पसन्द नहीं जिन व्यक्तियों पर बड़े अपराध साबित हो जायें उन्हें अन्य अभियुक्तों की अपेक्षा अधिक सुविधायें दी जायें।

धारा ११७ में जो परिवर्तन किया गया है वह बड़ा प्रतिगामी है। इस के अधीन सारे मुकद्दमे समन के मुकद्दमे होंगे। इस से झूठी गवाही देने की रुचि कम नहीं होगी बल्कि न्यायालयों की शक्ति घट जायगी। उपबन्ध यह है कि न्यायालय झूठी गवाही की बुराइयां दूर करने के लिये मुकद्दमा चलायेगा। इस का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को इसलिये जेल नहीं भेजा जायगा कि उस ने झूठी गवाही दे कर अपराध किया है बल्कि इसलिये कि अन्य लोगों को इस से नसीहत हो और वे भविष्य में झूठी गवाही न दें। इस से कई उलझनें पैदा हो जायेंगी।

मानहानि के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो परिवर्तन किया है उस के लिये मैं

उन्हें धन्यवाद देता हूं परन्तु इस सम्बन्ध में उन का दृष्टिकोण गलत है। यदि बहुत से व्यक्ति माननीय मंत्री से यह शिकायत करते हैं कि अमुक आदमी ने रिश्वत ली है तो ठीक तरीका तो यह है कि जांच की जाय और दोषी को दण्ड दिया जाय न कि यह कि शिकायत करने वाला न्यायालय में जवाब देने के लिये कटघरे में खड़ा हो और अभियुक्त फरियादी बन जाय। मंत्रियों के सम्बन्ध में तो यह ठीक है परन्तु सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में नहीं। इस से तो आलोचना करने वालों का मुंह बन्द हो जायगा और वे भयभीत हो जायेंगे।

मेरे विचार में धारा ३५० को बदल कर अभियुक्त के साथ अन्याय किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय गृह मंत्री श्री साधन गुप्त का संशोधन स्वीकार कर के धारा १५७ को वैसे का वैसे रहने दिया है। उन्हों ने दोबारा जिरह का अधिकार छीन लिया है परन्तु साथ ही श्री चटर्जी का संशोधन स्वीकार कर लिया है।

धारा २५३, २५४ और २५६ को हटा दिया गया है। अब वारंट के मामलों में अभियुक्त को तब तक नहीं छोड़ा जायगा जब तक कि यह पता न चल जाय कि आरोप प्रारम्भ से ही गलत था। इस से मामलों का निपटारा शीघ्रता से नहीं होगा।

जहां तक न्याय का सम्बन्ध है माननीय मंत्री की इच्छा यही रही है कि अभियुक्तों को सभी आवश्यक अधिकार दिये जायें परन्तु उन्हों ने न्यायालयों को बहुत अधिक शक्तियां दे दी हैं और अभियुक्तों के कुछ अधिकार छीन लिये हैं। यह ठीक नहीं परन्तु साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेंगे तब ऐसे दण्डाधिकारी भी होंगे जो अन्य बातों की अपेक्षा न्याय का अधिक ध्यान रखेंगे। सब बातों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सरकार ने ठीक नीयत से ही काम लिया है। उपाध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा कि इस संहिता का प्रश्न किसी दलविशेष का प्रश्न नहीं है।

सभा में वकील सदस्यों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उस का मैं विरोध करता हूं। यह कहना गलत है कि वकीलों ने स्वार्थ के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखा है। हम लोगों ने तो केवल तर्क के दृष्टिकोण से इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं। हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि अभियुक्त को जो अधिकार मिलने चाहियें वे उसे अवश्य मिलें। किसी देश को विधियों के गुण दोष इस कसौटी पर परखे जाते हैं कि उन के अधीन अभियुक्तों से क्या व्यवहार होता है। इस देश में तो महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे से भी ठीक व्यवहार हुआ और उसे पूरी सुविधायें देने के लिये जेल के नियमों तक में परिवर्तन किया गया। इसलिये हमारे ऊपर दोष लगाना ठीक नहीं है।

मुझे आशा है कि विधि आयोग के बनने से रही सही त्रुटियां भी दूर हो जायेंगी। माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि अभी हम प्रक्रिया विधि में इन सब बातों पर विचार नहीं कर सकते। परन्तु मुझे शिकायत है कि उन्हों ने अपने किसी भी भाषण में पुलिस के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। धारा १७२ और १६१ के सम्बन्ध में मेरे सुझावों पर संयुक्त समिति ने विचार नहीं किया और न ही मुझे इस सम्बन्ध में संशोधन रखने की अनुमति दी गई है। यदि मुझे दो उपबन्ध मान लिये जाते तो हम इस समस्या को जड़ तक पहुंच सकते थे और आगे के सुधार की नींव पड़ जाती। यह तो तभी हो सकता है जबकि हमें अपनी पुलिस में पूरा विश्वास हो।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यदि हमें विश्वास ही न हो तो ये बातें इस संहिता में ही रहेंगी। यदि हम प्रगति चाहते हैं तो हमें पुलिस, वकील और दण्डाधिकारी —इन सभी को सुधारना पड़ेगा।

**श्री एन० सी० चटर्जी** : मैं यही कहता रहा हूं कि इस संहिता में संशोधन करने से पहले विधि आयोग बन जाना चाहिये था जो न केवल सारी विधियों की जांच करता बल्कि इस सम्बन्ध में भी सुझाव देता कि अपराधों की जांच की व्यवस्था, पुलिस और दण्डाधिकारियों में कैसे सुधार किया जाय।

गृह मंत्रालय ने भारत में अपराध सम्बन्धी न्याय के सम्बन्ध में एक टिप्पण १९५३ में राज्य सरकारों को भेजा था जिस में कहा गया था कि पुलिस अपराधों की जांच संतोषजनक ढंग से नहीं करती है जिस का फल यह होता है कि बहुत से मामलों में या तो अपराधी बरी हो जाता है या अपराधियों को बड़े कम दण्ड दिये जाते हैं।

मैं मानता हूं कि किसी अपराधी को बरी करना भी उतना ही बुरा है जितना कि अवैध रूप से दोष प्रमाणित करना परन्तु जब तक जांच की व्यवस्था ठीक नहीं होती यह उद्देश्य कभी पूरा न होगा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह विधेयक संशोधित रूप में पास हो रहा है। यदि इस में संशोधन न होते तो आने वाली पीढ़ियां संसद् को ही दोषी ठहरातीं। हम ने ७० घण्टे इस विधेयक पर विचार किया है। उस ७० घण्टे में हम ने किया क्या? पहली बात तो यह है कि हम ने यह अधिकार दिया कि गवाहों को फिर बुला कर उन पर जिरह की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि संहिता की धारा १६२ वैसी की वैसी रहने दी गई है। सफ़ाई पक्ष वालों को इसी धारा का सहारा है। तीसरी बात यह है कि अभियुक्त समर्पण के प्रक्रम में भी जिरह कर सकता है। चौथी बात यह निश्चित हो गई है कि प्रश्न केवल बयान लिख लेने का नहीं बल्कि गवाह लिख लेने का है। प्रवर समिति ने विधेयक जिस रूप में भेजा था उस में यह बात नहीं थी। पांचवीं बात यह है कि माननीय मंत्री ने मान लिया है कि जिन व्यक्तियों के बयान धारा १६४ के अधीन लिये जायें उन्हें दण्डाधिकारी के सामने उपस्थित किया जाय। और अन्तिम बात यह है कि धारा ३४२ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस में यह फेरबदल किया गया था कि दण्डाधिकारी अभियुक्त पर जिरह कर सकता है। यह बात संविधान के अनुच्छेद २० की उपधारा (३) के विरुद्ध थी।

इस विधेयक में सब से बुरी बात मानहानि सम्बन्धी खण्ड की है। जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए तो समाचारपत्रों की यह बात ठीक जंचती है कि डा० काटजू का उद्देश्य वास्तव में समाचारपत्रों के लिये अधिनियम बनाने का है न कि मानहानि के लिये दण्ड का उपबन्ध करने का। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि झूठी गवाही सम्बन्धी खण्ड का प्रस्तुत रूप मुझे पसन्द नहीं। तीसरी बात यह है कि समर्पण प्रक्रिया दोबारा नहीं होनी चाहिये। मुख्य बात जिस पर मैं अब भी ज़ोर दे रहा हूं यह है कि जब तक कार्यपालिका और नगरपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेंगी तब तक वास्तविक न्याय नहीं हो सकता। इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहिये और यह तभी हो सकता है जबकि कांग्रेसी मंत्री उन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करे जिन का कांग्रेस चिरकाल से प्रचार करती आ रही

है। अब कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने पर उन्हीं सिद्धान्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मानहानि सम्बन्धी खण्ड को निकाल देने से वह कलंक मिट जाता है जो गणराज्य के माथे पर लगा हुआ है। आशा है विधि आयोग भी इन उपबन्धों की ओर ध्यान देगा जिन पर आपत्ति की गई है और उन में सन्तोषजनक सुधार करेगा।

**श्री आर० डी० मिश्र** (जिला बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने जो मेहनत इस बिल के तैयार करने में की वह बहुत ज्यादा है। शुरू में उन्हों ने अपनी नियत दिखलाई, अपने आब्जेक्ट्स दिखलाये कि हम भारत में एफिशिएन्ट और अच्छा क्रिमिनल ला का ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं ताकि लोगों को अच्छी तरह से न्याय मिल सके, बेगुनाह सजा न पावे और गुनहगार बच कर न जाय। इस ध्येय को ले कर उन्हों ने काम किया। बड़ा सुन्दर ध्येय था। उन के साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है और मैं उन के इस ध्येय के साथ पूरी तौर पर मुत्तफिक था कि यह जरूर होना चाहिये।

लेकिन जितनी मेहनत उन्हों ने की उतनी मेहनत के बाद जो बिल हम पास कर रहे ह वह बिल ऐसा नहीं है कि जिस के लिये हम उन को मुबारकबाद दे सकें। इस की वजह यह है कि हम ने स बिल में कोई खास बात ऐसी नहीं पैदा कर दी है कि जिस से हम यह कह दें कि अब हिन्दुस्तान में क्रिमिनल जस्टिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन जो है वह कुछ सादा हो जाने वाला है या कम खर्च का हो जाने वाला है। अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्हों ने बहुत से वकील मेम्बरों की बातें मान लीं और स तरह से उन का फायदा हो गया है। हां, इस बिल में बहुत सी फायदे की बातें हो गई हैं। कुछ बातें वकीलों के माफिक और फायदे की हैं, कुछ पुलिस के माफिक हैं, कुछ जजों और मजिस्ट्रेटों के माफिक हैं और कुछ जरायम पेशों के माफिक हैं। लेकिन जनता के माफ़िक कोई दफा इस में नहीं है। आप कहेंगे क्यों? आप उसे सुनिये। जजों के माफिक तो यह हो गया कि आज तक सेशन जज दौरा नहीं कर सकते थे, गांवों की हवा नहीं खा सकते थे, लेकिन अब यह हो गया है कि जैसे पहले मजिस्ट्रेट मजा लिया करते थे वैसे जजों को भी खुली छूट मिलेगी, सरकार का पैसा हो और सरकार की गाड़ी हो, गांव के बाग में जज साहब कचहरी कर रहे हों और आनन्द लेते हों। चलिये सेशन जजों को भी यह हक मिल गया। हम ने बड़ी मुश्किल से जब हमारे डा० काटजू यू० पी० में मिनिस्टर आफ जस्टिस थे तब उन से कह कर कि मजिस्ट्रेट लोग बड़ा परेशान करते हैं, वकील परेशान, मुद्दई मुद्दालय परेशान, किसी को आराम नहीं, इस चीज़ को बन्द कराया था।

**डा० काटजू** : आप नामुकम्मल बात कह रहे हैं इस का मुझे अफसोस है। मुल्जिम और इस्तगासा दोनों की सलाह और इजाजत से इस को बन्द किया गया था।

**श्री आर० डी० मिश्र** : आप जो सलाह की बात कर रहे हैं वह भी मैं आप के सामने रखूंगा। मैं यह बता रहा हूं कि जजों को क्या हक मिल गया। आपने कहा कि मुल्जिम और मुद्दालय की सलाह से किया गया। मुल्जिम की मरजी को पूछता कौन है? वकालत करते करते मैं पुराना हो गया हूं, मैं जानता हूं कि क्या होता है। जज साहब ने कहा कि वकील साहब, गंगा जी के मेले पर चलने का इरादा है। वकील क्यों एतराज

[श्री आर० डी० मिश्र]

करेंगे ? अगर जज कहे कि हम गंगा नहायेंगे तो मैं क्यों एतराज़ करूंगा क्योंकि अगर जज दौरे पर जाता है तो मुझे दूना मेहनताना मिलेगा । जिस वकील को दूना मेहनताना मिलेगा वह अपने मौक्किल से कहेगा कि तुम्हें थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन अगर जज नाराज हो गया तो सजा हो जायेगी। अगर जज गंगा जी जाना चाहता है तो तुम क्यों रोड़े अटकाते हो ? अदालत को खुश करना पहला फ़र्ज़ है । अगर अदालत खफ़ा हो गई तो फ़ौरन सज़ा हो जायेगी, इसलिये कोई वकील हिम्मत नहीं कर सकता कि वह जज की मुखालफ़त करे अगर जज चाहता है कि मेरी अदालत किसी और मुकाम पर लगे या गांव में हो। जितने ऐयाशी पसन्द मजिस्ट्रेट मैं ने देखे हैं, उन सब ने यह ऐयाशियां की हैं । मुझे उन से सख्त नफ़रत थी । ऐसे लोग अंगरेज़ भी थे और हिन्दुस्तानी भी थे । मैं नहीं कहता कि सब लोग ऐसे होंगे, लेकिन आप ने रास्ता खोल दिया है ऐसे लोगों के लिये कि वह ऐसा किया करें ।

वकीलों को जो हक मिला वह क्या मिला ? आज की तारीख तक हाई कोर्ट में मुल्ज़िमों की तरफ़ से अपीलें हुआ करती थीं । लेकिन अब ऐक्विटल के खिलाफ़ अपीलें हाई कोर्टों के पास जायेंगी । वकीलों को मेहनताना मिलेगा । जजों और सेशन जजों के जो मुफस्सिल कोर्टों के वकील थे उन को कुछ मिला नहीं । यह बात हाई कोर्ट के वकीलों के माफ़िक हो गई कि तमाम एप्लिकेशन्स अब हाई कोर्ट जायेंगी और इस से वकीलों का फायदा होगा ।

जरायम पेशा वालों को क्या फायदा मिला ? आज की तारीख तक पुलिस के कागजात मुल्ज़िम को नहीं मिलते थे । लेकिन आज तमाम काग़ज़ात की नकल कर के पुलिस के थानेदार साहब और प्रासिक्यूशन इन्स्पेक्टर साहब खड़े हैं कि यह देखिये जनाब वाला, यह मुकदमा आप के खिलाफ है । डाक्टर का सर्टिफिकेट पहुंचेगा कि १×१½ व २×¼ चोट लग गई थी, चाहे मुल्ज़िम को ज़रूरत हो या न हो । डाक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ है । सारा कूड़ा करकट, जिस का ७५ फ़ी सदी वकील के लिये बिल्कुल बेकार होगा, मुफ्त मुल्ज़िमों के घर पहुंचाया जायेगा । फ़ायदा इस का किस को पहुंचगा ? जो बड़े बड़े डाकू, कातिल जानी होंगे, जिन के ट्रायल सेशन कोर्ट में होंगे और जो वारंट केस से ट्राई होंगे । लेकिन गरीब तांगे वाले, इक्के वाले मुसीबत में पड़ेंगे । पुलिस वाले को नहीं बिठाला, गाड़ी में उस के जगह नहीं है । कहां, तुम नहीं जानते, लाल पगड़ी मेरे पास है ? तुम्हारा चालान । किस बात का चालान ? सवारी ज्यादा थी । सवारी तो कम थीं, लेकिन चालान । कहीं मार पीट हो जाय, गरीब पिटने वाले का कोई खयाल नहीं। छोटे छोटे जुर्मों में जो झूठे चालान होते हैं उन का कोई खयाल नहीं । पैसे लेने के लिये गरीब आदमियों के झूठे चालान होते हैं । कोई इलाका नहीं है जहां यह रिश्वतें न बंधी हों, अड्डे अड्डे पर बन्धी हैं, लेकिन बेचारे गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं, उन के लिये कोई रास्ता नहीं । उन्हों ने कहा कि झूठा चालान कर दिया, तो सरसरी में मुकदमा होगा । क्या होगा ? न फैसला लिखा जायेगा, न गवाहों के बयान लिखे जायेंगे, कुछ नहीं होगा । मजिस्ट्रेट साहब बैठे होंगे, उन की अदालत में कोई चीज़ नोट नहीं हुई, आखीर में लिख दिया मुल्ज़िम का नाम, बाप का नाम, फलां मुहल्ले का रहने वाला । १० रुपये जुर्माना, १५ रुपये जुर्माना, २० रुपये

ज़ुर्माना । छोटे छोटे जुर्मों के चालान झूठे कर के जो गरीब आदमियों पर जुल्म होते हैं, उन से जनता में एक रोष की भावना उत्पन्न होती है । उन की कोई सुनवाई नहीं होती और कहीं न्याय नहीं मिलता है ।

आप कहेंगे कि पुलिस को क्या अख्त्यारात मिले ? उस को भी बड़े अख्त्यारात मिल गये । अब उस को ज्यादा परेशानी नहीं । अब थानेदार साहब जो गवाह का बयान लिख लिया करेंगे, वह अदालत में इस्तेनाल होगा । अब तक यह था कि तमाम अदालतें उस को झूठा मानती थीं । आप की दफा १६२ उस को झूठा मानती है, एविडेंस ऐक्ट की दफा २५ और २६ उस को झूठा मानती है । लेकिन अब यह हक पैदा हो गया कि अगर पुलिस ने कोई गवाह ऐसा पेश कर दिया जिस का ठीक बयान पुलिस ने सही और ठीक नहीं लिखा और वह अदालत में आ कर सच्चा बयान देता है तो दरोगा जी कह सकते हैं कि यह गवाह झूठ बोलता है । डायरी में जो मैंने लिखा है वह सही है। वकील कहेगा कि तुम ने थानेदार साहब को यह बयान क्यों नहीं दिया था ? थानेदार साहब गवाही में आयेंगे और कहेंगे कि नहीं साहब, उस ने मेरे सामने यह बयान दिया था । तो अदालत के सामने यह सवाल आयेगा कि थानेदार झूठा है या गवाह झूठा है । ७५ फी सदी गवाह ही झूठा ठहराया जायेगा और फिर उस के खिलाफ परजरी के केस चलने लगेगा। कोई शरीफ आदमी यह हिम्मत नहीं करेगा कि किसी अदालत में सबूत की तरफ से गवाही देने के लिये आये । अगर वह ईमानदारी से गवाही देना चाहता है तो भी सोचेगा कि पता नहीं जज साहब का दिमाग किधर घूम जाय और लिख दे कि यह आदमी परजरर है । मेरे सामने एक रूलिंग है जोकि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सन् ५३ के पेज ९४ पर छपी है । एक मुकदमा है जिस में प्रवोन्द्र कौर के हस्बेन्ड के मारे जाने का किस्सा है । उस के हस्बेन्ड को मारा गया । उस को पोटेशियम साइनाइड दिया गया । उस ने खुद खाया हो या दिया गया हो, लेकिन उस की लाश को एक ट्रंक में भर कर एक कुएं में जा डाला । एक महीने बाद एक लाश निकली । निकलने के बाद पुलिस के थानेदार आये, डाक्टर को दिखाया, उस की देख भाल के बाद उन्हों ने कहा कि पता नहीं लगा कि किस की लाश है । सिपाही ने बताया कि साहब, यह लाश जसपाल सिंह की है जोकि फलां मुसम्मात का खाविन्द है । उस मुसम्मात से तहकीकात की गई । मसम्मात ने कंफेशन दिया कि हां साहब, इस तरीके से पोटेशियम साइनाइड खाया गया और मैं ने और एक दूसरा आदमी महेन्द्र पाल है, दोनों ने इस लाश को ट्रंक में भर कर यहां पहुंचाया । अब पुलिस क्या करे ? आप का कायदा यह है कि एक एक चीज़ साबित होनी चाहिये । मुसम्मात कहती है कि मारा, उस को डिस्पोज़ आफ़ किया । अब इस का जोड़ मिलना चाहिये । कंफ़ेशन पर सजा नहीं हो सकती । शहादत आई । सिपाही ने कहा कि फलां की लाश है, कुएं तक कैसे पहुंची ? जीप में लाश ले जाई गई और इस तरीके से लाश वहां डाली गई । अदालत क्या करती है ? जज साहब ने मुसम्मात को कत्ल करने के जुर्म में ३०२ के मातहत काले पानी की सजा दी । उन्हों ने कहा कि यह चीज़ साबित हो गई और इस से कत्ल साबित हो गया । हाई कोर्ट में जब अपील की गई तो कह दिया गया कि जितने गवाह पुलिस ने पेश किये सब "झूठे" हैं । आप पढ़ कर देखिये कि किन शब्दों में लिखा है ।

इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न सिर्फ पुलिस के अफसरों ने ही झूठ बोला

[श्री आर० डी० मिश्र]

है बल्कि जो गवाह पेश किये गये हैं उन से भी झूठ बुलवाया गया है । तो आप देखिये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि गवाह झूठे हैं । कनफैशन को सैशन जज ने माना । हाई कोर्ट ने माना लेकिन उस ने मुल्जिम को ३०२ की बजाय २०१ में सजा दी । उन्हों ने कनफैशन के हिस्से को माना । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो सारे हिस्से को माना जाय या बिल्कुल ही न माना जाय और इसी बिना पर मल्जिम को छोड़ दिया गया । तो जज जब कनफैशन को नहीं समझ सकते तो मामूली साधारण आदमी इसे किस तरह समझ सकते हैं । आप को ऐविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को सुधार कर अच्छा और सुन्दर बनाना चाहिए था । आप जैसा प्रोसीजर बनाना चाहते थे, वह अब बनने जा रहा है । मैं आप को मुबारिकबाद देता हूं और ईश्वर करे आप कामयाब हों और परजरी वगैरह को दूर कर सकें । इतना कहते हुए मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हूं ।

**सभापति महोदय** : मैं पहले कल प्रस्तुत हुए आनुषंगिक संशोधन को मतदान के लिये रखूंगा । इन में पहला संशोधन संख्या ६५२, खण्ड ४० पर है और बाद के संशोधन संख्या ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, और ६५८ खण्ड ११४ पर हैं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १३, पंक्ति ४० में "contained in" ("में सम्मलित") के बाद "any ordermade under" ("अधीन बनाया गया कोई आदेश") शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३१, पंक्ति ६ में, "Defamation" ("मानहानि") के बाद "other than Defamation by spoken words" ("वाणी द्वारा मानहानि को छोड़ कर") शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३१, पंक्ति १६ में, "public functions") "सार्वजनिक कृत्य") के बाद "when instituted upon a complaint made by the Public Prosecutor" ("जब वह सरकारी अभियोक्ता द्वारा की गई फरियाद पर स्थापित किया गया हो") शब्द जोड़े जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३१, पंक्ति ३४ में, "function" ("कृत्य") के बाद "when instituted upon a complaint made by the Public Prosecutor" ("जब वह सरकारी अभियोक्ता द्वारा की गई फरियाद पर स्थापित किया गया हो") शब्द जोड़े जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३२, पंक्ति २२ में, "function" ("कृत्य") के बाद "when instituted upon a complaint made by the Public Prosecutor" ("जब वह सरकारी अभियोक्ता द्वारा की गई फरियाद पर स्थापित किया गया हो") शब्द जोड़े जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३३, पंक्ति ५ और ६ में "379,

381, 406, 407, 408 " ("३७९, ३८१, ४०६, ४०७, ४०८") का लोप किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३३ पर, पंक्ति ९ के बाद निम्न अंश रखा जाय :—

"(cc) in the entries relating to sections 379, 381, 406, 407 and 408 in the 6th column, for the words "not comfoundable" wherever they occur, the words "comfoundable when the value of the property does not exceed two hundred and fifty rupees and permission is given by the court before which the prosecution is pending, shall be substituted."

["(गग) छठे स्तम्भ में धारा ३७९, ३८१, ४०६, ४०७ और ४०८ से सम्बन्ध प्रविष्टियों में, 'जो संधेय न हो' शब्दों के स्थान पर, वे जहां कहीं भी हों, 'संपत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न होने पर संधेय है और उस न्यायालय द्वारा जिस के समक्ष अभियोग निलम्बित हो, आज्ञा दी गई हो' शब्द रखे जायेंगे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**डा० काटजू** : यह महान वाद-विवाद अन्तिम क्रम पर पहुंच चुका है । मैं ने इस पर खूब विचार किया है और इस पर काफ़ी काम किया है । मैं समझता हूं कि केवल मैं ने ही नहीं बल्कि सैंकड़ों विद्वान और योग्य व्यक्तियों ने, जो देश के हित के लिये कार्य करने को उत्सुक हैं, इस पर काम किया है । हम ने मंत्रालय में बड़े ध्यान से दण्ड प्रक्रियासंहिता की धारावार छानबीन की है । मेरे सचिव ने मेरी सहायता की है । विशेष कर एक विशेष पदाधिकारी ने मेरी बड़ी सहायता की, जिसे हम ने नियुक्त किया था । एक सक्षम विधि-प्रारूपकार ने भी हमारी बड़ी सहायता की । श्री मलय्या और श्री सरकार ने इस पर लगभग १४ मास तक कार्य किया है । मैं पहले ही भारत के सब न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायिक आयुक्तों, असंख्य जिला और सत्र-न्यायाधीशों, विधि जीवी सन्थाओं, केन्द्रीय और राज्य-सरकारों, राज्य सरकारों के महाधिवक्ताओं, इन सब असंख्य लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर चुका हूं जिन्हों ने हमारी सहायता की है और सिफारिशें दे कर, और आलोचना कर के हमें सहयोग दिया है । यह विधेयक किसी एक व्यक्ति के विचार का प्रतीक नहीं है ।

सभा और मेरे माननीय मित्र ने मुझ पर बड़ी कृपा की है । किसी हद तक मैं ने भी इस में अंशदान दिया है । उन के कथन से मैं ने लाभ उठाया है । मैं यह पहले ही बता दूं कि मैं बड़ा विद्वान् होने का दावा नहीं करता परन्तु यह अवश्य कहता हूं कि मैं इस के लिये बड़ा उत्सुक हूं कि अभियुक्त के हित की रक्षा की जाये और हमारे न्यायालयों में न्याय किया जाये । यह संसद् यहां अभियुक्त अथवा शिकायत करने वाले का संरक्षण करने के लिये नहीं बैठी है । इस की रुचि केवल यह देखने में है कि ऐसे न्यायालय स्थापित किये जायें जिन में न्यायाधीश अपनी पूरी योग्यता से विधि के अनुसार न्याय करें और न्यायाधीश पक्षपातरहित ढंग से, बिना किसी प्रकार के डर के और किसी पक्ष के प्रति सद्भाव अथवा दुर्भाव न रखते हुए न्यायिक शपथ के अनसार न्याय करें ।

[डा० काटजू]

पुलिस, दण्डाधिकारियों और वकीलों के निहित हितों इत्यादि के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस हमारी ही पुलिस है। मेरे माननीय मित्र श्री आर० डी० मित्र अभी कह रहे थे कि इंगलैंड में यदि पुलिस के व्यक्ति के कहने पर यह प्रमाणित हो जाये कि अपराध स्वीकार करने से पूर्व बन्दी को चेतावनी दे दी गई थी कि इस बयान को उस के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है तो अपराध स्वीकृत करने के रूप में दिया गया बयान ग्राह्य है। मेरा यह कहना है कि भारतीय पुलिस के बारे में यह कहना कि उस का हरेक बयान कल्पित होता है न केवल मूर्खता ही होगा बल्कि सर्वथा अनुचित होगा। मैं ने विधि-जीवी सन्था में ४० वर्ष बिताये हैं और मैं उन मामलों के बारे में जानता हूं जहां डायरी गलत लिखी गई थी। जब आप किसी विशेष निर्णय का कोई भाग पढ़ते हैं तो, लाखों मामले ऐसे भी हैं जिन में पुलिस ठीक और उचित रूप से कार्य करती है और आप के आपराधिक न्याय का सारा ढांचा उस पर निर्भर करता है। एक देश में जहां ३६ करोड़ लोग रहते हैं और प्रत्येक वर्ष लाखों मामलों का निर्णय किया जाता है केवल एक मामले को ले कर उद्धृत करने से क्या लाभ ? हो सकता है कि पुलिस के एक व्यक्ति ने अथवा एक पुलिस दारोगा ने गलती की हो इस का यह अर्थ नहीं कि सब उसी प्रकार के हैं।

इस समय मैं पुनः वाद-विवाद नहीं करना चाहता। हम कई तर्क सुन चुके हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि वे विधेयक के एक पहलू से सन्तुष्ट हैं और दूसरों से नहीं। परन्तु मैं यह दावा अवश्य करता हूं कि सारे वाद-विवाद में जो विधेयक पुरःस्थापित होने से आरम्भ हुआ, माननीय सदस्यों ने उस पर निरपेक्ष रूप से विचार किया। इसे किसी दल विशेष का विधान नहीं समझा गया है और न ही इस दृष्टिकोण से इस पर विचार किया गया है। सब माननीय सदस्यों ने इस पर देशभक्ति के दृष्टिकोण से विचार किया है। क्योंकि हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता दंड न्यायालय में न्याय के प्रशासन में सुविधा लाने के लिये बनाई गई है और किसी अभियुक्त विशेष या दूसरे अभियुक्त का पक्षपात करने अथवा किसी एक या दूसरे दल से सम्बन्धित अभियुक्त का पक्ष करने के लिये नहीं। इसलिये यह दृष्टिकोण रखा गया है कि न्याय होना चाहिये, किन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि जांच पड़ताल के विषय में, बन्दी-गृह सुधार के विषय में और दंडाधिकारियों के सुधार के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह सब आवश्यक है, किया जाना चाहिये, परन्तु इस का दंड प्रक्रिया संहिता से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम यहां एक विशिष्ट विषय पर विचार कर रहे हैं कि मामला किस प्रकार फौजदारी न्यायालय के सामने रखा जाये--किस प्रकार मामला आरम्भ किया जाये, किन मामलों में दंडाधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिये और कि निर्णय की पूर्णता तक किस प्रकार अभियोग चलना चाहिये, अपीलीय न्यायालय की पुनरीक्षण न्यायालय की, क्या शक्तियां होनी चाहियें—यह दंड प्रक्रिया संहिता का कार्य है। दंड प्रक्रिया संहिता को अपराधों का पता लगाने का ग्रंथ नहीं बनाना है। वह किसी अन्य संस्था का कार्य हो सकता है, जिस का सभापति शरलौक होम्ज़ हो और वह शरलौक होम्ज़ नियम बनाये और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे तथा उन्हें यह सिखाये कि किस प्रकार जासूसी की जाती है और अपराधों की पड़ताल की जाती है। मैं ने सभा को पहले ही बताया है कि हम इस विषय पर

भी लगातार ध्यान दे रहे हैं । हम ने इस के लिये अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं । इस के लिये प्रत्येक राज्य में संस्था खोलनी पड़ेंगी । पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में अपराध की जासूसी करने की एक शाखा होगी । प्रयोगशालायें विद्यमान हैं—मेरा अभिप्राय है कि ये सब अतिरिक्त वस्तुएं हैं जिन से जासूसी और पड़ताल के काम में सुविधा मिलती है । यह सब काम किया जा रहा है । सभा का समाधान हो जाना चाहिये कि सरकार इस विषय में आगे बढ़ना चाहती है । आप प्रश्नों के द्वारा या संकल्पों तथा चर्चा के द्वारा इस में दिलचस्पी दिखा सकते हैं । परन्तु मेरा यह निवेदन है कि इन मामलों का विचार दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं किया जा सकता ।

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के सम्बन्ध में संविधान में निदेश दिया गया है और प्रत्येक राज्य में इन को पृथक करने का आन्दोलन है । कुछ राज्यों में दोनों कार्य पृथक कर दिये गये हैं, अर्थात बम्बई में । प्रत्येक राज्य में इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है । हम ने यहां यह किया है कि प्रत्येक दंडाधिकारी के आदेश के विरुद्ध सत्र-न्यायालय में अपील होगी, और इसे सभी स्वीकार करते हैं कि सत्र-न्यायाधीश कार्यपालिका का अंग नहीं होता।

इसी प्रकार मैं समझता हूं कि बहुत से राज्यों में ऐसे दंडाधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जिन्हें न्यायिक दंडाधिकारी कहा जाता है, और चाहे उन्हें सरकार ही नियुक्त करती हो, परन्तु उन का कार्यपालिका के कर्तव्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । वे कार्यपालिका का कोई काम नहीं करते । जैसाकि उन के नाम से पता लगता है, उन का काम केवल मुक़दमों का निर्णय करना होता है और अन्य कुछ नहीं । अतः यह सिद्धान्त ठोस है । संविधान इस का निदेश देता है और सरकार इसे कर रही है । परन्तु यह देखना दंड प्रक्रिया संहिता का काम नहीं है कि क्या यह कार्य हो रहा है या नहीं ।

श्री चटर्जी, पंडित भार्गव और अन्य सदस्यों ने कई बातों का उल्लेख किया है । मुझे श्री चटर्जी के ये शब्द कि "हम ने विजय प्राप्त कर ली है" अच्छे नहीं लगे हैं । विजय का अर्थ होता है कि हमार शत्रु वर्तमान थे । शत्रु होने का अर्थ है कि दो पक्ष थे, एक सेना बढ़ रही थी और दूसरी सेना पीछे हट रही है । मेरा यह दृष्टिकोण नहीं था ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आप के द्वारा संशोधन स्वीकार किये जाने के कारण उन्होंने विजय पा ली है ।

**डा० काटजू** : मुझे "विजय" शब्द बिल्कुल पसन्द नहीं । उन्होंने कहा है कि "हम ने प्रतिपरीक्षण का अधिकार प्राप्त कर लिया है और इस से समस्त वातावरण बदल गया है ।" यह आश्चर्यजनक बात है । इस मामले पर विचार करते हुए प्रवर समिति ने जिस में विधि-वेत्ता भी सम्मिलित हैं, यह अनुभव किया कि समर्पण करने वाले दंडाधिकारी के न्यायालय में इस प्रकार साक्ष्य लिखना उचित होगा, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध इस का कोई उपयोग नहीं है और उस के विरुद्ध इस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने "प्रतिपरीक्षण नहीं होना चाहिये" की सिफारिश की । इस से कुछ हानि नहीं, क्योंकि बहुत से राज्यों में समर्पण के मुकदमों में प्रतिपरीक्षण करने की प्रथा नहीं है । कहीं पर ऐसा होता है और कहीं पर नहीं परन्तु आप ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया और मैं ने स्पष्टतः कहा, "बहुत अच्छा होने दो", अब, यह बात कही जाती है कि धारा २८८ के अधीन इस का उपयोग किया जा सकता है ।

[डा० काटजू]

पंडित भार्गव की यह बात मुझे समझ में नहीं आती कि "वारंट केसों में डायरी के बयान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दोष लगाया जा रहा है।" परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अन्तर्वर्ती प्रक्रम पर समर्पण की कार्यवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिये और .....

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे वक्तव्य में केवल वारंट मसलों का उल्लेख किया गया था न कि समर्पण का।

**डा० काटजू** : सत्र न्यायाधीश के पास जाने वाले बड़े अपराध के सम्बन्ध में, माननीय मित्र कह रहे थे कि वह समर्पण के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं, अपितु वह चाहते हैं कि पुलिस उस मामले को सीधा सत्र न्यायाधीश को समर्पित करे। और अब मैं आदरपूर्वक पूछता हूं कि उस अवस्था में क्या होता। मुझे मालूम नहीं है कि पंजाब में बनाये गये आपातकालीन अधिनियमो के अधीन क्या किया गया था। परन्तु ज़रा इस पर विचार कीजिये। पुलिस सत्र-न्यायाधीश के सामने अभियोग-पत्र प्रस्तुत करती है, और सत्र-न्यायाधीश केवल डायरी के बयान के आधार पर मामले को लेता है और उसी के आधार पर अपना मत बना सकता है। आजकल डायरी का बयान पहले को अपेक्षा अच्छा होता है। धारा १६४ के अधीन घटनास्थल के सभी मुख्य साक्षियो का परीक्षण होता था, परन्तु सभा ने और प्रवर समिति ने इस पद्धति को पसन्द नहीं किया। वे चाहते थे कि यह लेख्य अभियुक्त के सामने होना चाहिये, इसलिये अब हम ने यह प्रस्तुत किया है। हम ने यह समर्पण न्यायालय के सन्मुख रखा है। अन्यथा इस के लिये कोई भी दंडाधिकारी हो सकता था। सभा प्रतिपरीक्षण चाहती थी, अतः प्रतिपरीक्षण होने दो। परन्तु दोनों ओर लाभ उठाने की भावना नहीं थी। इस दंड प्रक्रिया संहिता की अन्तर्निहित भावना यह है कि अभियुक्त को बचाया जाये, ताकि उसे कोई हानि न होने पाय।

मैं एक बात का विरोध करता हूं। श्री चटर्जी ने कहा है कि दंडाधिकारी द्वारा अभियुक्त का परीक्षण किया जा सकता है। मैं पहले से अनुभव करता हूं कि दंडाधिकारी निष्पक्ष व्यक्ति के नाते अभियुक्त को किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचने देता और उस के प्रति पूर्णतया न्याय करने का प्रयत्न करता है। आप को अभियोक्ता वकील से प्रतिपरीक्षण का भय हो सकता है कि वह अपने टेढ़े प्रश्नों के द्वारा और गलत बयान निकलवा कर अभियुक्त को फंसाने का प्रयत्न करेगा, परन्तु दंडाधिकारी न्याय करने के लिये वहां उपस्थित होता है। आप दंडाधिकारी पर निर्दोष अभियुक्त को फंसाने की इच्छा का क्यों आरोप लगाते हैं। मैं इसे पसन्द नहीं करता। मैं यह बात न्यायाधीश पर छोड़ता हूं कि वह जैसा प्रश्न पूछना चाहे, पूछे। भला वह टेढ़े प्रश्न क्यों पूछेगा?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आज कल दंडाधिकारियों पर पुलिस का पूरा प्रभाव रहता है।

**डा० काटजू** : मैं दंडाधिकारियों को न्याय के अवतार के रूप में देखता हूं। यदि वह गलती करता होता है तो अपीलीय न्यायालय में उसे सुधारा जा सकता है। सामान्यतया अधिकतर अपीलें रद्द ही होती हैं और अपीलों पर बहुत कम व्यक्ति ही मुक्त होते हैं।

वाद-विवाद के अन्तर्गत पुलिस, दंडाधिकारियों और वकीलों तथा वकील संघों को झूठा बताया गया है। यह अच्छी बात नहीं है। पंडित भार्गव ने तो वकील संघों

को "झूठ का अड्डा" और प्रत्येक दंडाधिकारी के न्यायालय को "यंत्रणागार" बतलाया है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि दंडाधिकारी इतने अच्छे हैं तो आप न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्यों पृथक कर रहे हैं ?

**डा० काटजू** : दंडाधिकारियों के सम्बन्ध में मेरी अपनी धारणा है । मैं स्वयं अच्छा हूं, और अन्य सभी लोगों को भी अच्छा समझता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अन्य व्यक्ति भी नेक और भलेमानस होते हैं ।

**डा० काटजू** : साम्यवादी दल के उपनेता ने कहा था कि मुझे इस दंड प्रक्रिया संहिता का विचार करते समय लज्जित होना चाहिये ।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या आप ऐसे नहीं हैं ?

**डा० काटजू** : मैं उसे बताना चाहता हूं कि मुझे इस पर गर्व है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभा में मतविभाजन हुआ :

पक्ष में १३३; विपक्ष में ३१ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

## हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक

**विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, राज्य-सभा द्वारा २५ अगस्त को अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गई तथा २७ अगस्त, १९५४ को इस सभा को भेजी गई राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत होते हुए कि हिन्दुओं में अवयस्कता तथा संरक्षकता सम्बन्धी विधि के कतिपय भागों का संशोधन करने और उसे संहिता-बद्ध करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में यह सभा सम्मिलित हो :--

(क) राज्य सभा से सिफारिश करती है कि संयुक्त समिति को ३१ मार्च, १९५५ को या इस से पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ; और

(ख) संकल्प करती है कि लोक-सभा के इन सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये नाम-निर्देशित किया जाये, अर्थात् : श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री मोरेश्वर दिनकर जोशी, श्री बादशाह गुप्त, श्री सोहन लाल घूसिया, श्री पी० रामस्वामि, श्री महेन्द्र नाथ सिंह, श्री भीखा भाई, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री रघुवर दयाल मिश्र, श्री एम० एल० द्विवेदी, डा० एम० वी० गंगाधर शिव, श्री सी० आर० नरसिंहन्, श्री एच० सिद्धनंजप्पा, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्रीमती इला पाल चौधरी, श्री कन्हू चरण जेना, श्री विमला प्रसाद चालिहा, श्री भोला रावत, श्री एन० सी० चटर्जी, सरदार हुक्म सिंह, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री आनन्द चन्द, श्री शंकर शान्ता राम मोरे, श्री जसवन्त राज मेहता, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री भवानी सिंह तथा प्रस्तावक ।"

यह हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक सम्बन्धी जिस पर राज्य सभा में विचार किया गया था, संयुक्त समिति में अपनी सभा के तीस सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । यह सरल उपक्रम

[श्री पाटस्कर]

है और पुराने हिन्दू कोड विधेयक का अंग है जोकि सन् १९४७ में विधान-सभा में लाया गया था । इस का सम्बन्ध उस के एक भाग अर्थात् हिन्दू अवयस्कों के लिये संरक्षकता की व्यवस्था करने से है । जैसा कि मैं ने कहा है, यह मूल हिन्दू कोड विधेयक का एक भाग है ।

यह विधेयक सब से पहले मार्च, १९५३ में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था । २४ अप्रैल, १९५३ को वहां एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि विधेयक को अगस्त १९५४ तक लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये । रायों के प्राप्त होने के बाद, इस विधेयक पर फिर उस सभा में चर्चा की गई थी और जहां तक राज्य-सभा का सम्बन्ध है, दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति बनाने का निर्णय किया गया था । मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारे देश के विभिन्न राज्यों का सम्बन्ध है, १९ राज्यों ने अपनी राय इस विधेयक के पक्ष में दी है । सात राज्यों ने कोई राय प्रकट नहीं की; जिस का अर्थ यह है कि वे कम से कम इस का विरोध नहीं करते । केवल एक राज्य—अजमेर— ने वर्तमान विधेयक के विरुद्ध राय दी है ।

यह एक ऐसा मामला है जिस पर १९४१ से केन्द्रीय विधान सभा और यह सभा किसी न किसी रूप में विचार करती रही है । १९३७ से १९४१ तक केन्द्रीय विधान सभा में हिन्दू विधि के संशोधन के लिये कुछ विधेयक पुरःस्थापित किये गये थे । इस सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा की सहमति से १९४१ में एक समिति नियुक्त की थी जिसे राव समिति कहा जाता है । इस समिति ने जून, १९४१ में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । किन्तु किसी न किसी कारण, संभवतः उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, इस सम्बन्ध में कुछ भी न हो सका । यह समिति १९४४ में पुनः बनाई गई थी । १९४७ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस से इस सभा के सदस्य अवगत होंगे । इस के बाद १९४७ में तत्कालीन विधि मंत्री, डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा (विधायिनी) में हिन्दू कोड विधेयक पुरःस्थापित किया था और उस में लगभग वही उपबन्ध थे जोकि इस विधेयक में हैं । बाद में यह विधेयक विधान सभा की एक प्रवर समिति को सौंपा गया था और १९४८ में प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि, जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, १९४९ में प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, उस में और वर्तमान विधेयक के उपबन्धों म कोई अधिक अन्तर नहीं है ।

१९५२ में, राष्ट्रपति ने इस सभा के सामने भाषण देते हुए कहा था कि सरकार का हिन्दू कोड को खंडशः पारित करने का विचार है, क्योंकि सरकार ने अनुभव किया है कि सारी विधि को एक ही समय पारित कर देना बहुत कठिन है और सभा के पास इन मामलों पर विचार करने का समय नहीं होगा । इस का पहला भाग हिन्दुओं के विवाह तथा विवाह-विच्छेद के बारे में है । इस विधेयक की अपेक्षा, विवाह विधेयक के सम्बन्ध में अधिक प्रगति हुई है, क्योंकि उस के लिये एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई थी । उस प्रवर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अब उस मामले पर राज्य सभा में विचार हो रहा है । मैं आशा करता हूं कि हिन्दू कोड के उस भाग को, जोकि १९४१ से इस सभा की मंजूरी के लिये पड़ा हुआ है, संभवतः अगले सत्र में पारित कर दिया जायेगा ।

अगला भाग अवयस्कता तथा संरक्षकता के बारे में है और मेरे विचार में यह विधेयक एक सरल विधेयक है जिस का उद्देश्य हिन्दू अवयस्कों की संरक्षकता सम्बन्धी विधि को संहिताबद्ध करना है । जैसाकि आप सब को मालूम है, सन् १८७५ में भारतीय वयस्कता अधिनियम पारित किया गया था और वयस्कता की आयु १८ वर्ष निश्चित की गई थी । इस विधेयक में भी हमने वयस्कता की आयु १८ वर्ष निश्चित की है । हम इस में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते और मेरे विचार में ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है । यह विधेयक उन प्राकृतिक संरक्षकों को मान्यता देता है, जिन्हें हिन्दू विधि में मान्यता दी गई है । विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के पश्चात् अब जो हिन्दू विधि बनी है वही हमारी मार्ग प्रदर्शक है ।

यह एक सरल विधेयक है जोकि संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के पूरक का काम देगा और इस का उद्देश्य हिन्दुओं की अवयस्कता तथा संरक्षकता सम्बन्धी विधि को संहिताबद्ध करना है और यह एक सीमित उद्देश्य है ।

उत्तराधिकार, विवाह, विवाह-विच्छेद आदि मामलों की अपेक्षा यह मामला बहुत सरल है । ये चीजें बहुत विवादास्पद हैं, इन की तुलना में अवयस्कता और संरक्षकता का प्रश्न बहुत सरल है । जहां तक संभव है, हम राव समिति की रिपोर्ट का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रवर समिति की, जिस ने हिन्दू कोड विधेयक के इन उपबन्धों का अध्ययन किया था, यह राय थी कि परिस्थितियों के बदलने के कारण कुछ रूपभेद आवश्यक हो गये हैं ।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : ये रूपभेद क्या हैं ?

**श्री पाटस्कर** : उन यथार्थ संरक्षकों के बारे में जिन्हें हम अभिज्ञात नहीं करना चाहते एक विशिष्ट उपबन्ध है । हिन्दू विधि के अन्तर्गत यथार्थ संरक्षक मान्य है । इस विधेयक के अन्तर्गत यथार्थ संरक्षकों को हटा दिया जायेगा और मेरे विचार में यह बिल्कुल उचित है । जहां तक प्राकृतिक संरक्षकों का सम्बन्ध है, बात समझ में आ सकती है और इस बात पर विवाद हो सकता है कि प्राकृतिक संरक्षक केवल वही दो सम्बन्धी होने चाहिय जिन का उल्लेख विधेयकों में किया गया है या कोई और व्यक्ति भी होने चाहियें । किन्तु मेरे विचार में सैद्धान्तिक रूप से यह कहना गलत है कि यथार्थ संरक्षक रहने चाहियें, क्योंकि अनुभव यह है कि बहुत से मामलों में जिन में किसी अभागे अवयस्क के माता-पिता का देहान्त हो चुका हो, यथार्थ संरक्षक उस की अच्छी तरह देख-भाल नहीं करते । अपवादस्वरूप मामले भी हो सकते हैं । इस सभा में केवल इस बात पर विवाद अथवा चर्चा हो सकती है ।

प्राकृतिक संरक्षकों के सम्बन्ध में, इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना अवयस्क की अचल सम्पत्ति के किसी भाग को विनिमय कर के या अन्यथा हस्तान्तरित नहीं कर सकता और रहन नहीं रख सकता । यह खंड ७ में है । यह इसलिये रखा गया है, क्योंकि यह वांछनीय नहीं है कि प्राकृतिक संरक्षकों को न्यायालय की मंजूरी के बिना अवयस्कों की सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने दिया जाये, क्योंकि संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति संरक्षक घोषित या नियुक्त किया जाये तो वह स्वाभाविकतया न्यायालय की अनुमति से ही ऐसा कर सकता है । अवयस्कों के हित में

[श्री पाटस्कर]

हम ने यह आवश्यक और वांछनीय समझा है कि प्राकृतिक संरक्षकों के मामले में भी, कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिस के अन्तर्गत वे न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिपाल्यों की सम्पत्ति को हस्तान्तरित न कर सकें । वर्तमान प्रतिपालक अधिकरण अधिनियम में एक उपबन्ध है, जो कि खंड ९ के उपबन्ध की तरह है ।

जहां तक संयुक्त परिवार का सम्बन्ध है, हम ने कुछ लोगों की शंकायें दूर करने के लिये विधि में परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया । यदि संयुक्त परिवार का कोई प्रबन्धक है, तो ऐसे मामले के लिये भिन्न उपबन्ध किया गया है । मैं इस का उल्लेख बाद में करूंगा ।

हम ने पिता की इच्छा पर उस के द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त किये जाने की भी व्यवस्था की है । अतः मैं समझता हूं कि यह एक सरल विधेयक है और यह कई बातों में वर्तमान विधि के अनुकूल है, केवल थोड़ा सा अन्तर है । यह राव समिति की रिपोर्ट, अन्य संहिताओं और प्रवर समितियों की रिपोर्टों के भी अनुकूल है ।

पूछा जा सकता है कि यह विधेयक केवल हिन्दुओं तक ही क्यों सीमित रखा गया है और यह सब पर लागू क्यों नहीं होना चाहिये । निस्सन्देह, हमारा उद्देश्य सब के लिये एक समान संहिता बनाना है । मैं कह सकता हूं कि यह इस दिशा में एक पग है । पहले हमें हिन्दुओं के लिये एक समान संहिता बनानी चाहिये । अवयस्कता और संरक्षकता के बारे में स्थिति क्या है ? इस समय अनेक नियम और अनेक अधिनियम हैं । हम अब चाहते हैं कि जहां तक हो सके, इस विषय में वर्तमान उपबन्धों को संहिताबद्ध किया जाये । यदि यह काम शुरू हो गया, तो हिन्दू कोड के अन्य भागों को, जिन का अभी निर्णय करना बाकी है, पारित करना आसान हो जायेगा ।

एक और तर्क यह प्रस्तुत किया गया है "हम ने एक ग़लत सिरे से कार्य क्यों प्रारम्भ किया है ।" इस का कारण यह है कि हम ने तो इस कार्य को विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक से ही प्रारम्भ किया है, और अब हम अवयस्कता और संरक्षकता की ओर आ रहे हैं । मेरे मित्र श्री आर० के० चौधरी सिर हिला रहे हैं ।

**श्री आर० के० चौधरी** : मैं इस प्रकार के नये ढंग से पूर्ण संतुष्ट हूं ।

**श्री पाटस्कर** : सभा में किसी प्रकार का सन्देह न रहे, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम हिन्दू कोड के अन्य भागों को भी लेंगे । वास्तव में मैं सभा को सूचित कर दूं कि उत्तराधिकार आदि से सम्बन्ध रखने वाले अन्य भाग भी शीघ्र ही सभा के सम्मख आयेंगे । मुझे आशा है कि हिन्दू कोड के सुधार में रुचि लेने वाले सदस्य यह जानते होंगे । उन के लिये यही उचित है कि वे वाद-विवाद में न पड़ें । सरकार का आशय यह नहीं है कि वह उन भागों को छोड़ दे । वह तो चाहती है कि जहां तक सम्भव हो शीघ्रातिशीघ्र पहिले हिन्दू कोड के सभी भागों को सभा के सम्मुख लाया जाये ।

**श्री एस० एस० मोरे** : हम कितने भागों पर विचार कर रहे हैं ?

**श्री पाटस्कर** : मेरी जानकारी के अनुसार तो चार या पांच भाग हैं । परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग तो इस के उपरान्त आयेगा, और वह उत्तराधिकार के बारे में है । फिर कई छोटी छोटी बातें हैं । परन्तु, उत्तराधिकार के सम्बन्ध में, मुझे विश्वास

है कि यह शीघ्र ही राज्य-सभा में प्रस्तुत किया जायेगा और फिर इस सभा में भी लाया जायेगा ।

जैसाकि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था, १९५२ में, अपने पूर्व अनुभवों के कारण हम सभी हिन्दू कोड के पक्ष में थे, परन्तु उन्हों ने एक ऐसा ढंग निकाल लिया है जिस से कि ऐसा कोड एक ही बार में कदापि पारित न हो सके ।

**श्री एस० एस० मोरे** : ऐसा क्यों ? यह तो बहुमत से है ।

**श्री पाटस्कर** : इस में बहुमत का कोई प्रश्न नहीं है । इसलिये मेरा विचार है कि कम से कम वे सदस्य, जिन्हें हम सभी सदस्यों के प्रयत्नों से इस रूप में हिन्दू कोड विधेयक को पारित करने का वास्तव में उत्साह है, वे इस विधेयक का अवश्य ही समर्थन करेंगे । हो सकता है कि यह सभा के प्रत्येक वर्ग को सन्तुष्ट न करे, परन्तु ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि इस सभा के चालू सत्र की समाप्ति के पूर्व ही शीघ्रातिशीघ्र हम सभी भागों पर चर्चा समाप्त कर लें । अतः मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह एक अत्यन्त सुगम सीधा सा कदम है और जो हिन्दू समाज के सुधार में रुचि रखते हैं, उन्हें इस का अवश्य समर्थन करना चाहिये । मेरा विचार है, कि हम प्रयत्न करें कि यह शीघ्रातिशीघ्र पारित हो जाय, क्योंकि मैं ने इस का इतिहास देखा है और मुझे ज्ञात हुआ है कि मार्च १९५३ से आज तक $1\frac{1}{2}$ वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है और आज हम केवल एक संयुक्त समिति को स्थापित करने की अवस्था तक ही पहुंचे हैं, और इस में कुछ और भी समय ले लेगी । कम से कम वही सदस्य, जो इस बात के अत्यधिक इच्छुक हैं कि हिन्दू विधि में कुछ सुधार हो, इस कार्य में सहयोग दें और प्रयत्न करें कि यह विधेयक शीघ्राति-शीघ्र पारित हो जाय । यह तो हाथ में लिये हुए कार्य की पूर्ति में भी सहायक होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक का विरोध करता हूं, जिसे हमारे नवनियुक्त विधि मंत्री ने प्रस्तुत किया है । वह अपने तर्कों से हमें प्रभावित नहीं कर सके । मैं इस का विरोध इसलिये नहीं करता कि यह एक साम्प्रदायिक विधेयक है, अपितु इसलिये कि इस में हिन्दू नाम होने पर भी यह हिन्दू संस्कृति पर आधारित नहीं है । क्या यह हिन्दू परम्परा, हिन्दू विचारों, व्यक्तिगत विधि तथा उस महान् संस्कृति पर आधारित है जिसे हिन्दू समाज अथवा हिन्दू राष्ट्र ने गत अनेकानेक शताब्दियों के उपरान्त प्राप्त किया है ? सरकार तो जान-बूझ कर हिन्दू समाज पर ऐसे सिद्धान्त लादना चाहती है जिन्हें वह अन्य समाजों और जातियों पर लादने का साहस नहीं करती । यदि मंत्री महोदय अवयस्कता और संरक्षकता सम्बन्धी सभी हिन्दू विधियों का अध्ययन करने के उपरान्त उन्हीं हिन्दू मान्यताओं और परम्पराओं पर आधारित हिन्दू विधि को एक नवीन रूप में रखते तो हम उस पर अवश्य विचारकरते । परन्तु किसी भी विधि को लागू करने में भेद भाव क्यों किया जाये ? जैसेकि विवाह के विषय में वे कहते हैं कि मुसलमानों में तो बहुविवाह बहुत अच्छा है, परन्तु हिन्दुओं में हानिकारक है, और विवाह-विच्छेद रोमन कैथोलिकों में तो हानिकारक है, परन्तु हिन्दुओं के लिये अत्यन्लाभदायक है ।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

मैं कोई विधि वेत्ता नहीं हूं । परन्तु मेरे अनेक मित्र विधि वेत्ता हैं, जिन्हों ने इस का पूर्ण अध्ययन किया है । उन का कहना है कि इस का हिन्दुत्व से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस के अतिरिक्त यह हिन्दू विधि पर एक सीधा आक्रमण है ।

एक विधि के रूप में लें, तो भी इस में अनेक दोष हैं । खण्ड ४ में लिखा है :—

(क) इस अधिनियम के जारी होने से पूर्व प्रयोग में आने वाली हिन्दू विधि के सभीपाठ, नियम अथवा रूढ़ियां या प्रथायें, जिन के विषय में यहां उपबन्ध हैं प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(ख) इस अधिनियम के जारी होने से पूर्व प्रयोग में आने वाली ऐसी कोई भी विधि, जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत होगी, प्रभावी नहीं रहेगी ।

मैं इसके खण्ड (ख) का विरोध तो नहीं करता, परन्तु खण्ड (क) का घोर विरोध करता हूं । इस से पूर्व तो हिन्दू विधि के पाठों और रूढ़ियों तथा प्रथाओं, नियमों, और व्याख्याओं पर ही हिन्दू विधि आधारित थी, और उच्चतम न्यायालय भी इसी के आधार पर अपना न्याय करता था । परन्तु इस विधेयक के आधार पर उन सभी पवित्र परम्पराओं को त्याग दिया जायेगा । यह तो वेदों की पवित्रता पर सीधा आक्रमण है ।

इस हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक में कौन सी बात क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील है ? क्या आज नारियों को छोड़ा जा रहा है, क्या बच्चों को त्यागा जा रहा है अथवा विवाह सम्बन्ध तोड़े जा रहे हैं ? हो सकता है कि इस का कुछ अंश में, विवाह पर अच्छा प्रभाव हो, परन्तु इस विधेयक में तो सभी कुछ हिन्दू विरोधी बातें ही हुई हैं । खण्ड ७ (२) के अनुसार तो प्राकृतिक संरक्षक भी, न्यायालय से पूर्व अनुज्ञा लिये बिना उस अवयस्क की सम्पत्ति के किसी भाग को स्थानान्तरित नहीं कर सकता अथवा बेच नहीं सकता । यह तो एक बड़ी विचित्र सी बात है । वह उस लड़के की शिक्षा के लिये अथवा उस लड़की की शादी के लिये भी सम्पत्ति बेच नहीं सकता । इस से तो मुकदमेबाज़ी बढ़ जायेगी । अतः यदि यह सम्पत्ति एक अविभाज्य सम्पत्ति नहीं है और अवयस्क की अपनी एक पृथक् सम्पत्ति है, तो इस स्थिति में न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

फिर इसमें उन लोगों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया गया है, जिन पर यह अधिनियम लागू होगा । इस में लिखा है—

"यह अधिनियम लागू होगा :—

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति पर, जो हिन्दू धर्म के किसी भी रूप के अनुसार हिन्दू है—इस में वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्राह्म, प्रार्थना अथवा आर्यसमाज के अनुयायी भी आ जाते हैं ।"

इस परिभाषा में अनेक दोष हैं । इसमें बौद्धों, जैनियों और सिखों को बाकियों से अलग क्यों रखा गया है ? इसी प्रकार से ब्राह्म समाजी और आर्य समाजी भी अपने आप को हिन्दुओं से पृथक् नहीं मानते । तो फिर यह भेद क्यों किया गया है ?

हिन्दू कोड विधेयक तो हिन्दुओं की व्यक्तिगत विधियों के प्रति एक महान् षड्यंत्र है । हमारी सरकार इन सभी प्रगतिशील कार्यवाइयों का सर्वप्रथम परीक्षण हिन्दू समाज पर ही करती है और जब हम

इस का विरोध करते हैं, तो हमें साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। परन्तु मेरा प्रश्न तो यह है कि इस धर्म निरपेक्ष राज्य में केवल हिन्दुओं की व्यक्तिगत विधि पर इतना कुठाराघात क्यों किया जा रहा है जबकि हमारा संविधान हम सभी को भेद भाव रहित एक समान अधिकार प्रदान करता है। सब से बड़ी बात जो हमारे राज्य द्वारा और देश के तथाकथित प्रगतिशील तत्वों द्वारा की जा रही है वह यह है कि कितने ही महीने और दिन निहित हितों और सम्पत्ति सम्बन्धी हितों के मामलों पर व्यर्थ नष्ट किये जा रहे हैं। इन्हीं विषयों के लिये ये सारी विधियां प्रस्तुत की गयी हैं।

सर्वप्रथम, इस विधेयक से मेरा विरोध उस मूलभूत सिद्धान्त पर है जिसके आधार पर ये भाग सभा में इतनी उदारता से लाये जा रहे हैं। हमें आशंका है कि जब ये दो भाग उपस्थित किये गये हैं और अन्य भागों के उपस्थित किये जाने की संभावना है, तो हमें इसी समय इस के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिये। इस विधेयक के प्रस्तावक उस प्रत्येक बात के विरोधी हैं जो हिन्दुओं के सम्बन्ध से सम्बन्ध रखती हैं। हिन्दुओं की व्यक्तिगत विधियों में बाधा पहुंचाने के अतिरिक्त प्रत्येक उस चीज़ से जो हिन्दू है, दूर रहने का प्रयत्न किया जा रहा है। अतः मेरी पहली आपत्ति यह है कि जो राज्य एक धर्म निरपेक्ष और असाम्प्रदायिक राज्य होने की घोषणा करता है, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध धर्मयुद्ध चालू करने की कल्पना से पीड़ित है वह स्वयं इस प्रकार की साम्प्रदायिकता में लिप्त है। अतः इस से किसी विशेष जाति के प्रति अन्याय किया जा रहा है।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है। अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम संयुक्त परिवार पद्धति की हमारी कल्पना से बहुत ही संबंधित है। विश्व की अर्थ प्रणाली में अविभाजित हिन्दू परिवार पद्धति का बहुत बड़ा अंशदान है। मुझे यह देख कर बड़ा धक्का पहुंचा कि केवल पिता और उस के बाद माता को संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। मेरा कथन यह है कि चाचा, या मामा, या नाना क्यों संरक्षक नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। हम उस परम्परा में पले हुए हैं जहां माता से कहीं अधिक बढ़ कर, ज्येष्ठ भ्राता संरक्षक हो सकता है। हम उसे पितातुल्य समझते हैं और वह भी उसी प्रेम से व्यवहार करता है। मैं जानता हूं कि कुछ संरक्षण आवश्यक हो सकते हैं। जब आप उन सभी विचारधाराओं की उपेक्षा करने की सोचते हैं जिनका हमने शताब्दियों से पालन किया है तो मुझे अवश्य अपना विरोध व्यक्त करना चाहिये।

इस विधेयक के विरोध का तीसरा कारण यह है कि हमारी व्यक्तिगत विधियों में इस प्रकार के हस्तक्षेप को हम सहन नहीं कर सकते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि पिछले ६, ७ या १० वर्षों से वह हमारे समक्ष है। राव समिति नियुक्त की गई थी और उसने रायें एकत्र की थीं। तब वह संसद् के समक्ष आया। सरकार उसे प्रस्तुत न कर सकी क्योंकि, जैसाकि कुछ लोग कहते हैं स्वयं कांग्रेस के अन्दर भी विरोध था। कांग्रेस दल के लिये यह सम्मान और निन्दा दोनों का कारण है। सम्मान इस अर्थ में कि कांग्रेस दल में होते हुए भी उसके अनेक सदस्य तथ्य को देखते हैं और अच्छे सिद्धान्तों पर अटल रहते हैं। यह निन्दा का कारण इसलिये है कि हिन्दू समाज के प्रति इतना घोर अन्याय होता देखते हुए भी उनमें इतना साहस नहीं कि वे इस विधेयक का प्रत्यक्ष विरोध करें। कभी कभी मैं यह देखता हूं कि उनका विरोध उन के निर्वाचन-क्षेत्रों की विचारधारा पर अवलम्बित

[श्री वी० जी० देशपांडे]

होता है । जब वे निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो यह देखते हैं कि जनता इस विधेयक के विरुद्ध है । पिछले संसदीय निर्वाचनों में इसे विशिष्ट विषय नहीं बनाया गया था । कांग्रेस दल के विरुद्ध मेरा अभियोग यह है कि उसको विवाह विधेयक के इस विषय पर निर्वाचकों से आदेश नहीं प्राप्त हुआ है । निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार में वह उसे विशिष्ट विषय बनाता या उसे निर्वाचन घोषणापत्र में सम्मिलित किया जाता और तब निर्वाचन लड़े जाते । ऐसा करने में कांग्रेस दल केवल असमर्थ ही नहीं रहा वरन् श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में यह कहा कि विधेयक संसद् के समक्ष है, यदि वह उसे स्वीकार करे तो वह पारित किया जायगा अन्यथा नहीं ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** (जिला प्रतापगढ़—पूर्व) : आप का कथन गलत है । आप जो कुछ कह रहे हैं उस से उनका इलाहाबाद का वक्तव्य बिलकुल भिन्न है ।

**श्री पाटस्कर** : यह एक सामाजिक विधेयक है और उसी दृष्टिकोण से इस को देखा जाना चाहिये । उस की आलोचन की जा सकती है, किन्तु निर्वाचन, प्रधान मंत्री अथवा अन्य किसी के कथन का उद्धरण देना यहां संगत नहीं है ।

**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं जो कुछ कहता हूं वह बिलकुल ठीक है । मुझे अपने तथ्यों के बारे में पूरा विश्वास है । निर्वाचकों को गुमराह किया गया है । मेरा कथन है कि ये इतने व्यापक महत्व के विधेयक हैं कि इनसे हमारे सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । इन परिस्थितियों में मैं आज इस सभा में हिन्दू कोड विधेयक के न सभी भागों को, जिन्हें आप निर्वाचन समाप्त होने के बाद पारित कर रहे हैं, चुनौती देता हूं । कुछ लोग कहते हैं कि वह इसलिये प्रस्तावित नहीं किया गया क्योंकि दल में प्रतिक्रिया थी किन्तु मेरा कहना यह है कि उसे इसलिये रोक दिया गया क्योंकि निर्वाचन समीप आ रहे थे । निर्वाचन समाप्त होने पर उसे पारित करने की उन्हें शीघ्रता हुई है क्योंकि अगले निर्वाचन के निकट आने पर वे उसे पारित करना नहीं चाहते थे । वे न दोनों के बीच उसे पारित करना चाहते हैं । यही कारण है कि ये विधेयक इतनी शीघ्रता में पारित किये जा रहे हैं । चर्चा के लिये उचित क्षेत्र नहीं दिया जा रहा है ।

प्रारम्भ में मेरा यह विचार था कि यद्यपि इस विधेयक के जनता के समक्ष १० वर्ष रहने पर भी, इस सामाजिक विधान पर समुचित विचार नहीं किया गया है । हजारों वर्षों से इस देश में चलती आयी विधियों को आप बदलना चाहते हैं । यह मैं समझता हूं कि जनता को यह कहने का पूरा पूरा अधिकार है कि वह विधि में परिवर्तन करना चाहती है, यद्यपि मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई विधियां नहीं हैं जिनमें परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये पांच घंटे निश्चित किये गये थे । माननीय सदस्य जिस तरह समय ले रहे हैं उस हिसाब से तो मैं अन्य सदस्यों को न बुला सकूंगा । अतः सभा की सम्मति से मैं किसी भी सदस्य के लिये आध घंटा निर्धारित करने की प्रस्थापना करता हूं । किन्तु यह दलों के नेताओं अथवा प्रतिनिधियों के लिये होगा । अन्य सदस्य अधिक से अधिक १५ या २० मिनट का समय ले सकते हैं ।

**श्री वी० जी० देशपांडे** : इन सभी सामाजिक विधेयकों के सम्बन्ध में मेरी यह प्रस्थापना है कि यदि देश में इस विधेयक के पक्ष में बहुत अधिक रायें हो तो भी देश के एक बहुत बड़े भाग की राय उस के विपक्ष

में भी है। न तो हम इस विधेयक को लेकर अभी निर्वाचकों के पास गये हैं और न हम ने इस प्रश्न पर कभी जनमत ज्ञात ही किया है। अब आप कोई सामाजिक विधान बनायें तो आप को यह सिद्ध करना चाहिये कि ऐसे सामाजिक विधान की आवश्यकता है, और इसलिये मेरा इस सरकार के प्रति यह अभियोग है कि उसी विधेयक को बार बार प्रस्तुत करके हम १० वर्ष का समय पहले ही नष्ट कर चुके हैं किन्तु हमने आंकड़े एकत्र करने की कभी परवाह नहीं की है। उदाहरण के लिये, बहुविवाह के प्रश्न पर हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। यद्यपि जन-गणना प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि इस देश में बहुविवाह शायद ही कहीं होता हो, फिर भी हम यहां इतना अधिक समय इस पर नष्ट कर रहे हैं मानों बहुविवाह इस देश में एक बहुत बड़ी बुराई और खतरा है। इसी प्रकार प्रत्येक समस्या पर कुछ प्रयोग किये जाने चाहियें, कुछ आंकड़े एकत्र किये जाने चाहियें और समाजशास्त्रीय विषयों में कुछ गवेषणा की जानी चाहिये। उसके बाद बड़े बड़े समाजशास्त्री और धार्मिक पंडित एकत्र होकर देश के विभिन्न प्रान्तों में वर्तमान स्थिति का विचार कर के तब कोई निर्णय करें। यह सब किये बिना ही हम विधियों को अधिनियमित करते जा रहे हैं केवल इसलिये कि वे पाश्चात्य देशों के नमूने पर हैं।

सामाजिक सुधार और प्रगति के बारे में अनेक लोगों ने कहा है किन्तु मेरा दृष्टि-कोण यह है कि इस हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक में कुछ उपबन्ध तो अवश्य ही बहुत खतरनाक हैं और मेरी आपत्ति केवल उन खतरनाक उपबन्धों के बारे में ही नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि यदि कोई उपयुक्त सुझाव हों तो प्रवर समिति उसे सुधार सकती है, और विधि मंत्री उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। मेरी धारणा यह है कि वे केवल एक ही बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि हिन्दुओं की व्यक्तिगत विधियां पूरी तरह से मिटा दी जानी चाहियें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी विधियां मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों पर आधारित हैं। मेरा मुख्य अभियोग यह है कि यह सब सामाजिक विधान बहुत मामूली तौर पर किया जा रहा है और हिन्दू धर्म अथवा जिसे वे साम्प्रदायिकता कहते हैं उस सब के विरुद्ध धर्मयुद्ध जारी करने की भावना से किया जा रहा है। इसलिये मैं यहीं इसका विरोध करता हूं कि इस प्रकार के विधान में यदि शीघ्रता की गई तो पांच वर्ष के अन्दर ही इस देश में हजारों वर्षों में बनाया गया सभी सामाजिक ढांचा, जैसे संयुक्त तथा अविभाजित हिन्दू परिवार की सुन्दर संस्था, नष्ट हो जायगा।

**श्री पाटस्कर** : इस का संयुक्त हिन्दू परिवार से बिलकुल भी सम्बन्ध नहीं है।

**श्री वी० जी० देशपांडे** : नहीं, किन्तु संरक्षक नियुक्त करके तथा उन्हें माता और पिता तक ही सीमित कर के, आप संयुक्त हिन्दू परिवार की हमारी कल्पनाओं और विचारों पर आक्रमण कर रहे हैं। एक दिन आयेगा और आप वह स्थिति उत्पन्न करेंगे जब सभी विधान निर्माताओं को, जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है, पश्चाताप करना पड़ेगा।

**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : यह विधेयक सूक्ष्म परीक्षण के योग्य है और इस में कुछ दोष बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। खंड ३ में यह उपबन्ध है कि वास्तविक संरक्षक समाप्त कर दिये गये हैं।

**[श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

मेरी इच्छा थी कि वास्तविक संरक्षक विधि द्वारा स्वीकार किये गये होते, क्योंकि

[श्री टेक चन्द]

उस से यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि बहुत निकट सम्बन्धियों को भी इस विषय में कुछ कहने का अधिकार नहीं रह जाता है। यदि विधि ने उन को मान लिया होता तो जहां वे वास्तविक संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं वहां उस रूप में उन्हें माना जा सकेगा। विधेयक में स्वाभाविक संरक्षक की श्रेणी में पिता अथवा उस के बाद माता का स्थान है। किन्तु कोई कारण नहीं है कि चाचा, या बड़ा भाई या दादा जिस के जीवन काल में ही पुत्र की मृत्य हो गई हो और उस का पौत्र जीवित हो, स्वाभाविक संरक्षक न माने जायें। मेरे विचार से यह एक गंभीर दोष है।

अपरिचित व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी यह बहुत खतरनाक है। ऐसे अनेक उदार व्यक्ति हैं जो अनाथ बच्चों का पालन करते हैं यद्यपि उन से उन का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है।

**श्री पाटस्कर** : संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन अपने को नियुक्त करा लेने में कोई कठिनाई नहीं है।

**श्री टेक चन्द** : वास्तविक संरक्षकता के विधि द्वारा अमान्य किये जाने के कारण, जैसाकि हम करने जा रहे हैं, कुछ कठिनाई अवश्य होगी। अतः मेरा निवेदन है कि वास्तविक संरक्षकता को मान्यता दी जानी चाहिये।

इस के बाद, अवयस्क की दृष्टि से खंड ७ बहुत आपत्तिजनक है। उपखंड (२) म. अवयस्क की सम्पत्ति अपने अधिकार में हस्तान्तरित करने का स्वाभाविक संरक्षकों का अधिकार छीन लिया गया है बशर्तेकि उसने न्यायालय से पूर्व अनुज्ञा न प्राप्त कर ली हो। अब स्थिति यह है कि अनेक ऐसे कारण होते हैं जिस से अवयस्क को धन की अतिशय आवश्यकता होती है। अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिन का सामना करने के लिये सम्पत्ति का कुछ भाग बेचना आवश्यक हो जाता है। खंड ७ स्वाभाविक संरक्षकों के अधिकार तक ही सीमित है और उस के द्वारा आप स्वाभाविक संरक्षकों के अधिकार छीन रहे हैं। धन की आवश्यकता बहुत तीव्र हो सकती है और विलम्ब असह्य हो सकता है और न्यायालय से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने में बहुत अधिक देर लगने की संभावना हो सकती है।

उस के पश्चात् (ख) में आप कहते हैं कि न तो लड़के का बाप और न लड़के की मां किसी को पांच वर्ष से अधिक के लिये सम्पत्ति का पट्टा दे सकते हैं। इन दोनों उपबन्धों से जान पड़ता है कि आप के मन में मां और बाप के विरुद्ध एक अनावश्यक सा सन्देह घर कर गया है। इन उपबन्धों से अवयस्क का कोई हित होने के स्थान पर अहित ही अधिक होगा।

खण्ड ७ के उपखण्ड (४) में एक और त्रुटि आ गई है जो संभवतः शब्दावलि के कारण है। अवयस्क के लाभ के साथ शब्द "evident" ("प्रकट") का व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक है। "यदि वह अवयस्क के लाभ के लिये है" शब्द पर्याप्त हैं। इस से अधिक आप को न्यायालय पर छोड़ देना चाहिये, न्यायालय यह समझ सकता है कि किस बात में अवयस्क का लाभ है और किस में नहीं है।

खंड ९ का उपबन्ध एक नये प्रकार का उपबन्ध है जो ऊपर से तो बहुत न्यायसंगत जान पड़ता है परन्तु वास्तव में बहुत आपत्तिजनक है। वसीयत के द्वारा नियुक्त

किये जाने वाले संरक्षक के सम्बन्ध में आप का कहना है कि उस को अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को संरक्षक नियक्त करे परन्तु यदि बच्चे की माता जीवित है तो उस के जीवन काल में वह किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकता है । मान लीजिये कि बच्चे की माता विवाह-विच्छेद द्वारा अलग हो जाती है या विधवा हो जाती है और पुनर्विवाह कर ले ी है या विवाह–विच्छेद के बाद पुनर्विवाह कर लेती है, इतने पर भी यदि आप चाहते हैं कि बच्चे के पितामह अथवा ज्येष्ठ भ्राता के होते हुए अपने पहले पति के अवयस्क पुत्र की संरक्षक वही रहे तो यह बहुत ही अनुचित है । हो सकता है कि उस ने किसी निर्धन के प्रेम में फंस कर विवाह कर लिया हो और उस पति से उसके तीन और बच्चे हो चुके हों ऐसी दशा में यह महिला अनिवार्य रूप से यही चाहेगी कि अपने दूसरे पति के बच्चों को पहले पति की सम्पत्ति का कुछ भाग अवश्य मिल जाये । इसलिये ऐसा उपबन्ध बनाने के पहले बहुत सोच विचार करना आवश्यक है ।

एक और त्रुटि यह है कि खण्ड ३ तथा खण्ड ११ में विरोधाभास है । खण्ड ३ में चार प्रकार के संरक्षकों का उल्लेख किया गया है जिस में वास्तविक संरक्षकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है । परन्तु खण्ड ११ में यह कहने से कि वास्तविक संरक्षकों की अवयस्क की सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करने का अधिकार नहीं होगा एक प्रकार से विधि में ही वास्तविक संरक्षकों को मान्यता प्रदान की गई है । दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं । यदि आप वास्तविक संरक्षकों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव स्वीकार करें तब तो खण्ड ११ सें कोई कठिनाई नहीं होगी नहीं तो आप को खण्ड ११ में परिवर्तन करना पड़ेगा ।

खण्ड २ के द्वारा आप ने हिन्दुओं की तीन श्रेणियां कर दी हैं । इस के उपखण्ड (क) में आपने हिन्दुओं का उल्लेख करने के पश्चात् कहा है कि उन में लिंगायत, ब्राम्हों, प्रार्थना तथा आर्यसमाजों के व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे । आप को इन सम्प्रदायों के सम्बन्ध में ऐसा कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वे हिन्दू नहीं हैं, परन्तु उन को इस विधान के द्वारा हिन्दुओं में सम्मिलित कर लिया गया है । ऐसा खण्ड नहीं रखा जाना चाहिये । उप-खण्ड में आप ने बौद्ध, जैन तथा सिक्ख धर्म के मानने वालों का उल्लेख अलग से किया है जिस से जान पड़ता है कि वे हिन्दू नहीं हैं वरन् उन पर हिन्दू विधि लागू कर दी गई है । मैं समझता हूं कि कोई भी जैन या बौद्ध अपने को हिन्दू कहने में गर्व का अनुभव करेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि उपखण्ड (क) और (ख) निकाल दिये जायें । उप-खण्ड (ग) में शब्द हिन्दू की जो परिभाषा की गई है वही पर्याप्त होगी ।

एक और कठिनाई व्याख्या के भाग (ख) में है । उस में ऐसे बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है जिस के पालन पोषण के सम्बन्ध में न तो यह कहा जा सकता है कि यह हिन्दू रीति का पालन पोषण है और न यह कि यह अहिन्दू रीति का पालन पोषण है । जैसे कोई बच्चा सार्व-जनिक स्कूल में रह कर बड़ा हुआ हो जहां हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सभी के बच्चों का समान रूप से पालन पोषण किया जाता है । इसलिये इस खण्ड को फिर से तय्यार किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि जब प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन भेजेगी तो इस विधेयक के सभी आपत्तिजनक पहलुओं को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेगी ।

**श्री बी० सी० दास** (गंजम—दक्षिण) : इस विधेयक के उद्देश्य की घोषणा खण्ड १३

[श्री बी० सी० दास]

में की गई है। उस में कहा गया है कि अवयस्क का कल्याण ही सब बातों में सार्वभौमिक उद्देश्य होना चाहिये।

इस दृष्टिकोण से सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अवयस्क बच्चों के कल्याण के लिये सब से अधिक कौन कर सकता है, स्वाभाविक संरक्षक होने के लिये सब से अधिक उपयुक्त कौन है। साथ ही साथ यह भी विचार करने का विषय है कि क्या हम यह मानने को तैयार हैं कि स्त्रियों में सम्पत्ति की देखभाल करने की क्षमता है। यदि हम समझते हैं कि स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त है और उन में भी वह क्षमता है जो पुरुषों में है तो हम इस विधेयक के कुछ उपबन्धों के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। यदि हम मानते हैं कि माता ही अपने बच्चे के लिये सब से अधिक त्याग कर सकती है तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि माता का स्थान पिता से ऊंचा होना चाहिये। हिन्दू शास्त्रों की दुहाई देने वालों को यह नहीं भूलना चाहिये कि शास्त्रों में भी माता को उच्चतर स्थान दिया गया है क्योंकि जब हम पिण्ड दान करते हैं तो हम माता के लिये दो या तीन पिण्ड दान करते हैं जबकि पिता के लिये केवल एक। इस विधेयक में भी एक उपबन्ध है कि तीन वर्ष की आयु तक का बच्चा माता की ही देखभाल में रखा जायेगा। इस का अर्थ यह है कि आप भी स्वीकार करते हैं कि माता से अधिक बच्चे का कल्याण चाहने वाला पिता भी नहीं होता है। परन्तु जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पुरुष की सर्वोपरिता के नशे में आप स्वयं अपने ही तर्क को भूल जाते हैं।

इस विधेयक में कोई नई बात नहीं है। केवल एक दो बातों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया है। एक तो यह कि अब स्वाभाविक संरक्षकों को कोई अधिकार नहीं होंगे। दूसरा यह कि हिन्दू पिता को अब यह पहले जैसा अधिकार नहीं होगा जिस के द्वारा वह अपने बाद अवयस्क बच्चे की संरक्षकता से माता को वर्जित कर सकता है। इसी के साथ कुछ बहुत ही प्रतिगामी उपबन्ध भी रखे गये हैं। उन में से एक यह है कि यदि कोई हिन्दू पिता या स्वाभाविक संरक्षक अपना धर्म छोड़ दे तो वह स्वाभाविक संरक्षक नहीं रहेगा। अभी ऐसा नहीं है। वर्तमान विधि में कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई है कि हिन्दू अवयस्क के अभिभाविक को उस का पालन पोषण हिन्दू के रूप में ही करना होगा। परन्तु इस बार इस प्रकार का भी एक खण्ड रखा गया है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं इस विधेयक का सब से प्रमुख उद्देश्य है अवयस्क का कल्याण। यह दो ऐसे उपबन्ध रखे गये हैं जो प्रतिगामी हैं और साथ ही साथ इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य से इन का कोई सम्बन्ध नहीं है। स्त्रियों के विरुद्ध पूर्व निश्चित धारणाओं को ध्यान में रख कर ही इस विधेयक का प्रारूप तय्यार किया गया है। इसी लिये इस विधेयक का जो प्रमुख उद्देश्य है उसको गौण स्थान दिया गया है।

खण्ड ५ कहता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात् माता अवयस्क की संरक्षक तो होगी परन्तु अवयस्क की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अवयस्क की सम्पत्ति का वसीयत द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त करने का उसे अधिकार नहीं है। यदि पिता ने अवयस्क के लिये कोई संरक्षक वसीयत द्वारा नियुक्त कर दिया है तो वह अवयस्क के लिये कोई संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकती है। इस से स्पष्ट है कि आप समझते हैं कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा

कम क्षमताशील है । पुराने विचारों का हमें इतना मोह नहीं होना चाहिये । जब हम सामाजिक विधान बनायें तो हमारा दृष्टि-कोण वैज्ञानिक होना चाहिये और हम को इस बात का डर नहीं होना चाहिये कि प्रति-क्रियावादी हम से वोटरों को छीन ले जायेंगे । एक ओर तो अन्य विधानों में हम पुत्रियों, पत्नियों आदि को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दे रहे हैं दूसरी ओर उसी समय हम यह भी कर रहे हैं कि स्त्रियों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे बच्चे की सम्पत्ति की देखभाल कर सकें । मैं कितने ही ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन से यह प्रमाणित हो चुका है कि स्त्रियों में आर्थिक मामलों का प्रबन्ध करने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है । केरल, मनीपुर तथा अन्य स्थानों में सम्पत्ति का प्रबन्ध स्त्रियां ही करती हैं । पुरुषों की उपेक्षा को भी हमें भुलाना नहीं चाहिये । जैसा कि बहुधा देखा जाता है कि दूसरा विवाह करने पर पुरुष अपनी पहली पत्नी के बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं ।

दूसरी बात यह है कि क्या धर्म परिवर्तन के पश्चात् पिता पिता नहीं रहता है । तब फिर उस को अपने बच्चे की संरक्षकता के अधिकार से क्यों वंचित किया जाता है ? आप चाहते क्या हैं—नागरिक या हिन्दू ? अवयस्क के कल्याण में पिता के धर्म परिवर्तन से कैसे बाधा पहुंच सकती है ?

आप धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं । हिन्दू के रूप में बच्चे का पालन पोषण करने का क्या अर्थ है ? मान लीजिये किसी व्यक्ति को हिन्दू धर्म में आस्था नहीं है, वह अनीश्वरवादी हो गया है या उस ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लिया है, तो क्या आप चाहते हैं कि वह रोज़ बच्चे को मन्दिर ले जाये, उस से कहे कि मूर्ति के आगे नत-मस्तक हो या मंत्रों का उच्चारण करे ? मान लीजिये ऐसा न कर के वह अपन बच्चे को भी अपना ही जैसा बनाने का प्रयत्न करता है तो क्या आप कहेंगे कि उस ने संरक्षक के दायित्व को पूरा नहीं किया है ? मेरी तो यह धारणा है कि जो पिता अपना धर्म बदलता है उसे अपने पुत्र से ऐसा कराने का अधिकार नहीं होगा । जब बालक वयस्क हो जाय तब वह अपनी इच्छानुसार धर्म बदल सकता है । यह एक युक्तियुक्त बात है किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि उसे अपने पुत्र का संरक्षक बनने के अधिकार से वंचित रखा जाय । सामाजिक सुधार करते समय हमें किसी से भयभीत होने की आव-श्यकता नहीं है, चाहे हिन्दू महासभा वाले धर्म को आपत्ति में बतायें किन्तु जो धर्म युग के साथ साथ नहीं चलता है वह मृत-प्राय है । अतः मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं । यद्यपि इस में अभी अनेक त्रुटियां हैं किन्तु मुझे आशा है कि प्रवर समिति प्रत्येक खंड पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और उन त्रुटियों को दूर करेगी ।

**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर) : इस प्रगतिशील विधेयक के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देती हूं । जैसा कि इस विधेयक में उपबन्धित है, मैं भी इसी पक्ष में हूं कि पिता की अपेक्षा माता को बच्चों का संरक्षक समझा जाय । आधुनिक न्यायालयों ने भी यही निर्णय दिये हैं कि बच्चों की संरक्षा का अधिकार माता को दिया जाय जब तक कि बच्चे वयस्क न हो जायें । वयस्क मानने के लिये लड़के की अवस्था १८ वर्ष और लड़की की अवस्था १४ वर्ष उचित है । पारसी, मुसलमान तथा ईसाई धर्म में भी लगभग इसी प्रकार का विधान है ।

दूसरी बात मुझे खंड ९ के विषय में कहनी है जिस में यह उपबन्ध है कि पिता अपनी वसीयत के द्वारा मां को संरक्षक

[श्रीमती जयश्री]

न बनाये जाने का आदेश नहीं दे सकता है। यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध है।

बम्बई के एक मामले में भी वहां के न्यायालय ने यही निश्चय किया था कि बालक के लिये मां से अच्छा संरक्षक कोई नहीं हो सकता है। अतएव मुझे आशा है की प्रवर समिति भी इस उपबन्ध को बनाये रखेगी और अवयस्क बच्चे की आयु-सीमा में भी वृद्धि करेगी।

**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : इस विधेयक पर अनेक दृष्टिकोणों से भाषण दिये जा चके हैं। धर्म की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से और प्रगति की दृष्टि से बहुत कुछ कहा गया है। मैं अपनी सामान्य बुद्धि के अनुसार इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। इस विधेयक में तीन बातें मुख्य हैं। यह हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में है, अवयस्कों के सम्बन्ध में है और संरक्षण के सम्बन्ध में है।

यह बताया गया है कि यह विधेयक हिन्दू धर्म के विपरीत है। किन्तु हिन्दू इतना व्यापक शब्द है कि उस के अन्तर्गत सब प्रकार के लोग आ जाते हैं चाहे वे आस्तिक हों या नास्तिक। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने शब्द 'हिन्दू' की व्याख्या के अन्तर्गत लिंगायत, ब्राह्म, प्रार्थना तथा आर्यसमाजों को भी लिया है, क्योंकि एक समय था जबकि ये भी अपने वर्गों के लिये विशेष विवाह अधिनियम बनवाने का प्रयत्न करते थे। वास्तव में हिन्दू धर्म का एक विस्तृत क्षेत्र बना कर इस विधेयक ने इस धर्म की अच्छी सेवा की है। हिन्दू धर्म के लिये यह कहा जाता है कि उस में अन्य धर्मावलम्बियों को हिन्दू बनाने की व्यवस्था नहीं है, परन्तु हमारे यहां अनेक संस्थायें हैं जो शुद्धि करती हैं और हम इस प्रकार के सुधारों के लिये तैयार हैं।

अवयस्कों के विषय में मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक में संरक्षकों की जो तीन श्रेणियां बताई गई हैं वे बहुत सुन्दर हैं। कुछ लोगों ने यह कहा है कि अस्थायी संरक्षकों के साथ न्याय नहीं किया गया है, किन्तु अनुभव के अनुसार ऐसे संरक्षक अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं। स्वाभाविक संरक्षक वे ही हैं जो उपबन्ध में दिये गये हैं, अर्थात् पिता माता और दस्तावेज़ी संरक्षक, जो मनुष्य अपने बच्चों के संरक्षण के सम्बन्ध में दस्तावेज लिखता है वह जानता है कि कौन उस का शत्रु है और कौन उस का मित्र है। अतः दस्तावेज़ी संरक्षक मान्य है। इस के अतिरिक्त अदालत जिसे संरक्षक घोषित करे वह भी विधि के भय से अपना कर्त्तव्य निभा सकेगा। उक्त संरक्षकों के अतिरिक्त अन्य को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि वे अवयस्कों की देखभाल उतनी अच्छी नहीं कर सकते हैं।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य आज दस मिनिट बोल चुके हैं और वह पांच मिनिट कल बोल सकते हैं।

सभा के सन्मुख रखे गये प्रस्ताव के अनुसार श्री एन० सी० चटर्जी के स्थान पर श्री सी० आर० कानावडे पाटिल संयक्त प्रवर समिति के तेरहवें सदस्य होंगे।

**इसके पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार ९ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

GIPD—HS—544 LSD—13-6-55—240